औद्योगिक नीति और संवर्धन

विभाग

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

(एफडीआई) नीति

(10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी)

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
(एफसी अनुभाग)

2012 का परिपत्र 1

विषयः समेकित एफ डी आई नीति।

समेकित एफ डी आई नीति संलग्न है ।

2. यह परिपत्र 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा ।

(अंजली प्रसाद)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग एफ़ सं. 5(2)/2012-एफसी-। दिनांक 10.04.2012

प्रति प्रेषितः

1. प्रेस सूचना अधिकारी, प्रेस सूचना ब्यूरो- उपर्युक्त परिपत्र को व्यापक प्रचार देने हेतु।
2. बीई अनुभाग को डीआईपीपी की वैबसाइट पर इस परिपत्र को डालने हेतु।
3. आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई।

विषय-सूची

विवरण		पृष्ठ संख्या
अध्याय-I लक्ष्य और उद्देश्य		
1.1	लक्ष्य और उद्देश्य	
अध्याय-2 परिभाषाएं		
2.1	परिभाषाएं	
अध्याय-3 एफडीआई संबंधी सामान्य शर्तें		
3.1	भारत में कौन निवेश कर सकता है?	
3.2	कंपनियां जिनमें एफडीआई की जा सकती है	
3.3	लिखतों के प्रकार	
3.4	शेयरों का निर्गम/ अंतरण	
3.5	कतिपय मामलों में विशिष्ट शर्तें	
3.6	निवेश हेतु प्रवेश मार्ग	
3.7	निवेशों पर निवेश सीमा	
3.8	निवेश संबंधी प्रवेश शर्तें	
3.9	प्रवेश शर्तों के अतिरिक्त निवेश संबंधी अन्य शर्तें	
3.10	भारतीय कंपनियों द्वारा अनुप्रवाही निवेश/ में विदेशी निवेश	
अध्याय-4 विदेशी निवेश का परिकलन		
4.1	कुल विदेशी निवेश अर्थात भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश	
अध्याय-5 विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)		
5.1	एफआईपीबी का गठन	
5.2	सरकारी मार्ग के अंतर्गत मामलों के लिए अनुमोदन स्तर	
5.3	मामले जिन पर नए सिरे से अनुमोदन की अपेक्षा नहीं होती	
5.4	एफआईपीबी/सरकार के अनुमोदन हेतु ऑन लाइन आवेदन	
अध्याय-6 एफडीआई संबंधी क्षेत्र विशिष्ट शर्तें		
6.1	**निषिद्ध क्षेत्र**	
6.2	**अनुमत क्षेत्र**	

कृषि		
6.2.1	कृषि एवं पशुपालन	
6.2.2	चाय बागान	
खनन एवं पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस		
6.2.3	खनन	
6.2.4	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	
विनिर्माण		
6.2.5	सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्पादन हेतु आरक्षित मदों का विनिर्माण	
6.2.6	रक्षा	
सेवा क्षेत्र		
6.2.7	प्रसारण	
6.2.8	प्रिंट मीडिया	
6.2.9	नागरिक उड्डयन	
6.2.10	कुरियर सेवाएं	
6.2.11	निर्माण विकासः टाऊनशिप/नगरक्षेत्र, आवास, इमारतदार अवस्थापना	
6.2.12	नए और विद्यमान औद्योगिक पार्क	
6.2.13	उपग्रह-स्थापना और प्रचालन	
6.2.14	निजी सुरक्षा एजेंसियां	
6.2.15	दूर संचार क्षेत्र	
6.2.16	व्यापार	
वित्तीय सेवाएं		
6.2.17	संपदा पुनर्निर्माण कम्पनियां	
6.2.18	बैंकिग- निजी क्षेत्र	
6.2.19	बैंकिग- सार्वजनिक क्षेत्र	
6.2.20	जिंस बाज़ार	
6.2.21	ऋण सूचना कम्पनियां (सीआईसी)	
6.2.22	प्रतिभूति बाज़ार में अवसंरचना कम्पनी	
6.2.23	बीमा	
6.2.24	गैर-बैंकिग वित्तीय कम्पनियां (एनबीएफसी)	
6.2.25	फार्मास्युटिकल्स	

अध्याय-7 प्रेषण, रिपोर्टिंग और उल्लंघन		
7.1	प्रेषण और प्रत्यावर्तन	
7.2	एफडीआई की रिपोर्टिंग	
7.3	दिशानिर्देशों/आदेशों का अनुपालन और उल्लंघन के परिणाम दण्ड अधिनिर्णय और अपील संयोजित कार्यवाहियां	
अनुबंध		
अनुबंध-1	एफसी फॉर्म- जीपीआर	
अनुबंध-2	निवासी से अनिवासी और विलोमतः के बीच पूँजी लिखतों साधनों के अंतरण हेतु शर्तें और निबंधन	
अनुबंध-3	भारत के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा उपहार स्वरुप भारत से बाहर रह रहे अनिवासी भारतीय को शेयरों के अंतरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़	
अनुबंध-4	कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में दिए गए "संबंधी/रिश्तेदार" की परिभाषा	
अनुबंध-5	एफडीआई स्कीम के अंतर्गत शेयरों/विनिमेय शेयरों/डिबेंचरों के निर्गम के प्रतिफल में धनराशि प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनियों की रिपोर्ट	
अनुबंध-6	अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानें (नो युअर कस्टमर (केवाईसी)) फॉर्म	
अनुबंध-7	विदेशी दायित्वों और परिसम्पत्तियों पर वार्षिक विवरण फ़ार्म	
अनुबंध-8	एफ सी- टीआरएस फॉर्म	
अनुबंध-9	डीआर फॉर्म	
अनुबंध-10	डीआर फॉर्म-तिमाही	

अध्याय 1 : लक्ष्य और उद्देश्य

1.1 लक्ष्य और उद्देश्य

1.1.1 भारत सरकार का आशय और उद्देश्य यह है कि त्वरित आर्थिक संवृद्धि के लिए घरेलू पूँजी, प्रौद्योगिकी और कौशल को बढ़ावा देने के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित और संवर्धित किया जाए । विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, जो पोर्टफोलियो निवेश से भिन्न है, निहितार्थ उद्यम में 'स्थायी हित' स्थापित करना है जो निवेशक से भिन्न एक अर्थव्यवस्था में निहित है।

1.1.2 सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर एक उपयुक्त नीतिगत ढाँचा तैयार किया है जो पारदर्शी, स्वतः स्पष्ट और सहज बोधगम्य है । यह ढाँचा समेकित एफडीआई नीति सम्बंध परिपत्र में निहित है जिसे मध्यावधिक काल में प्रभावी हुए विनियामक परिवर्तनों के साथ गति बनाए रखने और तारतम्य स्थापित करने के लिए प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जा सकता है। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार प्रेस नोट/प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से नीतिगत घोषणा करता है जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनिवासी भारतीय व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति अन्तरण अथवा निर्गम) विनियम, 2000 (अधिसूचना सं. फेमा (एफआईएमए) 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000) में संशोधनों के रुप में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित किया जाता हैं। ये अधिसूचनाएं प्रेस नोट/ प्रेस विज्ञप्ति के जारी होने की तिथि से, जब तक कि उनमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रभावी होती हैं । किसी विवाद के मामले में संगत फेमा अधिसूचना प्रभावी होगी। प्रक्रियात्मक अनुदेश भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एपीडीआईआर (श्रृंखला) परिपत्रों के माध्यम से जारी किए जाते हैं । इस प्रकार एक समयावधि में अधिनियम, विनियम, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति, स्पष्टीकरण आदि विनियामक ढाँचे में समाहित हो जाते हैं ।

1.1.3 वर्तमान समेकन ने डीआईपीपी द्वारा जारी 09 अप्रैल, 2012 को प्रभावी सभी प्रेस नोटों/विज्ञप्तियों/स्पष्टीकरणों/परिपत्रों को अपने में समाहित कर उनका स्थान ले लिया है तथा ये 10 अप्रैल, 2012 को एफडीआई नीति के रुप में प्रतिबिंबित होता है। तद्नुसार यह परिपत्र 10 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा | इस परिपत्र में किसी संविधि अथवा कानून के संदर्भ में संशोधन, परिवर्तन अथवा उनके पुनः अधिनियमन शामिल होंगे ।

1.1.4 10 अप्रैल, 2012 से पूर्व के पूर्ववर्ती प्रेस नोटों/प्रेस विज्ञप्तियों/स्पष्टीकरणों/परिपत्रों के निरसन के बावजूद रद्द किए गए प्रेस नोटों/प्रेस विज्ञप्तियों स्पष्टीकरणों/परिपत्रों के अन्तर्गत कुछ भी किया गया हो अथवा कोई कार्रवाई की गई हो अथवा किए गए का तात्पर्य लगाया गया हो अथवा लिया गया हो, जहाँ तक यह उन प्रेस नोटों/प्रेस विज्ञप्तियों/स्पष्टीकरणों/परिपत्रों से कुछ असंगत नहीं है, को इस परिपत्र के तत्व संबंधी प्रावधानों के अनुरुप किया गया अथवा लिया गया माना जाएगा और यह वैध तथा प्रभावी होगा।

अध्याय 2: परिभाषाएं

2.1 परिभाषाएं

2.1.1 "एडी श्रेणी-। बैंक" का अर्थ एक ऐसे बैंक (अनुसूचित वाणिज्यिक, राज्य अथवा शहरी सहकारी) से है जो आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार सभी चालू और पूँजी खाता लेन-देनों को करने के लिए फेमा की धारा 10 (1) के अंतर्गत प्राधिकृत है।

2.1.2 "प्राधिकृत बैंक" का अर्थ सहकारी बैंक सहित एक बैंक (एक प्राधिकृत डीलर से भिन्न) जिसे किसी अनिवासी भारतीय का लेखा रखने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

2.1.3 "प्राधिकृत डीलर" का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो फेमा की धारा 10 की उप धारा (1) के तहत एक प्राधिकृत डीलर के रुप में प्राधिकृत है ।

2.1.4 "प्राधिकृत व्यक्ति" का अर्थ एक प्राधिकृत डीलर, धन परिवर्तक, अपतटीय बैंकिंग यूनिट अथवा कोई अन्य व्यक्ति से है जो विदेशी विनिमय अथवा विदेशी प्रतिभूति पर कार्य करने के लिए फेमा की धारा 10 की उप धारा (क) के तहत अस्थाई रूप से प्राधिकृत है ।

2.1.5 "पूँजी" का अर्थ इक्विटी शेयर, पूर्णतः, अनिवार्यत: एवं अधिदेशात्मक रुप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों; पूर्णतः अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रुप से परिवर्तनीय डिबेंचरों से है।

नोटः वारंट/अधिपत्र और आंशिक शोधित शेयरों को भुगतान किसी अनिवासी भारतीय को सरकारी मार्ग/माध्यम[1] से अनुमोदन के पश्चात ही किया जा सकता है ।

2.1.6 "पूँजी लेखा लेन-देन" का अर्थ एक ऐसे लेन-देन से है जो निवासी भारतीयों को भारत से बाहर परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं, आकस्मिक देयताओं सहित अथवा अनिवासी भारतीयों को भारत में सम्पत्तियों अथवा देयताओं को परिवर्तित करता है तथा इसमें फेमा की धारा 6 की उप धारा (3) में उल्लिखित लेन-देन भी शामिल हैं ।

2.1.7 एक कम्पनी को भारतीय निवासी नागरिकों द्वारा "नियंत्रित" माना जाता है यदि भारतीय निवासी नागरिकों और भारतीय कम्पनियों को जो भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हों उस कम्पनी में बहुमत में अपने निदेशक नियुक्त करने का अधिकार है ।

---

[1] एफडीआई नीति में अधिपत्रों और आंशिक शोधित शेयरों को शामिल करने पर पुनरीक्षा का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

2.1.8 "डिपॉज़िटरी प्राप्ति" (डीआर) का अर्थ एक परक्राम्य प्रतिभूति जिसे किसी भारतीय कम्पनी की ओर से किसी डिपॉज़िटरी बैंक द्वारा देश से बाहर जारी किया जाता है जो स्थानीय रुपये मूल्य में कम्पनी के इक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है और भारत में किसी अभिरक्षक बैंक द्वारा जमा के रुप में रखा जाता है। डीआर का लेनदेन स्टॉक एक्सचेंज पर अमरीका, सिंगापुर, लक्समबर्ग आदि में किया जाता है । जो डीआर अमरीकी बाजारों में सूचीबद्ध हैं तथा जिनका वहां लेन-देन होता है, उन्हें अमेरिकन डिपॉज़िटरी रिसीट्स (एडीआर) के रुप में जाना जाता है तथा जो कहीं भी/अन्यत्र व्यापार हेतु सूचीबद्ध हैं उन्हें ग्लोबल डिपॉज़िटरी रिसीट्स (जीडीआर) के रुप में जाना जाता है ।

2.1.9 "तत्कालीन विदेशी कारपोरेट निकाय" (ओसीबी) का अर्थ कोई कम्पनी, साझेदार फर्म, सोसाइटी और अन्य कारपोरेट निकाय जिसे किसी अनिवासी भारतीय द्वारा कम से कम 60% तक के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप में स्वामित्व में लिया हो तथा इसमें विदेशी न्यास भी शामिल हैं जिसमें 60% से अनधिक लाभार्थ किसी अनिवासी भारतीय द्वारा परन्तु अपरिवर्तनीय रुप से रखे जाएं तथा जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन (विदेशी कारपोरेट निकायों (ओसीबी) के लिए सामान्य अनुमति की वापसी) विनियमन, 2003 (विनियमनों) के लागू होने की तिथि को अस्तित्व में थे और इस घोषणा के एकदम पूर्व में विनियमनों के तहत प्रदत्त सामान्य अनुमति के अनुसरण में लेन-देन कार्य करने के लिए पात्र थे ।

2.1.10 "विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड" (एफसीसीबी) का अर्थ किसी भारतीय कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी बांड है जिसका मूल और ब्याज विदेशी मुद्रा में देय हो । एफसीसीबी विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों और सामान्य शेयरों (न्यासी प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) की स्कीम 1993 के अनुसार जारी होते हैं तथा विदेशी मुद्रा में अनिवासी भारतीय द्वारा जमा कराये जाते हैं और जारीकर्ता कम्पनी के सामान्य शेयरों में किसी भी तरीके से या तो समग्र रुप से अथवा आंशिक रुप से परिवर्तनीय होते हैं ।

2.1.11 "एफडीआई" का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन (किसी अनिवासी भारतीय द्वारा प्रतिभूतियों का अन्तरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2000 की अनुसूची 1 के अंतर्गत भारतीय कम्पनी की पूंजी में अनिवासी /विदेशों में रह रहे व्यक्तियों द्वारा किया गया निवेश है। (मूल अधिसूचना http://rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx?Id =174 पर उपलब्ध है। परवर्ती अधिसूचना संशोधन http://rbi.org.in/Scripts/BS_FemaNotifications.aspx पर उपलब्ध है।)

2.1.12 "एफईएमए"(फेमा) का अर्थ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) (http://finmin.nic.in/law/index.asp) से है|

2.1.13 ''एफआईपीबी'' का अर्थ भारत सरकार द्वारा गठित विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड से है।

2.1.14 ''विदेशी सांस्थानिक निवेशक'' (एफआईआई) का अर्थ किसी संस्था की विदेश में स्थापना अथवा समावेशन से है जो भारत में निवेश का प्रस्ताव करती हो और जो सेबी (एफआईआई) के विनियमनों 1995 के अनुसार एफआईआई के रुप में पंजीकृत हो।

2.1.15 ''विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक'' (एफवीसीआई) का अर्थ एक ऐसे निवेशक से है जो विदेश में स्थापित हो जो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक) विनियमन, 2000 {सेबी(एफवीसीआई)विनियमन} के तहत पंजीकृत हो और इन विनियमों के अनुसार निवेश प्रस्तावित करता हो ।

2.1.16 ''सरकारी माध्यम (मार्ग)'' का अर्थ किसी अनिवासी व्यक्ति (कम्पनी) द्वारा निवासी व्यक्ति (कम्पनी) की पूंजी में निवेश केवल सरकार (एफआईपीबी, आर्थिक कार्य विभाग(डीईए), वित्त मंत्रालय अथवा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, जैसा भी मामला हो;) की पूर्वानुमति से ही किया जा सकता है ।

2.1.17 ''होल्डिंग कम्पनी'' का अर्थ वही होगा जो कम्पनी अधिनियम, 1956 में स्पष्ट किया गया है ।

2.1.18 ''इण्डियन कम्पनी'' का अर्थ उस कम्पनी से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत भारत में निगमित हो।

2.1.19 ''भारतीय उद्यम पूँजी उपक्रम'' (आईवीसीयू)' का अर्थ एक ऐसी भारतीय कम्पनी से है जो:-

(i) जिसके शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो;

(ii) जो सेवाएं मुहैया कराने के कार्य, उत्पादन अथवा किसी वस्तु के निर्माण में लगी हो, परन्तु उसमें ऐसी गतिविधियां अथवा क्षेत्र शामिल नहीं होंगे जो सेबी की नकारात्मक सूची में वर्णित हों, केंद्र सरकार के अनुमोदन से सरकारी गजट में इस संबंध में अधिसूचित हों |

2.1.20 ''निवेशक कम्पनी'' का अर्थ कोई भारतीय कम्पनी जिसका अन्य भारतीय कम्पनी/ कंपनियों में ऐसी होल्डिंग्स/प्रतिभूतियों के व्यापार से भिन्न प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निवेश हो|

2.1.21 ''प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश'' का अर्थ वह निवेश जिसकी बिक्री प्राप्तियां, करों के पश्चात भारत से बाहर प्रत्यावर्तन हेतु पात्र हो और ''गैर प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश'' का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा ।

2.1.22 ''संयुक्त उद्यम'' (जेवी) का अर्थ एक भारतीय संस्था जो भारत में नियमों और विनियमनों के अनुसार निगमित हो और जिसकी पूँजी में अनिवासी संस्था निवेश करती हो।

2.1.23 'सीमित दायित्व साझेदारी' का अर्थ सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के तहत निर्मित और पंजीकृत सीमित दायित्व साझेदारी फर्म है।

2.1.24 "नॉन रेजिडेण्ट कम्पनी" (अनिवासी संस्था) का अर्थ फेमा के तहत यथास्पष्ट भारत से बाहर विदेशी व्यक्ति |

2.1.25 ''अनिवासी भारतीय'' (एनआरआई) का अर्थ एक ऐसे व्यक्ति से है जो विदेश में रहता हो और जो भारत का नागरिक हो अथवा भारतीय मूल का हो ।

2.1.26 किसी कम्पनी को किसी निवासी भारतीय नागरिक की अथवा/और भारतीय कम्पनी की स्वामित्व वाली कम्पनी तब माना जाता है जब उसमें 50% से अधिक का पूंजी लाभ उसका हो तथा जिसे अन्ततः भारतीय निवासी नागरिक के स्वामित्व में नियंत्रित किया जाता हो ।

2.1.27 ''व्यक्ति'' में निम्नलिखत शामिल हैं:

(i) एक व्यक्ति
(ii) एक हिन्दू अविभाजित परिवार
(iii) एक कम्पनी
(iv) एक फर्म
(v) व्यक्तियों की एक एसोसिएशन अथवा अलग-अलग व्यक्तियों का एक निकाय चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं,
(vi) प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती किसी उप-धाराओं में न आता हो; और
(vii) ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व वाली अथवा नियंत्रित कोई एजेंसी, कार्यालय अथवा शाखा।

2.1.28 ''भारतीय मूल का व्यक्ति'' (पीआईओ) का अर्थ बंगला देश अथवा पाकिस्तान से भिन्न किसी देश के किसी नागरिक से है, यदि:

(i) कभी वह भारतीय पासपोर्ट धारक रहा हो;
(ii) वह या उसके माता-पिता अथवा उसके कोई दादा-दादी भारत के संविधान अथवा नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) के आधार पर भारत के नागरिक थे; अथवा

(iii) यदि वह व्यक्ति उप खंड (i) अथवा (ii) में उल्लिखित किसी भारतीय नागरिक अथवा व्यक्ति का पति-पत्नी हो ।

2.1.29 'भारत निवासी व्यक्ति' से अर्थ है कि:

(i) यदि कोई व्यक्ति पूर्व वित्त वर्ष के दौरान 182 दिनों से अधिक भारत में निवास करता है परन्तु उसमें निम्नलिखित शामिल नहीं है-

(क) यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है अथवा भारत के बाहर ठहरता है, दोनों मामलों में-

(क) भारत से बाहर रोज़गार लेने के लिए अथवा रोज़गार ग्रहण करने हेतु; अथवा

(ख) भारत से बाहर व्यापार शुरु करने या भारत से बाहर व्यवसाय करने, अथवा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन से, ऐसी परिस्थितियों में किसी अनिश्चित अवधि के लिए भारत से बाहर ठहरने का उसका आशय इंगित होता हो;

(ख) कोई व्यक्ति भारत में आकर ठहरता हो या भारत आता हो, दोनों मामलों में अन्यथा

(क) भारत में रोज़गार लेने के लिए अथवा रोज़गार ग्रहण करने हेतु; अथवा

(ख) भारत में व्यापार करने पर अथवा व्यवसाय करने हेतु; अथवा

(ग) किसी अन्य प्रयोजन से, ऐसी परिस्थितियों में किसी अनिश्चित अवधि के लिए भारत में ठहरने का उसका आशय इंगित होता हो;

(ii) कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय जो भारत में पंजीकृत अथवा समाविष्ट हो,

(iii) भारत से बाहर विदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाला भारत में स्थित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी,

(iv) किसी भारतीय निवासी द्वारा नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाला भारत से बाहर स्थित कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी,

2.1.30 ''भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति'' का अर्थ उस व्यक्ति से है जो भारतीय निवासी नहीं है ।

2.1.31 ''संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना'' का अर्थ फेमा की अनुसूची 2 और 3 (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अन्तरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2000 में उल्लिखित 'संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना' से है ।

2.1.32 'पात्र विदेशी निवेशक (क्यूएफआई)' का अर्थ आरबीआई/सेबी के विनियमों/आदेशों/परिपत्रों के अनुसार निवेश करने के लिए सेबी की केवाईसी अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाले अनिवासी निवेशक (सेबी पंजीकृत एफआईआई और सेबी पंजीकृत एफवीसीआई के अलावा) से है।

2.1.33 ''आरबीआई'' का अर्थ भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अंतर्गत स्थापित भारतीय रिज़र्व बैंक से है ।

2.1.34 ''रेज़िडेंट एंटिटी (निवासी कम्पनी)'' का अर्थ किसी व्यक्ति को छोड़कर उस व्यक्ति से है जो 'भारत में निवास करता हो|

2.1.35 ''रेज़िडेंट इण्डियन सिटिज़न (निवासी भारतीय नागरिक)'' की व्याख्या भारत में निवासकर्ता व्यक्ति की परिभाषा के अनुरूप फेमा, 1999 के अनुसार है, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के संयोजन में पठित है|

2.1.36 ''सेबी'' का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड से है ।

2.1.37 ''एसईज़ेड'' का अर्थ विशेष आर्थिक ज़ोन अधिनियम, 2005 में यथा निर्धारित विशेष आर्थिक ज़ोन है ।

2.1.38 ''एसआईए'' का अर्थ डीआईपीपी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार में औद्योगिक सहायता सचिवालय है ।

2.1.39 ''हस्तान्तरणीय विकास अधिकार'' (टीडीआर) का अर्थ एक ऐसी श्रेणी की भूमि, जिसे सार्वजनिक प्रयोजनार्थ केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा यह मानते हुए कि भू स्वामी द्वारा भूमि बिना आर्थिक मुआवजे के सौंप दी जाएगी, अधिग्रहण करने पर जारी प्रमाणपत्रों से है जो आंशिक रुप से अथवा पूर्ण रुप से हस्तांतरणीय हैं।

2.1.40 ''उद्यम पूँजी निधि''(वीसीएफ) का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम पूँजी निधि) विनियमन, 1996 के अंतर्गत निगमित और पंजीकृत निकाय सहित एक न्यास, एक कम्पनी के रुप में स्थापित एक निधि है, जो

(i) एक समर्पित पूँजी पूल है;

(ii) विनियमनों के अंतर्गत निर्धारित तरीके से जुटाई गयी है; और

(iii) विनियमनों के अनुसार निवेश करती है ।

अध्याय 3: एफडीआई की सामान्य शर्तें

3.1 भारत में कौन निवेश कर सकता है?

3.1.1 कोई अनिवासी व्यक्ति (पाकिस्तान के किसी नागरिक अथवा पाकिस्तान में निगमित किसी कम्पनी को छोड़कर) एफडीआई नीति के अनुसार भारत में निवेश कर सकता है । बंगला देश का कोई नागरिक अथवा बंगला देश में निगमित कम्पनी सरकार के माध्यम से ही निवेश कर सकती है ।

3.1.2 नेपाल और भूटान निवासी एनआरआई तथा नेपाल और भूटान के नागरिक प्रत्यायोजन आधार पर भारतीय कंपनियों की पूंजी में निवेश हेतु अनुमेय हैं बशर्ते ऐसे निवेश हेतु उक्त धनराशि का सामान्य बैंकिग चैनलों के माध्यम से मुक्त विदेशी मुद्रा में आवक विप्रेषण द्वारा ही भुगतान कर सकते हैं ।

3.1.3 ओसीबी की 16 सितम्बर, 2003 से भारत में एक श्रेणी के निवेशकों के रुप में मान्यता समाप्त कर दी गयी है । पूर्ववर्ती ओसीबी जो विदेश में निगमित है और आरबीआई के नोटिस में प्रतिकूल नहीं हो, अनिवासी कम्पनियों के रुप में निगमन यदि सरकारी मार्ग से निवेश हो तो भारत सरकार की पूर्वानुमति से और स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से निवेश आरबीआई की पूर्वानुमति से है तो एफडीआई नीति के अंतर्गत नया निवेश कर सकते हैं ।

3.1.4 (i) पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत किसी भारतीय कम्पनी की पूँजी में कोई एफआईआई निवेश कर सकती है, जिसमें एफआईआई की निजी धारिता की सीमा कम्पनी की पूंजी से अधिक नहीं रखी गई है और जिसमें एफआईआई निवेश के लिए समग्र सीमा कम्पनी की पूंजी के 24% से अधिक नहीं रखा गया है। 24% की समग्र सीमा को संबंधित भारतीय कम्पनी द्वारा अपने निदेशक मण्डल द्वारा पारित संकल्प तदुपरांत अपनी सामान्य सभा द्वारा उस आशय के विशेष संकल्प को पारित करने के माध्यम से तथा आरबीआई को पूर्व सूचना के अध्यधीन यथा लागू तौर पर क्षेत्रगत सीमा/सांविधिक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश स्कीम में समग्र एफआईआई निवेश उपर्युक्त सीमाओं के भीतर होना चाहिए।

(ii) एफडीआई नीति के तहत एफआईआई को भारतीय कम्पनी द्वारा जारी शेयरों, जिनके लिए भुगतान कम्पनी के लेखे में सीधे प्राप्त किया गया, रिपोर्ट की एफसी- जीपीआर फॉर्म के मद सं. 5 **(अनुबंध-I)** के तहत अलग से दर्ज की जानी चाहिए ।

(iii) अभिरक्षक बैंक द्वारा सभी लेन-देनों (कृत्रिम व्यापार को छोड़कर) के संबंध में एक दैनिक विवरण निर्धारित फार्मेट में फ्लॉपी/सॉफ्ट कॉपी में सीधे आरबीआई को प्रस्तुत करना होगा ।

3.1.5 विदेशी मुद्रा प्रबंधन (अनिवासी भारतीय द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमन, 2000 की अनुसूची क्रमश: 2 और 3 के अनुसार एफआईआई और एनआरआई, जो सेबी में पंजीकृत है,

मात्र वे ही मान्यता प्राप्त भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर भारतीय कंपनियों की पूँजी में पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से निवेश/व्यापार कर सकते हैं ।

3.1.6 सेबी में पंजीकृत विदेशी उद्यम पूँजी निवेशक (एफवीसीआई) एक भारतीय उद्यम पूँजी उपक्रम (आईवीसीयू) की पूँजी का 100% तक अंशदान कर सकता है तथा निधि के प्रबंधन हेतु एक घरेलू सम्पदा प्रबंधन कम्पनी की भी स्थापना कर सकता है । ऐसे सभी निवेश फेमा 20 की अधिसूचना की अनुसूची 6 के अनुसार स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत किए जा सकते हैं । सेबी में पंजीकृत एफवीसीआई सेबी (उद्यम पूंजी निधि) विनियम, 1996 के अंतर्गत पंजीकृत घरेलू उद्यम पूँजी निधि में निवेश कर सकता है । ऐसे निवेश क्षेत्रीय नियंत्रणों आदि सहित वर्तमान फेमा विनियमनों और एफडीआई नीति की सीमा के भी अध्यधीन हैं । सेबी में पंजीकृत एफवीसीआई को अन्य कंपनियों में अनिवासियों के वर्तमान एफडीआई स्कीम के अंतर्गत निवेश हेतु एफडीआई नीति और फेमा विनियमनों की शर्त पर अनुमति है ।

इसके साथ ही एफवीसीआई को निजी व्यवस्था/तृतीय पक्ष से खरीद द्वारा पात्र प्रतिभूतियों (इक्विटी, इक्विटी से जुड़े लिखतों, ऋण, ऋण लिखतों, आईवीसीयू अथवा वीसीएफ के ऋण पत्र (डिबेंचर), वीसीएफ द्वारा स्थापित योजनाओं/निधि की इकाइयां) में निवेश करने की अनुमति है जो समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी में उल्लिखित निबंधन व शर्तों के अधीन है। यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि सेबी पंजीकृत एफवीसीआई को समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (एफबीसीआई) विनियम, 2000 के प्रावधानों तथा इसमें उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति है।

3.1.7 **इक्विटी शेयरों में पात्र विदेशी निवेशकों (क्यूएफआई) का निवेश**

3.1.7.1 क्यूएफआई को भारत के मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में मान्यता प्राप्त ब्रोकरों के जरिए सूचीगत भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों तथा सेबी के संगत तथा लागू दिशा-निदेर्शों/विनियमों के अनुसार भारत में जनता के लिए पेशकश किए गए भारतीय कंपनियों के इक्विटी शेयरों में ही सेबी पंजीकृत न्यासी हिस्सेदारों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति है। क्यूएफआई को स्टॉक विखंडन/समेकन से प्राप्त अधिकार शेयरों, बोनस शेयरों या इक्विटी शेयरों अथवा समामेलन, अलग होने अथवा ऐसे कार्पोरेट क्रियाकलापों से प्राप्त इक्विटी शेयरों के माध्यम से इक्विटी शेयरों के अर्जन की भी अनुमति है जो निर्धारित निवेश सीमाओं के अध्यधीन है। क्यूएफआई को सेबी के संगत दिशा-निर्देशों के अध्यधीन अर्जित इक्विटी शेयरों को बेचने की अनुमति है।

3.1.7.2 क्यूएफआई के लिए अलग-अलग तथा औसत निवेश सीमाएं एक भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी की क्रमश: 5 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत होंगी। ये सीमाएं भारत में विदेशी निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत निर्धारित एफआईआई और एनआरआई निवेश की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त हैं। इसके साथ ही मौजूदा एफडीआई नीति के तहत जहां भी समेकित क्षेत्रगत

सीमाएं हैं, इक्विटी शेयरों में क्यूएफआई निवेश के लिए ये सीमाएं ऐसी समग्र एफडीआई क्षेत्रगत सीमाओं के अन्दर भी आएंगी।

3.1.7.3 क्यूएफआई द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान सीधे क्यूएफआई के प्राधिकृत विदेशी बैंक खाते में किया जा सकता है या सिंगल रुपी पूल बैंक आकाउंट में जमा कराया जा सकता है। यदि लाभांशों का भुगतान सिंगल रुपी पूल बैंक आकाउंट में जमा करा कर किया जाता है तो पांच कार्य दिवसों (सिंगल रुपी पूल बैंक आकाउंट में ऐसी निधि जमा करने की तारीख सहित) के भीतर इसे क्यूएफआई के प्राधिकृत विदेशी बैंक खाते में भेज दिया जाना चाहिए। इन पांच कार्य दिवसों के अन्दर लाभांश भुगतान का इस्तेमाल इस योजना के तहत नए इक्विटी शेयर खरीदने में किया जा सकता है, यदि क्यूएफआई द्वारा ऐसा अनुदेश दिया गया हो।

3.2 **कम्पनी (एंटिटीज़) जिनमें एफडीआई की जा सकती है ।**

3.2.1 एक भारतीय कम्पनी में एफडीआईः भारतीय कम्पनियां एफडीआई पर पूँजी जारी कर सकती हैं ।

3.2.2 साझेदारी फर्म/स्वामित्व संस्था में एफडीआईः

(i) एक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) अथवा भारत के बाहर रहने वाला भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) भारत की किसी फर्म अथवा स्वामित्व वाले संस्थान की पूँजी में गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर निवेश कर सकता है बशर्तेः

(क) धनराशि आवक विप्रेषण अथवा अधिकृत डीलरों/अधिकृत बैंकों में चल रहे अनुरक्षित एनआरआई/एफसीएनआर (बी)/एनआरओ के खाते से निवेशित हो ।

(ख) वह फर्म अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी किसी कृषि/वृक्षारोपण अथवा स्थावर संपदा व्यापार अथवा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में न लगी हो ।

(ग) निवेशित धनराशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी ।

(ii) **प्रत्यावर्तन विकल्प के साथ निवेशः** एनआरआई/पीआईओ प्रत्यावर्तन के विकल्प के साथ मात्र स्वामित्व वाली कंपनियों/साझेदारी फर्मों में निवेश हेतु रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति ले सकते हैं । आवेदन पर भारत सरकार के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा ।

(iii) एनआरआई/पीआईओ से भिन्न अनिवासियों द्वारा निवेशः एनआरआई/पीआईओ से भिन्न विदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में किसी फर्म अथवा किसी स्वामित्व वाली कम्पनी अथवा व्यक्तियों को किसी एसोसिएशन की पूंजी में निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति हेतु आवेदन कर सकता है, आवेदन पर भारत सरकार के परामर्श से निर्णय लिया जाएगा ।

(iv) प्रतिबंध: किसी भी एनआरआई अथवा पीआईओ को किसी कृषि/वृक्षारोपण अथवा स्थावर सम्पदा व्यापार अथवा प्रिंट मीडिया से जुड़ी किसी फर्म अथवा स्वामित्व वाली कम्पनी में निवेश की अनुमति नहीं होगी ।

3.2.3 उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) में एफडीआईः एफवीसीआई को इस परिपत्र के पैरा 3.1.6 में यथाकथित भारतीय उद्यम पूँजी उपक्रमों (आईवीसीयू)/उद्यम पूँजी निधियों (वीसीएफ)/अन्य कंपनियों में निवेश की अनुमति होगी । यदि घरेलू वीसीएफ को न्यास के रुप में स्थापित किया गया हो तो एक भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (अनिवासी व्यक्ति/ एनआरआई सहित कोई व्यक्ति) एफआईपीबी की स्वीकृति की शर्त पर ऐसे घरेलू वीसीएफ में निवेश कर सकता है । तथापि, कोई घरेलू वीसीएफ, कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत कम्पनी के रुप में स्थापित की गयी है तो अनिवासी व्यक्ति (अनिवासी व्यक्ति/व्यक्गित सहित एनएनआरआई) एफडीआई स्कीम के स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ऐसे घरेलू वीसीएफ में मूल्य दिशानिर्देश, रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, भुगतान के तरीके, न्यूनतम पंजीकरण मानदण्डों आदि की शर्त पर निवेश कर सकता है ।

3.2.4 न्यासों में एफडीआईः वीसीएफ से भिन्न न्यासों में एफडीआई अनुमेय नहीं है ।

3.2.5 सीमित दायित्व साझेदारी (एलएलपी) में एफडीआईः एलएलपी में एफडीआई निम्नलिखित शर्तों पर अनुमेय हैः

(क) एफडीआई की अनुमति स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से तथा जहां एफडीआई से जुड़ी निष्पादन स्थितियां नहीं हैं (जैसे गैर बैंकिग वित्त कम्पनियां अथवा नगर क्षेत्र आवास, इमारतदार अवस्थापना का विकास तथा निर्माण-विकास परियोजनाएं आदि) केवल एलएलपी प्रचालन क्षेत्रों/कार्यकलापों जहां 100% एफडीआई की अनुमति है, वहां सरकारी अनुमोदन मार्ग से होगी ।

(ख) कृषि/वृक्षारोपण कार्यकलाप, प्रिंट मीडिया अथवा स्थावर सम्पदा व्यापार में कार्य करने के लिए एलएलपी के साथ एफडीआई की अनुमति नहीं होगी ।

(ग) एफडीआई वाली किसी भारतीय कम्पनी को एक एलएलपी में अंतर्वाह निवेश करने की अनुमति तभी होगी यदि कम्पनी तथा एलएलपी-दोनों ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत हों जहां 100% एफडीआई स्वत: अनुमोदन मार्ग के माध्यम से अनुमेय है और वहां एफडीआई से जुड़ी निष्पादन शर्तें नहीं हैं ।

(घ) एफडीआई सहित एलएलपी की अंतर्वाह निवेशों के लिए कोई पात्रता नहीं होगी ।

(ङ) एलएलपी में विदेशी पूंजी भागीदारी की अनुमति संबंधित व्यक्ति किसी अधिकृत डीलर/अधिकृत बैंक द्वारा अनुरक्षित के एनआरआई/ एफसीएनआर खाते में डेबिट करने अथवा सामान्य बैंकिग चैनलों के माध्यम से आवक प्रेषण केवल नकदी के माध्यम से होगी ।

(च) एलएलपी में विदेशी सांस्थानिक निवेशकों (एफआईआई) और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) द्वारा निवेश की अनुमति नहीं होगी । एलएलपी को बाह्य वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) की प्राप्त करने की भी अनुमति नहीं होगी ।

(छ) यदि एफडीआई युक्त एलएलपी एक कारपोरेट निकाय है, जो एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार एक नामित साझीदार है अथवा किसी व्यक्ति के रुप में कार्य करने के लिए नामित है, ऐसा कारपोरेट निकाय कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन भारत में एक कम्पनी के रुप में पंजीकृत होगा न कि किसी अन्य निकाय के रुप में जैसे कि एलएलपी अथवा न्यास ।

(ज) ऐसे एलएलपी के लिए नामित साझीदार "भारत में निवासी" जिन्हें एलएलपी अधिनियम, 2008 की धारा 7(1) की व्याख्या में परिभाषित किया गया है, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 2(v) (i) में निर्धारित "भारत में रह रहे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, का भी औचित्य सिद्ध करेगा ।

(झ) नामित साझीदार उपर्युक्त सभी शर्तों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा तथा यदि कोई उल्लंघन होता है तो एलएलपी पर लगाये जाने वाले सभी शास्तियों का भागी होगा ।

(ञ) एफडीआई वाली किसी कम्पनी का किसी एलएलपी में परिवर्तन तभी अनुमेय होगा जब उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन हो तथा एफआईपीवी/सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त हो ।

3.2.6 अन्य कम्पनियों (एंटिटीज़) में एफडीआईः उपर्युक्त उल्लिखित से भिन्न निवासी एंटिटीज़ में एफडीआई अनुमेय नहीं है।

3.3 <u>लिखतों के प्रकार</u>

3.3.1 भारतीय कम्पनियां फेमा विनियमनों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों/निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों के अधीन इक्विटी शेयरों को, पूर्णतः, अनिवार्यत: और अधिदेशात्मक रुप में परिवर्तनीय डिबेंचरों को और पूर्णतः, अनिवार्यत: तथा अधिदेशात्मकरूप में परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को जारी कर सकती है । परिवर्तनीय पूंजी लिखतों के मूल्य/परिवर्तन नियम लिखतों के जारी होते समय ही अग्रिम रूप से निर्धारित कर दिए जाने चाहिए । विद्यमान फेमा विनियमनों के अनुसार ऐसे लिखतों को जारी करते समय के परिकलित उचित मूल्य {गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए मूल्यांकन की डीसीएफ पद्धति तथा सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के संबंध में मूल्यांकन} से परिवर्तन के समय का मूल्य किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए ।

3.3.2. अन्य प्रकार के अधिमानी शेयर/डिबेंचर्स अर्थात अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रुप से परिवर्तनीय, जिनके लिए दिनांक 1 मई, 2007 को अथवा उसके पश्चात हुई हों, को ऋण

के रुप में माना जाता है । तदनुसार पात्र ऋण प्राप्तकर्ताओं, मान्य ऋणदाताओं, धनराशि और परिपक्वता, अंतिम उपयोग शर्त आदि से संबंधित ईसीबी के लिए प्रचलित सभी मानदण्ड लागू होंगे । चुंकि ये लिखत रुपये के मूल्य में होंगे, अतः रुपये की ब्याज दर लन्दन इण्टर बैंक आफर्ड रेट (एलआईबीओआर) जमा ईसीबी के अनुरुप परिपक्वता हेतु अनुमेय यथा प्रभारित दर के समकक्ष विनिमय पर आधारित होगी ।

3.3.3. डीआर और एफसीसीबी के ज़रिए भारतीय कम्पनी द्वारा प्राप्त आवक विप्रेषण को एफडीआई के रुप में माना जाता है तथा एफडीआई के लिए गिना जाता है ।

3.3.4. **एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयर जारी करना**

(i) भारतीय कम्पनियां विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स और सामान्य शेयर (जमा प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 के निर्गम की स्कीम तथा उसके अंतर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एफसीसीबी/डीआर (एडीआर/जीडीआर) के निर्गम के माध्यम से विदेश में विदेशी मुद्रा संसाधनों की उगाही कर सकती है ।

(ii) कोई कम्पनी, यदि एफडीआई नीति के तहत विदेश में रहने वाले व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए पात्र है, तो वह एडीआर/जीडीआर जारी कर सकती है । तथापि, एक भारतीय सूचीबद्ध कम्पनी जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा प्रतिभूति बाज़ार में पहुंच हेतु निषेध किया गया है, साथ ही जो भारतीय पूंजी बाज़ार से निधियां जुटाने के लिए पात्र नहीं है, एडीआर/जीडीआर निर्गम करने के लिए पात्र नहीं होगी ।

(iii) गैर सूचीबद्ध कंपनियाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पूंजी जुटाने के लिए एडीआर/जीडीआर मार्ग हेतु पहुंच नहीं हो पायी है, से घरेलू बाज़ार में पूर्व अथवा साथ-साथ सूचीबद्ध होने की अपेक्षा की जाएगी जब वे ऐसे विदेशी पत्रों के निर्गम की अपेक्षा करेंगी । गैर-सूचीबद्ध कंपनियों, जिन्होंने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में एडीआर/जीडीआर का निर्गम कर लिया है, को लाभ प्राप्त करने पर घरेलू बाज़ार में अथवा एडीआर/जीडीआर के ऐसे निर्गम के तीन वर्षों के भीतर, जो भी पहले हो सूचीबद्ध होना होगा । एडीआर/जीडीआर, निर्गम के शीर्ष प्रबंधक के परामर्श से भारतीय कंपनियों द्वारा परिकलित अनुपात के आधार पर जारी किए जाते हैं । इस प्रकार जुटाई गयी प्राप्तियां तब तक विदेश में रखी जाएंगी जब तक कि भारत में उसकी आवश्यकता न हो । प्रत्यावर्तन मिलने तक अथवा प्राप्तियों का उपयोग होने तक भारतीय कम्पनियां निधियों का निवेश कर सकती हैं:

(क) इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दरों से अनधिक दरों के साथ स्टेंडर्ड और न्यून फिच, आईबीसीए, मूडी द्वारा कोटि निर्धारण किए गए अनुसार बैंक की दरों पर जमा, जमा के प्रमाणपत्रों अथवा अन्य लिखतों के साथ;

(ख) भारत से बाहर भारतीय अधिकृत डीलरों की शाखाओं में जमा; और

(ग) ट्रेजरी बिल और अन्य वित्तीय लिखत जिनकी परिपक्वता अथवा परिपक्वता अवधि एक वर्ष या उससे कम समय में समाप्त न हो|

(iv) स्थावर सम्पदा अथवा स्टॉक मार्किट में ऐसी निधियों को लगाने/निवेश करने पर प्रतिबंध के अलावा अंतिम उपयोग हेतु कोई नियंत्रण नहीं है। एक भारतीय कम्पनी द्वारा एडीआर/जीडीआर जुटाने पर कोई वित्तीय सीमा नहीं है ।

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों की विनिवेश प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम स्तरीय अधिग्रहण हेतु और जनता के लिए अनिवार्य वित्तीय स्तरीय प्रस्ताव में भी उनके कार्यनीतिक महत्व की दृष्टि से एडीआर/जीडीआर प्राप्तियों का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) स्कीम के अंतर्गत जारी शेयरों पर वोटिंग अधिकार कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार होंगे तथा एडीआर/जीडीआर निर्गमों पर जिस तरीके से नियंत्रण लगाये गये हैं वे कम्पनी कानून के प्रावधानों के अनुसार होंगे । बैंकिग कम्पनियों के मामले में वोटिंग अधिकार बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 के प्रावधानों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुरूप में जारी रहेंगे जैसे ये सभी शेयर धारकों के लिए मौजूदा वोटिंग अधिकारों का निष्पादन करने के लिए लागू हैं ।

(vii) तत्कालीन ओसीबी जो भारत में निवेश के पात्र नहीं हैं और सेबी द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद, बिक्री करने अथवा कार्य निषेध वाली कम्पनियां भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर हेतु अंशदान देने के पात्र नहीं होंगी ।

(viii) एडीआर/जीडीआर निर्गमों का मूल्य निर्धारण विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों और सामान्य शेयरों (न्यासी प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 के निर्गम की स्कीम के प्रावधानों और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर किया जाना चाहिए ।

(ix) प्रायोजित एडीआर/जीडीआर का मूल्य निर्धारण विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स और सामान्य शेयरों (न्यासी प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 के निर्गम की स्कीम के प्रावधानों के अंतर्गत और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाएगा ।

3.3.5 (i) द्विमार्गी प्रतिमोच्यता स्कीम: भारत सरकार ने एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की एक सीमित स्कीम लागू की है| इस स्कीम के अंतर्गत भारत में सेबी में पंजीकृत कोई स्टॉक ब्रोकर विदेशी निवेशकों से प्राप्त निर्देशों एडीआर/जीडीआर में परिवर्तन हेतु बाज़ार से भारतीय कम्पनी के शेयर खरीद सकता है । एडीआर/जीडीआर के आधार पर के पुनःनिर्गम की अनुमति एडीआर/जीडीआर की उस सीमा तक होगी जिसमें अण्डरलाइंग शेयरों के रुप में मोचन किया गया है और भारतीय बाज़ार में बेचा गया है ।

(ii) प्रायोजित एडीआर/जीडीआर निर्गमः भारतीय कम्पनी एडीआर/जीडीआर के किसी निर्गम को प्रायोजित कर सकती है । इस तंत्र के अंतर्गत कम्पनी अपने निवासी शेयरधारकों को अपने शेयर वापस कम्पनी को देने का विकल्प करती है ताकि ऐसे शेयरों के आधार पर एडीआर/जीडीआर को विदेशों में जारी किया जा सके । एडीआर/जीडीआर निर्गमों की प्राप्तियों को वापस भारत में प्रेषण किया जाता है और निवासी निवेशकों में बांट दिया जाता है जिन्होंने अपने रुपये मूल्य वाले शेयरों को परिवर्तन हेतु प्रस्तुत किया था । इन प्राप्तियों को निवासी शेयरधारकों द्वारा, जिन्होंने एडीआर/जीडीआर में परिवर्तन हेतु ऐसे शेयर दिये थे, भारत में निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खातों में रखा जा सकता है ।

3.4 <u>शेयरों का निर्गम/अंतरण</u>

3.4.1 सामान्य बैंकिग माध्यमों जिनमें इस उद्देश्य के लिए खोले गये/अनुरक्षित निलम्ब खाते शामिल हैं अथवा अनिवासी निवेशक के एनआरआई/एफसीएनआर(बी) खाते हेतु नामे डालते हुए प्राप्त आवक विप्रेषण की प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों के भीतर पूंजी लिखत जारी कर दिए जाने चाहिए । यदि, आवक विप्रेषण की प्राप्ति की तिथि से अथवा एनआरआई/एफसीएनआर (बी) खाते हेतु नामे डाले जाने की तिथि से 180 दिनों के भीतर पूंजी लिखत जारी नहीं किए जाते हैं तो ऐसी प्राप्त संबंधित धनराशि को सामान्य बैंकिग चैनलों अथवा एनआरआई/एफसीएनआर(बी) खाते में जमा करते हुए आवक विप्रेषण द्वारा, जैसा भी मामला हो, अनिवासी निवेशक को तुरंत वापस कर दी जानी चाहिए । उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने पर इसे फेमा का उल्लंघन माना जाएगा और दण्ड के प्रावधान लगाए जाएंगे । विशेष अपवाद वाले मामलों में संबंधित धनराशि की वापसी में प्राप्ति की तिथि से 180 दिनों से अधिक की अवधि तक के विलंब पर मामले के गुणदोष के आधार पर आरबीआई द्वारा विचार किया जा सकता है ।

3.4.2 शेयरों का निर्गम मूल्यः एफडीआई नीति के अंतर्गत विदेश में रह रहे व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निम्नलिखित से कम नहीं होंगेः-

क. भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनी के शेयरों का मूल्य सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलित, यथा लागू मूल्य;

ख. जहां कम्पनी के शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध न हो वहां छूट प्राप्त मुक्त नकदी प्रवाह प्रक्रिया के अनुसार श्रेणी-। मर्चेंट बैंकर अथवा कोई चार्टर्ड एकाउण्टेंट, जो सेबी में पंजीकृत हो, के द्वारा किया गया शेयरों का उचित मूल्यांकन; और

ग. रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवासी को निवासी द्वारा शेयरों के अन्तरण हेतु लागू मूल्य जहां शेयरों का निर्गम अधिमानी आबंटन पर होता है ।

3.4.3 विदेशी मुद्रा खाता- जो भारतीय कंपनियां, एफडीआई नीति के अंतर्गत अनिवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने हेतु पात्र हैं, उन्हें आरबीआई की पूर्वानुमति से विदेशी मुद्रा खाते में शेयर अंशदान धनराशि रखने की अनुमति होगी ।

3.4.4. शेयरों का अंतरण और परिवर्तनीय डिबेंचर्स -

(i) सुरक्षा शर्तों सहित एफडीआई क्षेत्रगत नीति के अध्यधीन (क्षेत्रगत सीमा और प्रवेश मार्गों (रुटों)से संबंधित), लागू कानूनों एवं अन्य शर्तों पर अनिवासी निवेशक भारतीय शेयर धारकों अथवा अन्य अनिवासी शेयर धारकों से विद्यमान शेयरों की खरीद/अधिग्रहण द्वारा भारतीय कंपनियों में भी निवेश कर सकते हैं । निम्नलिखित शर्त पर अंतरण के द्वारा शेयरों के अधिग्रहण हेतु अनिवासियों/एनआरआई को सामान्य अनुमति दी गई है :

(क) भारत के बाहर निवास करने वाला कोई व्यक्ति (एनआरआई और पूर्व ओसीबी के अलावा) भारत से बाहर निवास करने वाले किसी व्यक्ति को (एनआरआई सहित) बिक्री या उपहार के द्वारा शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरित कर सकता है ।

(ख) एनआरआई भी उसके पास रखे शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों को बिक्री अथवा उपहार द्वारा अन्य एनआरआई को अंतरित कर सकता है ।

(ग) भारत से बाहर रहने वाला कोई व्यक्ति भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति को उपहार के रूप में कोई भी प्रतिभूति अंतरित कर सकता है ।

(घ) कोई अनिवासी भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत किसी स्टॉक ब्रोकर अथवा सेबी में पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर के माध्यम से भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री कर सकता है ।

(ड.) भारत में निवास कर रहा कोई व्यक्ति पैरा 3.4.5.2 तथा **अनुबंध-2** में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्यधीन किसी अनिवासी भारतीय को निजी व्यवस्था के अंतर्गत किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों/ परिवर्तनीय ऋणपत्रों (अंशदाता के शेयरों के अंतरण सहित) की बिक्री द्वारा अन्तरण कर सकता है ।

(च) किसी अनिवासी भारतीय द्वारा भारतीय निवासी को पैरा 3.4.5.2 तथा **अनुबंध-2** में दिए गए दिशानिर्देशों के अध्यधीन निजी व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री के माध्यम से शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को अन्तरित करने की अनुमति भी उपलब्ध है ।

(छ) उपर्युक्त सामान्य अनुमति में कोई भारतीय कम्पनी, जो पहले सरकारी मार्ग (रूट) के अंतर्गत परन्तु अब स्वत: अनुमोदन मार्ग में पड़ने के कारण उसके अंतर्गत गति-विधियों से जुड़ी हो, के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का किसी निवासी द्वारा किसी अनिवासी को अंतरण तथा किसी अनिवासी द्वारा कम्पनी की, वापसी खरीद और/अथवा पूंजी ह्रास स्कीम के अंतर्गत किसी भारतीय कम्पनी को शेयरों का अन्तरण शामिल है।

(ज) प्रतिफल धनराशि की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर एडी श्रेणी-। बैंक को फॉर्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत करना चाहिए । निर्धारित समय सीमा में एफसी-टीआरएस फॉर्म प्रस्तुत करने का दायित्व अंतरणकर्ता/अंतरिती निवासी भारतीय का होगा ।

(ii) भारत के बाहर रहने वाले किसी भारतीय द्वारा इक्विटी लिखतों की खरीद के संबंध में बिक्री की धनराशि जो सामान्य बैंकिग चैनलों के माध्यम से प्रेषित की गयी हो, निधियों की प्राप्ति के समय प्रेषण प्राप्तकर्ता एडी श्रेणी-। बैंक द्वारा 'अपने ग्राहक को जानें' (केवाईसी) जांच के आधीन होगी । यदि अंतरण संपादन करने वाले एडी श्रेणी-। बैंक प्रेषण प्राप्ति एडी श्रेणी-। बैंक से भिन्न है तो प्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा अपना ग्राहक जानो (केवाईसी) जांच करवानी चाहिए और ग्राहक द्वारा केवाईसी रिपोर्ट एफ़सी़टीआरएस लिखत सहित, लेन-देन करने वाले एडी श्रेणी-। बैंक को प्रस्तुत की जाएगी ।

(iii) **निलम्ब:**- खुले प्रस्ताव/एक्ज़िट प्रस्ताव तथा शेयरों के गैर-सूचीकरण हेतु अनिवासी कारपोरेट के निलम्बन खाता और विशेष खाता खोलने के लिए एडी श्रेणी-। बैंक को सामान्य अनुमति दी गयी है । संगत सेबी (एसएएसटी) विनियमन अथवा लागू कोई अन्य सेबी विनियमन/कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होंगे। एडी श्रेणी-। बैंकों को निवासियों/गैर-निवासियों के पक्ष में शेयर खरीद पर भुगतान हेतु और/अथवा आरबीआई द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों की शर्त पर एफडीआई लेन-देनों की अनुकूलता हेतु प्रतिभूतियां रखने के लिए निलंब खाता सुविधाएं मुहैया करने के लिए भारत में भारतीय रुपये में ब्याज वाले निलंबित लेखों को आरबीआई की पूर्वानुमति बिना खोलने और रखने के लिए भी अनुमति प्रदान की गयी है । सेबी अधिकृत न्यासी सहभागियों को भी आरबीआई द्वारा

निर्धारित शर्तों और निबंधनों की शर्त पर प्रतिभूतियों के लिए निलंब खाता आरबीआई की पूर्वानुमति लिए बिना खोलने और रखने की अनुमति दी गयी है । दोनों मामले में निलंब खाता एजेंट आवश्यक रुप से एक एडी श्रेणी-। बैंक अथवा सेबी अधिकृत न्यासी सहभागी (प्रतिभूति लेखों के मामले में) होगा । ये सुविधाएं अनिवासियों के लिए नए शेयरों के निर्गमों तथा अनिवासियों को/से शेयरों के अंतरण दोनों के लिए लागू होंगी ।

3.4.5 पूंजी लिखतों के अन्तरण हेतु कुछ मामलों में आरबीआई की पूर्वानुमति-

3.4.5.1 नीचे पैराग्राफ 3.4.5.2 में उल्लिखित मामलों को छोड़कर, निम्नलिखित मामलों में आरबीआई का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है:

(i) निवासी से अनिवासी को विक्रय के माध्यम से पूंजी लिखितों का अंतरण जहां:

(क) अंतरण उस मूल्य पर हो जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट मूल्यगत दिशानिर्देशों के बाहर हो तथा यह लेन-देन पैरा 3.4.5.2 में दिए गए अपवादों के अंतर्गत ना आता हो।

(ख) प्रतिफल की राशि के भुगतान के स्थगन वाले अनिवासी अर्जक द्वारा पूंजीगत लिखतों का अंतरण। इसके साथ ही लेन-देन के लिए अनुमोदन प्रदान किए जाने पर सम्यक तत्परता के लिए इसकी सूचना प्रतिफल की पूर्ण तथा अंतिम राशि प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर एडी श्रेणी-। बैंक को एफसी-डीआरएस फार्म में दी जानी चाहिए।

(ii) भारत में रह रहे व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर रह रहे व्यक्ति को उपहार के तौर पर किसी पूंजीगत लिखत का अंतरण। उपहार के तौर पर किसी पूंजीगत लिखत का अंतरण करने के लिए अनुमोदन हेतु रिजर्व बैंक को आवेदन-पत्र भेजते समय अनुबंध -3 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न करने चाहिए। ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही करते समय रिजर्व बैंक निम्नलिखित कारकों पर विचार करता है:

(क) प्रस्तावित अंतरिती (आदाता) समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 की अनुसूची 1,4 और 5 के अंतर्गत ऐसे पूंजी लिखतों को रखने का पात्र है ।

(ख) उपहार, भारतीय कम्पनी/प्रत्येक श्रृंखला के डिबेंचरों/प्रत्येक म्यूचुअल फंड स्कीम की प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक का नहीं होना चाहिए ।

(ग) भारतीय कम्पनी में लागू क्षेत्रीय नियंत्रण सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया हो।

(घ) अन्तरणकर्ता (प्रदाता) और प्रस्तावित अंतरिती (आदाता) के बीच समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित निकट संबंध है । वर्तमान सूची **अनुबंध-4** में दी गई है ।

(ङ) अंतरित किए जाने वाले पूंजी लिखत के साथ विदेश में रह रहे किसी व्यक्ति को उपहार के रुप में कोई पूंजी लिखत जो पहले ही अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित किया चुका हो, का मूल्य वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 अमरीकी डॉलर के बराबर रुपये के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(च) ऐसी अन्य शर्तें जो समय-समय पर सार्वजनिक हित में रिज़र्व बैंक द्वारा लगायी गयी हों ।

(iii) अनिवासी भारतीय द्वारा अनिवासी को शेयरों का अंतरण।

3.4.5.2 निम्नलिखित मामलों में आरबीआई का अनुमोदन आवश्यक नहीं है:

क. एफडीआई योजना के तहत अनिवासी से निवासी को शेयरों का अंतरण जहां फेमा, 1999 के अंतर्गत मूल्य संबंधी दिशा निर्देशों को पूरा नहीं किया गया है बशर्ते:-

i. मूल तथा परिणामी निवेश क्षेत्रगत सीमाओं, शर्तो (न्यूनतम पूंजीकरण आदि जैसी), सूचना संबंधी आवश्यकताओं, प्रलेखन आदि के संबंध में मौजूदा एफडीआई नीति तथा फेमा विनियमों के अनुसार हैं।

ii. लेन-देन के लिए मूल्य निर्धारण, सेबी के विनिर्दिष्ट/स्पष्ट, मौजूदा और संबद्ध विनियमों/दिशानिर्देशों (जैसे आईपीओ, बही निर्माण, एकमुश्त सौदे, गैर सूचीकरण, निर्गम, खुले प्रस्ताव/पर्याप्त अर्जन/सेबी एसएएसटी, वापसी खरीद) के अनुसार है; और

iii. सेबी के उपर्युक्त संबद्ध विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन एफसी-टीआरसी फार्म में संलग्न कर एडी बैंक को दिया गया है, इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट।

ख. **निवासी से अनिवासी को शेयरों का अंतरण**

i) मौजूदा एफडीआई नीति के अनुसार **जहां शेयरों के अंतरण के लिए एफआईपीबी का पूर्वानुमोदन अपेक्षित** है बशर्ते:

क) एफआईपीबी का अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है; और

ख) शेयरों का अंतरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों और प्रलेखन अपेक्षाओं के अनुसार है।

ii) जहां भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों और प्रलेखन अपेक्षाओं की अनुपालना में **शेयरों का अंतरण सेबी (एसएएसटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार होना है।**

iii) जहां शेयरों का अंतरण फेमा, 1999 के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के दिशानिर्देशों को पूरा नहीं करता बशर्ते:-

क) परिणामी एफडीआई क्षेत्रगत सीमाओं, शर्तों (न्यूनतम पूंजीकरण आदि जैसे), सूचना संबंधी आवश्यकताओं, प्रलेखन आदि के संबंध में मौजूदा एफडीआई नीति तथा फेमा विनियमों के अनुसार हैं।

ख) लेन-देन के लिए मूल्य निर्धारण सेबी के विनिर्दिष्ट/स्पष्ट, मौजूदा और संबद्ध विनियमों/दिशानिर्देशों (जैसे आईपीओ, वही निर्माण, एकमुश्त सौदे, गैर सूचीकरण, निर्गम, खुले प्रस्ताव/पर्याप्त अर्जन/सेबी एसएएसटी, वापसी खरीद) के अनुसार है; और

ग) सेबी उपर्युक्त के संबद्ध विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन एफसी-टीआरसी फार्म में संलग्न कर एडी बैंक को दिया गया है, इस संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेट।

iv) जहां निवेशक कंपनी वित्तीय क्षेत्र में है बशर्ते:

क) संबंधित वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों/निवेश कंपनी के विनियामकों के साथ साथ अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा ऐसी एनओसी को एफसी-टीआरएस फार्म के साथ एडी बैंक को दिया गया।

ख) क्षेत्रगत सीमाओं, शर्तों (जैसे न्यूनतम पूंजीकरण आदि), सूचना संबंधी आवश्यकताओं, प्रलेखन आदि के संबंध में एफडीआई नीति तथा फेमा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

3.4.6 **ईसीबी/एकमुश्त फीस/रायल्टी आदि का इक्विटी में परिवर्तन**

(i) भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों और रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं की शर्त पर परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा को इक्विटी शेयरों में पूर्णतः, अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में विदेशी वाणिज्यिक उधारी (ईसीबी) (उन मानित ईसीबी को छोड़कर) में परिवर्तन करने हेतु सामान्य अनुमति प्रदान की गई है ।

(क) कम्पनी की क्रियाकलाप एफडीआई हेतु स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत शामिल है अथवा कम्पनी ने कम्पनी में विदेशी इक्विटी हेतु सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया है;

(ख) ईसीबी को इक्विटी में परिवर्तन करने के पश्चात विदेशी इक्विटी क्षेत्रीय सीमा, यदि कोई हो, के अंदर हो;

(ग) उपर्युक्त पैरा 3.4.2 के प्रावधान के अनुसार शेयरों का मूल्य निर्धारण; और

(घ) किसी अन्य संविधि तथा लागू विनियमन के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन;

(ङ) स्वत: अनुमोदन मार्ग अथवा सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत प्राप्त की जाने वाली ईसीबी हेतु परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध है और देय अथवा अदेय भुगतान हेतु, ईसीबी के लिए तथा अनिवासी कोलैबोरेशन करने वालों से प्राप्त/अप्राप्त ऋण सुविधा हेतु लागू है ।

(ii) एकमुश्त तकनीकी जानकारी फीस, रायल्टी के लिए शेयरों/अधिमानी शेयरों के निर्गम हेतु प्रवेश मार्ग, क्षेत्रगत सीमा और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों (उपर्युक्त पैरा 3.4.2 के प्रावधानों के अनुसार) तथा लाभ कर नियमों के अनुपालन की शर्त पर भी सामान्य अनुमति उपलब्ध है ।

(iii) निम्नलिखित के लिए सरकारी मार्ग के अंतर्गत एफडीआई नीति के अंतर्गत इक्विटी शेयरों का निर्गम अनुमेय है:

(I) निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के तहत पूंजीगत सामान/मशीनरी/उपकरण (सेकिन्डहैण्ड मशीनरी को छोड़कर) का आयातः

(क) किसी भारतीय निवासी द्वारा पूंजीगत माल/मशीनरी आदि का कोई आयात किया जाता है तो वह आयातों के संबंध में डीजीएफटी/फेमा प्रावधानों द्वारा यथा परिभाषित/भारत सरकार द्वारा जारी निर्यात/आयात नीति के अनुसार होना चाहिए ।

(ख) पूंजीगत माल/मशीनरी/उपकरणों [पुरानी (सेकिन्डहैंड) मशीनरी सहित] का एक तृतीय पक्ष कम्पनी द्वारा, विशेष रुप से आयात करने वाले देश से, एक पृथक मूल्यांकक द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाता है इसके साथ ही ऐसे आयातों के उचित मूल्य के आकलन से संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होती है ।

(ग) आवेदन में लाभदायक स्वामित्व और आयात करने वाली कम्पनी का परिचय तथा विदेशी कम्पनी का भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए ।

(घ) माल के नौपरिवहन की तिथि से 180 दिनों के भीतर किए जाने वाले पूंजीगत माल को एफडीआई में आयात देयताओं के लिए परिवर्तन हेतु आवेदन को सभी पहलुओं से पूर्ण होना चाहिए ।

(II) निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की शर्त पर पूर्व प्रचालनीय/पूर्व-समाविष्ट खर्चे (किराये आदि के भुगतान सहित)

(क) किए गये खर्च हेतु विदेशी प्रोत्साहन द्वारा निधियों के प्रेषण हेतु एफआईआरसी का प्रस्तुतीकरण ।

(ख) सांविधिक खाता परीक्षक द्वारा पूर्व समाविष्ट/पूर्व-प्रचालनीय खर्चों की जांच तथा प्रमाणन ।

(ग) कम्पनी को विदेशी निवेशक द्वारा किए जाने वाले भुगतान को फेमा विनियमनों के अंतर्गत यथा निर्धारित विदेशी निवेशक द्वारा खोले गये बैंक लेखे के माध्यम से अथवा सीधे कम्पनी के करना ।

(घ) कम्पनी के समावेशन की तिथि से 180 दिनों की अवधि में किए जा रहे पूंजी परिवर्तन हेतु आवेदन सभी पहलुओं से पूर्ण होना चहिए ।

<u>सामान्य शर्तें</u>:

(i) परिवर्तन के सभी आवेदन कम्पनी के विशेष संकल्प के साथ भेजे जाने चाहिए ।

(ii) आरबीआई के मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश तथा समुचित कर अनुमोदन की शर्त पर सरकार का अनुमोदन होगा ।

3.5 <u>कुछ मामलों में विशिष्ट शर्तें</u>

3.5.1 राइट/बोनस शेयरों का इश्यू - फेमा प्रावधानों में क्षेत्रगत सीमा, यदि कोई हो, के अनुसरण की शर्त पर विद्यमान अनिवासी शेयर धारकों को मुक्त रुप से राइट/बोनस शेयर निर्गम करने की अनुमति है । तथापि, ऐसे बोनस/ राइट्स शेयर का निर्गम अन्य कानूनों/संविधियों यथा कम्पनी अधिनियम, 1956, सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण के मुद्दे) विनियम, 2009 (सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में) आदि के अनुसार होना चहिए, अनिवासियों को राइट्स प्रस्ताव आधार पर इस प्रकार होगा:

(क) भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कम्पनी के शेयरों के मामले में कम्पनी द्वारा यथा निर्धारित मूल्य पर;

(ख) भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध किसी कम्पनी के शेयरों के मामले में, एक ऐसे मूल्य पर जो राइट आधार पर निवासी शेयर धारकों को प्रस्तावित किए गए मूल्य से कम न हो।

3.5.2 **पूर्ववर्ती ओसीबी को राइट्स इश्यू जारी करने के लिए आरबीआई की पूर्वानुमति -** ओसीबी को 16 सितम्बर, 2003 से निवेशकों की श्रेणी के रुप में गैर-मान्यता प्राप्त कर दिया गया है । इसलिए ऐसी तत्कालीन ओसीबी को राइट्स शेयर जारी करने की इच्छुक कंपनियों को आरबीआई से विशेष पूर्वानुमति लेनी होगी । इस प्रकार तत्कालीन ओसीबी को राइट्स शेयर की पात्रता स्वतः उपलब्ध नहीं है । तथापि, आरबीआई के अनुमोदन के बिना तत्कालीन ओसीबी को बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं ।

3.5.3 निवासियों द्वारा अनिवासियों को राइट्स शेयर का अतिरिक्त आबंटन- विद्यमान शेयरधारकों को पूर्णतः, आनवार्य रुप से और अधिदेशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों/पूर्णतः, अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के उनके राइट्स शेयर पात्रता के अतिरिक्त और शेयर जारी करने के लिए आवेदन करने की अनुमति है । निवेश प्राप्त कम्पनी, इस शर्त पर कि कम्पनी के कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों के लिए शेयरों का समग्र निर्गम क्षेत्रगत सीमा से अधिक न हो, उनको गैर अभिदत्त हिस्से में से अतिरिक्त राइट्स शेयर आबंटित कर सकती है ।

3.5.4 **विलय/निर्विलय/एकीकरण की स्कीम के अंतर्गत शेयरों का अधिग्रहण -** भारत में कंपनियों का विलय/निर्विलय/एकीकरण सामान्यतः विलय/निर्विलय/एकीकरण करने के लिए कंपनियों द्वारा प्रस्तुत स्कीम के आधार पर सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश द्वारा शासित होता है । एक बार जब दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलय अथवा निर्विलय अथवा एकीकरण की स्कीम भारत में किसी न्यायालय द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो अन्तरित की गई कम्पनी अथवा नई कम्पनी को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनिवासी अंतरित कम्पनी के शेयर धारकों के लिए शेयर जारी करने की अनुमति होती हैः-

(i) अंतरिती अथवा नई कम्पनी में भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों के शेयर होल्डिंग का प्रतिशत क्षेत्रगत सीमा से अधिक न हो; और

(ii) अंतरणकर्ता कम्पनी अथवा अंतरिती अथवा नई कम्पनी एफडीआई नीति के अंतर्गत निषिद्ध गतिविधियों में न लगी हो ।

3.5.5. कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (ईएसओपी) के अंतर्गत शेयरों का निर्गम -

(i) कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (ईएसओपी) के अंतर्गत भारत में सूचीबद्ध कंपनियों को अपने कर्मचारियों अथवा अपने संयुक्त उद्यम के कर्मचारियों अथवा पूर्णरुप से स्वामित्व वाली विदेशों में अनुषंगी कम्पनी के कर्मचारियों, जो पाकिस्तान के नागरिकों से भिन्न भारत से बाहर रहते

हैं, के लिए शेयर जारी करने की अनुमति है । बंगलादेश के नागरिकों को एफआईपीबी की पूर्वानुमति से ईएसओपी जारी किए जा सकते हैं । ईएसओपी इन शर्तों पर सीधे अथवा किसी न्यास के माध्यम से जारी किए जा सकते हैं:

(क) इस स्कीम को सेबी द्वारा जारी संगत विनियमनों के अनुसार तैयार किया गया है; और

(ख) अनिवासी कर्मचारियों को स्कीम के अंतर्गत आबंटित किए जाने वाले शेयरों का अंकित मूल्य जारी करने वाली कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक न हो।

(ii) गैर पंजीकृत कंपनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों का अनुसरण करना होता है । भारतीय कम्पनियां कर्मचारियों को, जो भारत से बाहर के निवासी हैं परन्तु पाकिस्तान के नागरिक नहीं हैं, ईएसपीओ जारी कर सकती हैं । ईएसपीओ एफआईपीबी के पूर्वानुमति के साथ बंगलादेश के नागरिकों को जारी किए जा सकते हैं ।

(iii) जारीकर्ता कम्पनी को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवासी कर्मचारियों को स्कीम के अंतर्गत स्टॉक विकल्पों को प्रदान करने के और तत्पश्चात फॉर्म एफसी-जीपीआर में शेयरों के जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर ऐसे स्टॉक विकल्पों को सम्पादित करने के लिए बाद में शेयरों के निर्गम के ब्यौरे की सूचना देने/सादे कागज पर ब्यौरे देने की आवश्यकता होती है।

3.5.6 शेयरों की अदला-बदली: शेयरों के स्वाप द्वारा निवेशों के मामलों में शेयरों की धनराशि के निरपेक्ष मूल्यांकन सेबी में पंजीकृत श्रेणी-। मर्चेण्ट बैंकर अथवा मेजबान देश में उपयुक्त विनियामक प्राधिकारी में पंजीकृत भारत से बाहर निवेश बैंकर द्वारा किया जाएगा । स्वाप शेयरों द्वारा निवेश हेतु विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अनुमोदन की पूर्वापेक्षा होगी ।

3.5.7 शेयरों का रेहन

(क) भारत में पंजीकृत किसी कम्पनी (ऋणी कम्पनी) के प्रोमोटर के नाते कोई व्यक्ति जिसने विदेशी वाणिज्यिक ऋण जुटाया है, ऋण कम्पनी द्वारा जुटाये गये ईसीबी प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ ऋणी कम्पनी अथवा उसकी सम्बद्ध निवासी कंपनियों के शेयरों की रेहन वचनबद्धता कर सकता है बशर्ते कि इस हेतु किसी अधिकृत डीलर बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया हो । अधिकृत डीलर स्वयं संतुष्ट होने पर ऐसी रेहन वचनबद्धता के लिए अनापत्ति जारी कर सकता है कि ईसीबी के लिए फेमा विनियमनों की सीमा में उसके अनुसार विदेशी वाणिज्यिक ऋण लिया गया है और यह कि:

(i) ऋण करार पर प्रदाता और आदाता दोनों द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए हैं;

(ii) ऋण करार में एक सुरक्षा धारा विद्यमान है जिसमें ऋणी को वित्तीय प्रतिभूतियों में दायित्व सृजन करने की अपेक्षा होती है, तथा

(iii) ऋणी ने रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या (एलआरएन) प्राप्त कर लिया है और उक्त रेहन निम्नलिखित शर्तों पर होगीः

क) ऐसे रेहन की अवधि अण्डरलाइंग ईसीबी की परिपक्वत्ता के साथ समाप्त हो जाएगी;

ख) रेहन के अभिचार के मामले में अंतरण, वर्तमान एफडीआई नीति और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशानुसार होगा;

ग) सांविधिक खाता परीक्षक द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि ऋणी कम्पनी केवल अनुमेय उपयोग के लिए ही ईसीबी की प्राप्तियों का उपयोग किया है/करेगी।

(ख) किसी भारतीय कम्पनी के शेयर होल्डिंग वाले अनिवासी ऋण सुविधाएं, जो किसी निवासी निवेशित कम्पनी को उनके वास्तविक व्यापार प्रयोजन हेतु दी जा रही है, प्राप्त करने के लिए भारत में एडी बैंक के पक्ष में इन शेयरों का रेहन निम्नलिखित शर्तों पर कर सकते हैं:

(i) रेहन के अभिचार के मामले में शेयरों का अंतरण रेहन के समय प्रचलित एफडीआई नीति के अनुसार होना चाहिए;

(ii) ऋण प्राप्तियां घोषित प्रयोजन पर खर्च की जाएंगी/ की गयी हैं संबंधी घोषणा/वार्षिक प्रमाणपत्र ऋण कम्पनी के सांविधिक खाता परीक्षक से लेकर प्रस्तुत करना होगा;

(iii) भारतीय कम्पनी को संगत सेबी प्रकटीकरण मानदण्डों का अनुसरण करना होगा; तथा

(iv) ऋणदाता(बैंक) के पक्ष में शेयरों का रेहन बैंकिग विनियमन आधनिमय, 1949 की धारा 19 के अधीन होगा ।

(ग) भारतीय कम्पनी के शेयर रखने वाला अनिवासी , ऋण सुविधाएं जो निम्नलिखित शर्त पर भारतीय कम्पनी के अनिवासी निवेशक/अनिवासी प्रवर्तक अथवा विदेशी ग्रुप कम्पनी को दी जा रही है, को प्राप्त करने के लिए विदेशी बैंक के पक्ष में इन शेयरों को रेहन कर सकता हैः

(i) ऋण सुविधा किसी विदेशी बैंक से ही प्राप्त की गई है;

(ii) ऋण का उपयोग प्रमाणिक विदेशी व्यापार प्रयोजन हेतु न कि भारत में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से किसी निवेश हेतु किया गया हो;

(iii) विदेशी निवेश से भारत में कोई पूंजी अंतर्वाह का परिणाम न हो;

(iv) रेहन के अभिचार के मामले में अंतरण, रेहन के समय प्रचलित एफडीआई नीति के अनुसार होना चाहिए; और

(v) ऋण प्राप्तियां घोषित प्रयोजन पर खर्च की जाएंगी/ की गयी हैं संबंधी घोषणा/वार्षिक प्रमाणपत्र ऋण कम्पनी के चार्टरित लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार से लेकर प्रस्तुत करना होगा;

3.6 <u>निवेश हेतु प्रवेश मार्ग (रुट्स):</u>

3.6.1 अनिवासी द्वारा निवेश किसी कम्पनी के इक्विटी शेयरों/पूर्णतः, अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय डिबेंचरों/पूर्णः, अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों में स्वत: अनुमोदन मार्ग अथवा सरकारी मार्ग से किया जा सकता है । स्वत: अनुमोदन मार्ग के तहत अनिवासी निवेशक अथवा भारतीय कम्पनी को निवेश हेतु भारत सरकार से कोई अनुमोदन की अपेक्षा नहीं है। सरकारी मार्ग से सरकार की पूर्वानुमति की अपेक्षा है । सरकारी मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश हेतु प्रस्तावों पर एफआईपीबी द्वारा विचार किया जाता है ।

3.6.2 निम्नलिखित क्षेत्रों में कतिपय सीमाओं के साथ निवासी भारतीयों से अनिवासी कंपनियों को भारतीय कंपनियों की स्थापना/स्वामित्व अथवा नियंत्रण अंतरण हेतु दिशानिर्देशः

अन्य के साथ-साथ, रक्षा उत्पादन, हवाई परिवहन सेवाओं, ग्राउण्ड हैण्डलिंग सर्विसेज़, परिसम्पत्ति निर्माण कम्पनियों, गैर सरकारी क्षेत्र की बैंकिंग, ब्राडकास्टिंग, पण्य बाज़ार, ऋण सूचना कंपनियों, बीमा, प्रिंट मीडिया, दूर संचार और उपग्रहों सहित नियंत्रणों के साथ इन क्षेत्रों/गतिविधियों के सभी मामलों में सरकारी/एफआईपीबी अनुमोदन अपेक्षित होगा जहां:

(i) कोई भारतीय कम्पनी विदेशी निवेश से स्थापित की जा रही हो और किसी अनिवासी कम्पनी के स्वामित्व वाली हो अथवा

(ii) विदेशी निवेश से कोई भारतीय कम्पनी स्थापित की जा रही हो और अनिवासी कम्पनी द्वारा नियंत्रित हो अथवा

(iii) किसी विद्यमान भारतीय कम्पनी का नियंत्रण, जो विद्यमान में किसी भारतीय निवासी के स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में हो और भारतीय कम्पनियां जो भारतीय निवासी के स्वामित्व और नियंत्रण में हो, शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरुप अनिवासी कम्पनी को और/अथवा एकीकरण, विलय/निर्विलय, अधिग्रहण आदि के माध्यम से शेयरों के नए इश्यू पर अनिवासी कम्पनी को अंतरित हो जायेगी/की जा रही है अथवा

(iv) किसी विद्यमान भारतीय कम्पनी का स्वामित्व जो अभी निवासी भारतीय और भारतीय कंपनियों के स्वामित्व और नियंत्रण में है जो भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में है, शेयरों के अन्तरण के परिणामस्वरुप अनिवासी कम्पनी को और/अथवा एकीकरण, विलय/निर्विलय, अधिग्रहण आदि के माध्यम से शेयरों के नए इश्यू अनिवासी कम्पनी को अंतरित हो जाएगी/की जा रही हैं ।

(v) यह स्पष्ट किया जाता है कि ये दिशानिर्देश, उन क्षेत्रों/गतिविधियों पर लागू नहीं होंगे जहां विदेशी निवेश हेतु कोई नियंत्रण नहीं है, अर्थात स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है|

(vi) यह भी स्पष्ट किया जाता है कि विदेशी निवेशों में सभी प्रकार के निवेश शामिल होंगे अर्थात एफडीआई, एफआईआई, एनआरआई, एडीआर, जीडीआर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) तथा पूर्णतः, अधिदेशत: एंव अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों द्वारा निवेश इसके निरपेक्ष कि उक्त निवेश फेमा (अनिवासी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमनों की अनुसूची 1,2,3 और 6 के अंतर्गत किए गए हैं ।

3.7 <u>निवेशों की सीमा</u>

3.7.1 निवासी कम्पनी की पूंजी में अनिवासियों द्वारा निवेश केवल एफडीआई नीति में यथा-स्पष्ट कुल पूंजी की सीमा के प्रतिशत तक ही किया जा सकता है । विभिन्न क्षेत्रों में ये सीमाएं इस परिपत्र के अध्याय 6 में विस्तृत रुप से दी गई हैं ।

3.8 <u>निवेश पर प्रवेश शर्तें</u>

3.8.1 निवासी कम्पनी की पूंजी में निवेश हेतु प्रवेश शर्तों के साथ कुछ सैक्टरों/गतिविधियों में अनिवासियों को अनुमति होगी । ऐसी शर्तों में न्यूनतम पूंजीकरण, विलंबित अवधि आदि हेतु मानदण्ड शामिल हो सकते हैं । विभिन्न सैक्टरों/गतिविधियों में प्रवेश शर्तें इस परिपत्र के अध्याय 6 में विस्तृत रुप से दी गई हैं ।

3.9 <u>प्रवेश शर्तों के अतिरिक्त निवेशों पर अन्य शर्तें</u>

3.9.1 विदेशी निवेश पर प्रवेश शर्तों के अतिरिक्त निवेश/निवेशकों के लिए सभी संगत क्षेत्रगत कानूनों, विनियमनों, नियमों, सुरक्षा शर्तों और राज्य/स्थानीय कानूनों/विनियमनों का अनुपालन अपेक्षित होगा ।

3.10 <u>भारतीय कंपनियों द्वारा किसी कम्पनी में निवेश/अनुप्रवाह निवेश से विदेशी निवेश</u>

3.10.1 किसी भारतीय कम्पनी में निवेश के प्रत्येक अवस्था में अनुप्रवाह निवेश सहित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कुल विदेशी निवेश की गणना के लिए दिशानिर्देश पैराग्राफ 4.1 में विस्तृत रुप से दिए गए हैं ।

3.10.2 इस अध्याय के प्रयोजनार्थ,

(i) "अंतर्वाह निवेश" का अर्थ है अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो पैराग्राफ 4.1 के अनुसार अंशदान अथवा अधिग्रहण द्वारा अन्य भारतीय कम्पनी में किसी एक भारतीय कम्पनी द्वारा किया

गया हो। पैराग्राफ 4.1.3(v) में स्पष्ट शर्तों के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना हेतु पैराग्राफ 4.1.3 में दिशानिर्देश दिए गए हैं|

(ii) "विदेशी निवेश" का अर्थ पैराग्राफ 4.1 में दिए गए अनुसार है ।

3.10.3. मात्र अन्य कम्पनी (नियों) के पूंजी निवेश गतिविधि से जुड़ी भारतीय कम्पनी में विदेशी निवेश (इसके स्वामित्व अथवा नियंत्रण के निरपेक्षः)

3.10.3.1 अन्य कंपनियों की पूंजी में मात्र निवेश गतिविधियों से जुड़ी किसी भारतीय कम्पनी में विदेशी निवेश के लिए, विदेशी निवेश की धनराशि अथवा मात्रा के निरपेक्ष, सरकार/एफआईपीबी की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी । एफडीआई के लिए अनुमोदित गतिविधियों में लगी गैर बैंकिग वित्त कम्पनियां (एनबीएफसी) में विदेशी निवेश इस परिपत्र के पैरा 6.2.24 में यथास्पष्ट शर्तों पर होगा ।

3.10.3.2 ऐसी कम्पनियां जो मुख्य निवेश कम्पनियां (सीआईसी) है; को सीआईसी के लिए आरबीआई के विनियामक ढांचे का अतिरिक्त रुप से अनुसरण करना होगा ।

3.10.3.3 किसी भारतीय कम्पनी में, विदेशी निवेश के समावेश हेतु, जिसमें न तो कोई प्रचालन हो रहा है और न ही कोई अन्तर्वाह निवेश हैं, विदेशी निवेश की धनराशि अथवा मात्रा के निरपेक्ष, सरकार/एफआईपीबी के अनुमोदन की अपेक्षा होगी । इसके अतिरिक्त, जब भी ऐसी कोई कम्पनी व्यापार शुरु करती है अथवा अंतर्वाह निवेश करती है तो उसे संगत क्षेत्रगत शर्तों के साथ प्रवेश मार्ग, शर्तों और सीमाओं का अनुपालन करना होगा ।

<u>नोटः</u> अन्य भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश प्रवेश मार्ग, शर्तों और सीमाओं पर संगत क्षेत्रगत सीमाओं के अनुसार/अनुपालन होगा ।

3.10.4 **<u>कोई भारतीय कम्पनी, जो अनिवासी कम्पनी द्वारा नियंत्रित और/अथवा के स्वामित्व में हो, द्वारा अन्तर्वाह निवेश</u>**

3.10.4.1 किसी भारतीय कम्पनी द्वारा, जो अनिवासी कम्पनी के स्वामित्व में हो अथवा नियंत्रण में, किसी अन्य भारतीय कम्पनी में अन्तर्वाह निवेश उन सैक्टरों के संबंध में जिनमें अन्य भारतीय कम्पनी प्रचालन में हैं, के प्रवेश मार्ग, सोपाधिकता और सीमाओं पर संगत क्षेत्रगत शर्तों के अनुपालन/अनुसार होगा ।

3.10.4.2 भारतीय कंपनियों द्वारा अन्तर्वाह निवेश निम्नलिखित शर्तों पर होगा :

(i) ऐसी किसी कम्पनी को ऐसे निवेश के 30 दिनों के भीतर चाहे उसे नए/विद्यमान उद्यम में निवेश की रुपात्मकता के साथ-साथ पूंजी लिखत भी जारी न हुआ हो,

http://w.w.w.fipbindia.com पर उपलब्ध फॉर्म में अपने अन्तर्वाह निवेश को (विस्तार कार्यक्रम के साथ/उसके बिना) एसआईए, डीआईपीपी और एफआईपीबी में अधिसूचित करना होगा;

(ii) किसी विद्यमान भारतीय कम्पनी में विदेशी इक्विटी लगाते हुए अन्तर्वाह निवेश के लिए उसे निदेशक बोर्ड के एक संकल्प द्वारा और एक शेयर धारक के करार द्वारा भी, यदि कोई हो, समर्थित होना चाहिए;

(iii) शेयरों का निर्गम/अंतरण/मूल्यनिर्धारण/मूल्यांकन लागू सेबी/आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार होगा;

(iv) भारतीय कम्पनियां जो अन्तर्वाह निवेश के प्रयोजनार्थ अन्तर्वाह निवेश कर रही हैं उनको अपेक्षित निधियां विदेश से लानी होंगी और न कि घरेलू बाज़ार से निधियों का प्रयोग करेंगी | तथापि, इससे घरेलू बाज़ार से ऋण एकत्र करने के प्रचालनों से अन्तर्वाह वाली कंपनियां प्रतिबंधित नहीं होंगी । आंतरिक प्राप्तियों के द्वारा अन्तर्वाह निवेश पैराग्राफ 3.10.3 और 3.10.4.1 के प्रावधानों की शर्त पर अनुमेय हैं ।

अध्याय 4: विदेशी निवेश की गणना

4.1 कुल विदेशी निवेश अर्थात भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश

4.1.1 भारतीय कंपनियों में अनिवासी तथा निवासी भारतीय कंपनियों दोनों द्वारा निवेश किया जा सकता है । किसी भारतीय कम्पनी में, अनिवासी निवेश प्रत्यक्ष विदशी निवेश है । निवासी भारतीय कंपनियों द्वारा निवेश में निवासी और अनिवासी निवेश दोनों हो सकता है । इस प्रकार ऐसी भारतीय कम्पनी का निवेश अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश होगा यदि भारतीय निवेशक कम्पनी का उसमें विदेशी निवेश हो। अप्रत्यक्ष निवेश सोपानी अर्थात विविध संरचना के माध्यम से निवेश भी हो सकता है ।

4.1.2 अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना के प्रयोजनार्थ भारतीय कम्पनी में विदेशी निवेश हेतु सभी प्रकार का विदेशी निवेश शामिल होगा अर्थात एफडीआई, एफआईआई (31 मार्च को होल्डिंग वाला) द्वारा निवेश, एनआरआई, एनडीआर, जीडीआर, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंड्स (एफसीसीबी), पूर्णतः, अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयर और पूर्ण रुप से अनिवार्य रुप से तथा आधदेश रुप में परिवर्तनीय डिबेंचर चाहे उक्त निवेश फेमा(अंतरण अथवा अनिवासी व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति का निर्गम) विनियमन, 2000 की अनुसूची 1,2,3 और 6 के अंतर्गत किए गए हों ।

4.1.3 किसी भारतीय कम्पनी में कुल विदेशी निवेश अर्थात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना हेतु दिशानिर्देश

(i) **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणनाः** किसी भारतीय कम्पनी में गैर निवासी कम्पनी द्वारा किए गए सीधे सभी निवेश विदेशी निवेशके रूप में गिने जाऐंगे ।

(ii) **अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणनाः**

(क) निवेशक भारतीय कम्पनी के माध्यम से किए गए विदेशी निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना हेतु नहीं लिया जाएगा यदि भारतीय कम्पनियां जो निवासी भारतीय नागरिकों के "स्वामित्व में और नियंत्रण में" और/अथवा जो भारतीय कम्पनियां भारतीय निवासी नागरिकों के स्वामित्व में और नियंत्रण में हैं ।

(ख) उन मामलों में जहां उपर्युक्त शर्त (क) लागू न हो अथवा यदि निवेशक कम्पनी "गैर निवासी कम्पनी" के स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा नियंत्रित हो, तो निवेशक कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी में किए गए समग्र निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रुप में माना जाएगा, बशर्ते कि अपवाद स्वरूप मात्र प्रचालन तथा निवेशक/निवेशक कंपनियों की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जबकि प्रचालन तथा निवेशक/निवेश करने वाली कंपनियों के लिए विदेशी निवेश सीमित होगा । यह अपवाद इस लिए बनाया गया है क्योंकि होल्डिंग कम्पनी की 100% स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी का अन्तर्वाह निवेश होल्डिंग कम्पनी द्वारा किए गए निवेश के सदृश है और अंतर्वाह निवेश होल्डिंग कम्पनी के लिए आदर्श नमूना होना चाहिए । तथापि, यह

अपवाद कड़ाई से उन मामलों के लिए है जहां अन्तर्वाह सहायक की समग्र पूंजी पर स्वामित्व, होल्डिंग कम्पनी का है ।

उदाहरण

उदाहरण के लिए यदि कम्पनी ''एक्स'' के लिए अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना करनी हो जिसमें विदेशी निवेश वाली ''वाई'' एक निवेशक कम्पनी के माध्यम से निवेश किया गया है तो गणना की प्रक्रिया इस प्रकार होगीः

(क) जहां कम्पनी ''वाई'' के पास 50% से कम विदेशी निवेश है, कम्पनी ''एक्स'' को कम्पनी ''वाई'' के माध्यम से कोई अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली नहीं माना जाएगा ।

(ख) जहां कम्पनी ''वाई'' के पास 75% विदेशी निवेश है और

(I) कम्पनी ''एक्स'' में 26% निवेश करती है तो कम्पनी ''वाई'' द्वारा किए गए समग्र 26% निवेश को कम्पनी ''एक्स'' में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाएगा;

(II) कम्पनी ''एक्स'' में 80% का निवेश करती है तो कम्पनी ''एक्स में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 80% के रुप में गिना जाएगा ।

(III) यदि कम्पनी ''एक्स'', कम्पनी ''वाई'' की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है (अर्थात कम्पनी ''वाई'' कम्पनी ''एक्स'' के 100% शेयरों का स्वामित्व रखती है), तब मात्र 75% को अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी के रुप में माना जाएगा और शेष 25% को निवासी इक्विटी के रुप में माना जाएगा । कम्पनी ''एक्स'' में कम्पनी ''वाई'' के समग्र निवेश हेतु कम्पनी ''वाई'' में अप्रत्यक्ष विदेशी इक्विटी को 75:25 के अनुपात में गिना जाएगा ।

(iii) कुल विदेशी निवेश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कुल राशि होगी ।

(iv) उपयुक्त गणना की प्रक्रिया भारतीय कंपनियों में निवेश की प्रत्येक अवस्था में लागू होगी तथा इस प्रकार प्रत्येक भारतीय कम्पनी की गणना की जाएगी ।

(v) **अतिरिक्त शर्तेः**

(क) अनुमोदन की मांग करते समय कम्पनी/कम्पनियों द्वारा भारत सरकार को भारतीय कम्पनी/कम्पनियों में स्वामित्व के विवरण आदि और कम्पनी/कम्पनियों के नियंत्रण संबंधी सूचना सहित विदेशी निवेश के बारे में पूरा विवरण प्रदान किया जाएगा ।

(ख) किसी सैक्टर/गतिविधि में जहां विदेशी निवेश हेतु सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है और उन मामलों में जहां शेयर धारकों के मध्य कोई परस्पर करार हो जिसका निदेशक बोर्ड की नियुक्ति में अथवा वोट देने के अधिकार या शेयर धारण हेतु विषम वोटिंग अधिकार सृजन करने में या उस मामले में किसी आकस्मिकता हेतु उसका प्रभाव हो, ऐसे करारों की सूचना अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी को देनी होगी । अनुमोदनकर्ता प्राधिकारी विदेशी

निवेश के अनुमोदन हेतु मामले पर विचार करते समय स्वामित्व और नियंत्रण के निर्धारण हेतु परस्पर करारों पर विचार करेगा ।

(ग) क्षेत्रगत कैप आकर्षित करने वाले सभी सैक्टेरों में शेष इक्विटी अर्थात क्षेत्रगत विदेशी निवेश कैप से परे निवासी भारतीय नागरिकों और भारतीय कंपनियों,जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व वाली/के द्वारा धारित/के हाथों में जो कम्पनियां हैं, के लिए विशेष रुप से लाभकारी होगा ।

(घ) सूचना और प्रसारण तथा रक्षा सैक्टरों में जहां क्षेत्रगत सीमा 49% से कम हैं, कंपनियों को भारतीय निवासी नागरिकों और भारतीय कंपनियों, जो निवासी भारतीय नागरिकों के स्वामित्व और नियंत्रण में हैं, द्वारा स्वामित्व में और नियंत्रण में लेने की आवश्यकता होगी ।

(क) इस प्रयोजनार्थ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4ए में यथा स्पष्ट सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों की धारित इक्विटी को छोड़कर सबसे बड़े भारतीय शेयर धारक द्वारा धारित इक्विटी कम से कम कुल इक्विटी की 51% होनी चाहिए| इस धारा में 'सबसे बड़े भारतीय शेयर धारक' प्रयुक्त शब्द में निम्नलिखित में से कोई अथवा एक संयोजन शामिल होगाः

(I) व्यक्तिगत शेयर धारक के मामले में,

(कक) एक व्यक्तिगत शेयर धारक,

(खख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 की व्यवस्था के भीतर शेयर धारक का कोई संबंधी,

(गग) किसी कम्पनी/कम्पनी समूह जिसमें व्यक्तिगत शेयर धारक/हिन्दू अविभाजित परिवार जिससे वह संबंध रखता हो, में उसका प्रबंधन और नियंत्रण हित हो ।

(II) भारतीय कम्पनी के मामले में

(कक) कोई भारतीय कम्पनी

(खख) भारतीय कम्पनियों का एक समूह उसी प्रबंधन और स्वामित्व नियंत्रण के अंतर्गत |

(ख) इस खंड के प्रयोजनार्थ ''भारतीय कम्पनी'' एक ऐसी कम्पनी होगी जिसमें एक निवासी भारतीय अथवा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 के अंतर्गत/अविभाजित हिन्दू परिवार के रुप में यथा स्पष्ट एक संबंधी के पास या तो एकल रुप में अथवा संयोजित रुप में शेयरों की कम से कम 51% धारिता हो ।

(ग) इस शर्त पर कि सभी के संयोजन अथवा उपर्युक्त धारा

4.1.3 (v) (घ)(क) की उप धाराओं (I) और(II) में उल्लिखित किसी कम्पनी के मामले में, आवेदक कम्पनी के मामलों में प्रबंधन हेतु प्रत्येक पक्ष को एकल यूनिट के रुप में कार्य करने हेतु कानूनी रुप से बाध्यता वाले करार का निष्पादन कराना होगा ।

(ङ) यदि किसी गैर निवासी कम्पनी द्वारा धारित लाभकारी हित के बारे में भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा 187 सी के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा घोषणा की जाती है तब चाहे किसी निवासी भारतीय नागरिक द्वारा निवेश किया गया हो तो भी उसे विदेशी निवेश गिना जाएगा।

4.1.4 उपर्युक्त नीति और प्रक्रिया उन क्षेत्रों को छोड़कर जिनमें किसी संविधि अथवा उसके अंतर्गत नियम मे यह स्पष्ट किया गया है, सभी सैक्टरों में कुल विदेशी निवेश के निर्धारण हेतु लागू होगी । इसलिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश निर्धारण की उपर्युक्त प्रक्रिया बीमा क्षेत्रक, जो संगत विनियमनों द्वारा शासित होना जारी रहेगी, के लिए लागू नहीं होती है ।

4.1.5 13 फरवरी, 2009 के पूर्व में अस्तित्व वाले दिशानिर्देशों (2009 का प्रेस नोट 2 को जारी करने की तिथि) के अनुसार किए जा चुके किसी विदेशी निवेश हेतु इन दिशानिर्देशों में अनुरुपता हेतु किसी संशोधन की अपेक्षा नहीं होगी । पूर्व और भविष्य के सभी अन्य निवेश इन नए दिशानिर्देशों की परिधि में आ जाएंगे।

अध्याय 5: विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी)

5.1 एफआईपीबी का गठनः

5.1.1 एफआईपीबी में भारत सरकार के निम्नलिखित सचिव शामिल होंगे:

(i) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय -- अध्यक्ष

(ii) सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(iii) सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(iv) सचिव, आर्थिक संबंध, विदेश मंत्रालय

(v) सचिव, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

5.1.2 बोर्ड, केन्द्र सरकार के अन्य सचिवों और वित्तीय संस्थानों, बैंकों के शीर्ष अधिकारियों और उद्योग तथा वाणिज्य के व्यावसायिक विशेषज्ञों को जब कभी भी आवश्यक होगा, सहयोजित करने में समर्थ होगा।

5.2 सरकारी मार्ग के अंतर्गत मामलों पर अनुमोदन हेतु स्तर

5.2.1 वित्त मंत्री जो एफआईपीबी के प्रभारी हैं, कुल विदेशी इक्विटी अंतर्वाह 1200 करोड़ रुपये और उस से कम के प्रस्तावों पर एफआईपीबी की सिफारिशों पर विचार करेंगे ।

5.2.2 1200 करोड़ रुपये से अधिक के कुल विदेशी इक्विटी अंतर्वाह के प्रस्तावों पर एफआईपीबी की सिफारिशों को सीसीईए के विचारार्थ रखा जाएगा ।

5.2.3 सीसीईए उन प्रस्तावों पर भी विचार करेगी जो प्रस्ताव एफआईपीबी/वित्तमंत्री (एफआईपीबी प्रभारी) द्वारा उसे भेजे जाएंगे ।

5.3 मामले, जिनमें नया अनुमोदन अपेक्षित नहीं है

5.3.1 निम्नलिखित मामलों में समान कम्पनी में अतिरिक्त विदेशी निवेश लाने हेतु कंपनियों को सरकार अर्थात एफआईपीबी/सीसीईए के प्रभारी मंत्री की नए तरह से पूर्वानुमति की अपेक्षा नहीं होगी :

(i) कम्पनियां (एंटिटीज़) जिनकी गतिविधियों को पूर्व में एफआईपीबी/सीसीएफआई/सीसीईए की पूर्वानुमति की अपेक्षा थी और जिन्होंने तदनुसार अपने शुरुआती विदेशी निवेश हेतु एफआईपीबी/ सीसीएफआई/ सीसीईए की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली थी लेकिन तदनन्तर ऐसी गतिविधियों/सैक्टरों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रख दिया गया हो;

(ii) कम्पनियां (एंटिटीज़) पूर्व में जिनकी गतिविधियों में क्षेत्रगत सीमाएं थीं जिन्होंने तदनुसार पूर्व में अपने शुरुआती विदेशी निवेश हेतु एफआईपीबी/सीसीएफआई/सीसीईए की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली थी परन्तु तदनन्तर ऐसे नियंत्रण हटा दिए गये/बढ़ा दिए गये थे और गतिविधियों को स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ला दिया गया था; बशर्ते कि शुरुआती/मूल निवेश के साथ-साथ ऐसा अतिरिक्त निवेश क्षेत्रगत निवेशकों से अधिक न हो; और

(iii) समान कम्पनी में अतिरिक्त विदेशी निवेश जहां प्रेस नोट 18/1998 अथवा प्रेस नोट 2005 का 1 की अपेक्षाओं के कारण आरंभिक/मूल विदेशी निवेश हेतु पूर्व में एफआईपीबी/सीसीएफआई/सीसीईए की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली गई थी वहां किसी अन्य कारण/प्रयोजन हेतु एफडीआई नीति के अंतर्गत सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित नहीं है ।

5.4 एफआईपीबी/सरकारी अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन करना

5.4.1 आवेदनों की ई-फाइलिंग, संशोधित आवेदनों की फाइलिंग करने हेतु दिशानिर्देश, तथा आवेदकों के लिए अनुदेश एफआईपीबी की वेबसाइट (http://finmin.nic.in), और (http://www.fipbindia.com) पर उपलब्ध हैं।

अध्याय 6: एफडीआई पर क्षेत्र विशिष्ट शर्तें

6.1 निषिद्ध क्षेत्र

निम्नलिखित **में एफडीआई** निषिद्ध हैः

(क) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के अलावा)
(ख) सरकारी/निजी लाटरी, ऑन लाइन लाटरी आदि सहित लाटरी व्यापार ।
(ग) कैसीनो आदि सहित जुआ खेलना और सट्टा लगाना
(घ) चिट फंड
(ङ) निधि कम्पनी
(च) अन्तरणीय विकास अधिकारों में व्यापार (टीडीआर)
(छ) स्थावर सम्पदा व्यापार अथवा फॉर्म हाऊसों का निर्माण
(ज) सिगरेट, चुरट, सिगार सिगरिलोज तथा सिगरेट का तम्बाकू अथवा तम्बाकू के उत्पाद
(झ) गतिविधियां/सैक्टर्स जो निजी क्षेत्र निवेश हेतु खुले नहीं हैं अर्थात परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन (जन द्रुत परिवहन प्रणालियों से भिन्न)

फ्रैंचाइज़ी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध संविदा हेतु लाइसेंस सहित **किसी रुप में भी विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग,** लाटरी व्यापार और जुए तथा सट्टा लगाने की गति विधियों के लिए निषिद्ध है ।

6.2 अनुमत क्षेत्र

निम्नलिखित सैक्टरों/गतिविधियों में प्रत्येक सैक्टर/गतिविधि के समक्ष उल्लिखित सीमा तक एफडीआई, लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य परिस्थितियों की शर्त पर अनुमत है । नीचे गैर-सूचीबद्ध सैक्टरों/गतिविधियों के स्वत: अनुमोदन मार्ग पर 100% तक एफडीआई, लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य परिस्थितियों की शर्त पर अनुमत है ।

जब कभी भी पूंजीकरण की न्यूनतम अपेक्षा होती है इसमें गैर निवासी निवेशक के शेयरों के निर्गम पर कम्पनी द्वारा जब शेयर प्रीमियम के साथ शेयर मूल्य प्राप्त होता है तो शेयर के वास्तविक मूल्य के साथ-साथ प्राप्त शेयर प्रीमियम को शामिल किया जाएगा । शेयर के निर्गम मूल्य से बढ़कर शेयरों के निर्गमपश्च अंतरण के दौरान अन्तरिती द्वारा प्रदत धनराशि को न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षा हेतु गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जा सकता;

क्रम सं.	क्षेत्र/गतिविधि	एफडीआई, सीमा/ इक्विटी का %	प्रवेश मार्ग
कृषि			
6.2.1	**कृषि एवं पशुपालन**		
	(क) पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी पालन और नियंत्रित परिस्थतियों में सब्ज़ी और मशरुम की खेती; (ख) बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन एवं विकास (ग) पशुपालन (कुत्तों के प्रजनन सहित), नियंत्रित परिस्थितियों में मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर; और (घ) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र से जुड़ी सेवाएं **नोटः उपर्युक्त के अलावा, एफडीआई किसी अन्य कृषि क्षेत्र/गतिविधि में अनुमत नहीं है ।**	100%	स्वचालित
6.2.1.1	**अन्य शर्तें:**		
	I. ट्रांसजीनिक बीजों/सब्ज़ियों के विकास में लगी कंपनियों पर निम्नलिखित शर्तें लागू होंगीः (i) आनुवांशिक आशोधित बीजों अथवा रोपण सामग्री के कार्य-व्यापार में लगी कम्पनी आनुवांशिक परिवर्तित अवयवों पर पर्यावरणीय(सुरक्षा) अधिनियम के अंतर्गत विनियमित कानूनों के अनुसार सुरक्षा अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी । (ii) आवश्यकता पड़ने पर किसी आनुवांशिक रुप से आशोधित सामग्रियों का आयात विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत जारी अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा । (iii) कम्पनी समय-समय पर आनुवांशिक रुप से परिवर्तित सामग्री हेतु शासी नीति अथवा किसी अन्य कानून, विनियमन का अनुपालन करेगी । (iv) आनुवंशिक रुप से इंजीनियर्ड सेल्स और सामग्री के उपयोग से जुड़ी व्यापार गतिविधि, आनुवंशिक इंजीनियरी स्वीकृति समिति (जीईएसी) और आनुवांशिक परिचालन पुनरीक्षा समिति (आरसीजीएम) से अनुमोदन की प्राप्ति की शर्त पर शुरु किया जाएगा। (v) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार होगा । II. "नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत" शब्दावली में निम्नलिखित शामिल हैः ❖ पुष्पोत्पादन, बागवानी, सब्ज़ियों और मशरुम की खेती की श्रेणियों के लिए		

	"नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत खेती" खेती की एक पद्धति है जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य का विकिरण, वायु नमी और खेती के माध्यम से कृत्रिम रुप से नियंत्रित होते हैं। इन पैरामीटरों में नियंत्रण ग्रीन हाऊसों, नेट हाऊसों, पॉलिहाऊसों अथवा किसी अन्य उन्नत अवसंरचना सुविधाओं, जहां सूक्ष्म जलवायु की स्थितियां मानव अनुवंशिकी रुप से नियंत्रित होती हैं, के अंतर्गत सुरक्षित खेती के माध्यम से प्रभावी हो सकता है । ❖ पशुपालन के मामले में "नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत" शब्दावली में शामिल है:- ○ स्टाल फीडिंग के साथ गहन खेती प्रणाली के अंतर्गत पशुपालन|गहन खेती प्रणाली में जलवायु प्रणालियों (वायुसंचार, तापमान/नमी प्रबंधन) स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुण्ड पंजीकरण/पेडिग्री रिकॉर्ड करना, मशीनरी उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की अपेक्षा होगी । ○ मुर्गी प्रजनन फॉर्म और अंडे उत्पत्तिशाला जहां सूक्ष्म जलवायु को उन्नत प्रौद्योगिकियों यथा इन्क्यूबेटर्स, वायुसंचार प्रणालियों आदि के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है । ❖ मत्स्य और जलचरपालन के मामले में "नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत" शब्दावली में शामिल होगा- ○ एक्वेरियम ○ अंडोत्पत्तिशाला जहां कृत्रिम रुप से अंडे पैदा किए जाते हैं और फ्राइ को सेने के लिए रखा जाता है तथा कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ उस वातावरण में (इन्क्यूबेट) सेने के लिए रखे जाते हैं । ❖ मधुमक्खी पालन के मामले में "नियंत्रित परिस्थितियों के अंतर्गत" शब्दावली के दायरे में शामिल है- ○ जंगली मधुमक्खी को छोड़कर, निर्धारित स्थलों में नियंत्रित तापमान और जलवायु कारकों यथा आर्द्रता और अवलम्बित ऋतुओं के दौरान कृत्रिम फीडिंग द्वारा मधुमक्खी से शहद उत्पादन करना।		
6.2.2	**चाय बागान**		
6.2.2.1	चाय क्षेत्र, चाय बगानों सहित **नोटः उपर्युक्त के अतिरिक्त एफडीआई किसी अन्य बागान क्षेत्र /गतिविधि में अनुमत नहीं है ।**	100%	सरकारी
6.2.2.2	**अन्य शर्तें**		
	(i) पांच वर्षों की अवधि में किसी भारतीय साझीदार/भारतीय जनता के पक्ष में कम्पनी की 26% इक्विटी का आनवार्य रुप से विनिवेश (ii) भविष्य में किसी भू-उपयोग परिवर्तन के मामले		

	में संबंधित राज्य सरकार की पूर्वानुमति |		
6.2.3	**खनन**		
6.2.3.1	हीरा, सोना, चांदी और कीमती अयस्कों सहित किंतु टाइटेनियम युक्त खनिजों और इसके अयस्कों को छोड़कर **धातु तथा गैर धातु अयस्कों का खनन और खोज;** खनन और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अध्यधीन |	100%	स्वचालित
6.2.3.2	**कोयला और लिग्नाइट**		
	(i) ऊर्जा परियोजनाओं, लौह और स्टील तथा सीमेंट यूनिटों द्वारा वशवर्ती उपयोग हेतु कोयला और लिग्नाइट का खनन तथा अन्य पात्र गतिविधियां जो कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत और उसके अधीन अनुमत हैं ।	100%	स्वचालित
	(2) कोयला संसाधन संयंत्रों यथा धुलाई संयंत्रों की स्थापना इस शर्त के अधीन होगी कि कम्पनी कोयला खनन नहीं करेगी और धुले कोयले की अथवा अपने संसाधन संयंत्र से सरेस लगे कोयले की खुले बाज़ार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले कोयले को तथा सरेस लगे कोयले को उन पार्टियों, जो कोयला संसाधन संयंत्रों को कोयला धोने अथवा सरेस लगाने के लिए कच्चे कोयले की आपूर्ति करते हैं, को आपूर्ति करेगी ।	100%	स्वचालित
6.2.3.3	**टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन तथा समेकित गतिविधियां**		
6.2.3.3.1	टाइटेनियम वाले खनिजों एवं अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन और समेकित गतिविधियां क्षेत्रगत विनियमों और खानों तथा खनिजों (विकास और विनियमन अधिनियम, 1957) के अधीन होंगी ।	100%	सरकारी

6.2.3.3.2	**अन्य शर्तें**

भारत का देश के चारों ओर तटीय क्षेत्रों में समुद्र तटीय रेतीय खनिजों का बड़ा भण्डार है । टाइटेनियम वाले खनिजों यथा इलमिनाइट रयूटाइल और ल्यूकोक्सीन और ज़िरकॉन सहित जिरकोनियम वाले खनिज तथा कुछ समुद्र तटीय रेतीय खनिज हैं तथा परमाणु ऊर्जा अधिनियिम, 1962 के अंतर्गत "निर्धारित तत्वों" के रुप में वर्गीकृत किए गये हैं ।

औद्योगिक नीति विवरण 1991 के अन्तर्गत खनिजों के खनन और उत्पादन जो "निर्धारित तत्वों" के रुप में वर्गीकृत है तथा परमाणु ऊर्जा, (उत्पादन और उपयोग का नियंत्रण), आदेश 1953 की अनुसूची में विशेष रुप से स्पष्ट है, को सार्वजनिक क्षेत्र हेतु उद्योगों की सूची में शामिल किया गया था। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी किए गए 6 अक्तूबर, 1998 के संकल्प सं. 8/1 (1/97-पीएसयू/1422) के द्वारा जिसमें समुद्र तटीय खनिजों के दोहन की नीति निर्धारित की गई है टाइटेनियम अयस्क (इलमिनाईट, रुटिल और ल्यूकोक्सीन) तथा रिजोनियम खनिजों (जिरकॉन) के खनन और उत्पादन हेतु विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) सहित निजी भागीदारी की अनुमति दी गई थी ।

परमाणु ऊर्जा विभाग की दिनांक 18/1/2006 की अधिसूचना सं. एस-ओ61(ई) के माध्यम से परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के अंतर्गत "निर्धारित तत्वों" की सूची को पुनः अधिसूचित किया गया । टाइटेनियम वाला अयस्क और इनके सांद्रण (इलमिनाअट,रयूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और जिरकोनियम इसके संमिश्रण और यौगिक तथा खनिज/संमिश्रणों, जिनमें जिरकॉन शामिल हैं, को "निर्धारित तत्वों की सूची से हटा दिया गया था ।

(i) टाइटेनियम वाले खनिजों एवं अयस्कों के पृथक्करण हेतु एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त स्थितियों की शर्त पर होगाः

(क) प्रौद्योगिकी अंतरण के साथ-साथ भारत में मूल्यवर्धन सुविधाएं स्थापित की गयी हैं;

(ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्ट निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोसक्रिय अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियमन बोर्ड द्वारा तैयार विनियमनों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा जारी दिनांक 18/1/2006 की अधिसूचना सं. एस़ओ 61(ई) में सूचीबद्ध खनन के "निर्धारित पदार्थों" में एफडीआई की अनुमति नहीं होगी ।

स्पष्टीकरणः (1) टाइटेनियम वाले अयस्क जैसे इल्मिनाइट, ल्यूकोक्सीन और रुटाइल, टाइटेनियम डायऑक्साइड पेग्मेंट का विनिर्माण तथा टाइटेनियम स्पांज मूल्यवर्धन सृजित करते हैं । इल्मिनाइट को "सिंथेटिक रुटाइल अथवा टाइटेनियम स्लैग" के उत्पादन हेतु मध्यम मूल्य संवर्धन उत्पादन के रुप में संसाधित किया जा सकता है ।

(2) यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग अनुप्रवाही उद्योगों की स्थापना हेतु हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय रुप से उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश के भीतर ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए उपलब्ध हो । इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है तो उपर्युक्त (1) (क) में निर्धारित शर्तें पूरी की गयी हैं, माना जाएगा ।

6.2.4	**पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस**		
6.2.4.1	तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामक स्वरुप तथा तेल की खोज और राष्ट्रीय तेल कम्पनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी भागीदारी पर सरकार की नीति के अध्यधीन निजी क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस फील्ड्स की खोज संबंधी गतिविधियां, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइनों, प्राकृतिक गैस/पाइपलाइनों, एलएनजी पुनः गैसीकरण अवसंरचना, बाज़ार अध्ययन और संरूपण और पैट्रोलियम रिफाईनिंग |	100%	स्वचालित
6.2.4.2	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा बिना किसी विनिवेश के अथवा विद्यमान पीएसयू में घरेलू इक्विटी के तनूकरण किए बिना, पेट्रोलियम रिफाइनिंग।	49%	सरकारी
	<u>विनिर्माण</u>		
6.2.5	**सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में उत्पादन हेतु आरक्षित मदों का विनिर्माण**		
6.2.5.1	एमएसई में एफडीआई (जैसा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडीए एक्ट, 2006) में परिभाषित किया गया है) क्षेत्रगत सीमा, प्रवेश मार्गों और अन्य संगत क्षेत्रगत विनियिमनों की शर्त पर होगी। कोई भी औद्योगिक उपक्रम, जो सूक्ष्म अथवा लघु उद्यम नहीं है परन्तु एमएसई सेक्टर के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करती है, को सरकारी मार्ग की अपेक्षा होगी जहां पूंजी में विदेशी निवेश 24% से अधिक है । ऐसे उपक्रम के लिए ऐसे उत्पादन हेतु उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्यौगिक लाइसेंस की भी अपेक्षा होगी । औद्योगिक लाइसेंस कुछ सामान्य शर्तों और इस विशिष्ट शर्त के अधीन जारी होगा कि औद्योगिक उपक्रम एमएसई आरक्षित मदों, का नया या अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन, जिसे अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए प्राप्त करना हो, के न्यूनतम 50% का निर्यात करेगा । निर्यात की बाध्यता वाणिज्यिक उत्पादन शुरु होने की तिथि से लागू होगी और यह उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप होगी ।		
6.2.6	**रक्षा**		
6.2.6.1	उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत औद्योगिक लाइसेंस की शर्त के अध्यधीन रक्षा उद्योग	26%	सरकारी

6.2.6.2	**अन्य शर्तें**		
	(i) रक्षा मंत्रालय के परामर्श से औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लाइसेंस हेतु आवेदनों पर विचार किया जाएगा है और लाइसेंस दिया जाएगा । (ii) आवेदक को भारतीय कम्पनी/साझीदार फर्म होना चाहिए । (iii) आवेदक कम्पनी/साझीदारी का प्रबंधन भारतीय हाथों में होना चाहिए जिसके बोर्ड में बहुसंख्यक भागीदारी भारतीयों की हो तथा कम्पनी/साझीदारी का प्रमुख कार्यकारी भारतीय निवासी होना चाहिए । (iv) निदेशकों और मुख्य कार्यकारी का पूर्ण विवरण आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए । (v) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रोमोटरों की वित्तीय स्थिति और विश्व बाज़ार में साख संबंधी पूर्ववृत्त के सत्यापन का अधिकार सुरक्षित होगा । मूल उपकरण उत्पादकों अथवा डिज़ायन अवस्थापनाओं और सशस्त्र बलों, अन्तरिक्ष और परमाणु ऊर्जा स्टेशनों को आपूर्ति करने का पूर्व अच्छा रिकॉर्ड तथा आर एण्ड डी आधार की अवस्थापना वाली कंपनियों को वरीयता दी जाएगी । (vi) एफडीआई के लिए कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा । तथापि आवेदक कम्पनी के प्रबंधन द्वारा उत्पादन और प्रौद्योगिकी के आधार पर समुचित आकलन करवाने की अपेक्षा होगी । लाइसेंसिंग प्राधिकारी हथियार और उपकरण की श्रेणी , जिनका उत्पादन प्रस्तावित होगा, को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल साख की उपयुक्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा । (vii) एक अनिवासी निवेशक से अन्य अनिवासी निवेशक (एनआरआई एवं 60% वाली तत्कालीन ओसीबी अथवा अधिक के एनआरआई पण सहित) से इक्विटी के अंतरण हेतु 3 वर्ष की लॉक-इन (विलंबित) अवधि होगी तथा ऐसा अंतरण सरकार की पूर्वानुमति से होगा । (viii) रक्षा मंत्रालय उत्पादन किए जाने वाले उत्पाद हेतु खरीद गारंटी देने की स्थिति में नहीं है । तथापि, ऐसे उपकरण हेतु नियोजित अधिग्रहण कार्यक्रम तथा समग्र आवश्यकताओं को यथा संभव मात्रा में उपलब्ध करवाया जाएगा । (ix) उत्पादन हेतु क्षमता मानदण्ड लाइसेंस में मुहैया कराये जाएंगे जो आवेदन तथा रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर आधारित होंगे जिसमें समान और सम्बद्ध उत्पादों की विद्यमान क्षमताओं की जांच की जाएगी । (x) आवेदक कम्पनी द्वारा प्रोटोटाइप के विकास सहित पूर्व- उत्पादन गतिविधि हेतु उपकरण के आयात की अनुमति होगी । (xi) लाइसेंस प्रदान किए जाने के पश्चात लाइसेंसधारी को पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षा प्रक्रियाओं को दुरुस्त करना होगा और उत्पादन शुरु करना होगा । ये कार्य अधिकृत		

	सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन की शर्त पर होंगे । (xii) विदेशी सहयोगी अथवा घरेलू आर एण्ड डी से लाइसेंस के अंतर्गत उत्पादित उपकरण के लिए मानदण्ड और परीक्षण प्रक्रियाएं लाइसेंसधारी को उपयुक्त गोपनीयता खण्ड के अंतर्गत सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को मुहैया करानी होंगी । नामित गुणवत्ता आवश्वासन एजेंसी परिष्कृत उत्पादन की जांच करेगी तथा लाइसेंसधारी की गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं की अंकेक्षण एवं चौकसी करेगी| रक्षा मंत्रालय द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर स्व-प्रमाणन की अनुमति दी जाएगी जिनमें या तो व्यक्तिगत मदें अथवा लाइसेंसधारी द्वारा विनिर्मित मदों का समूह शामिल होगा । ऐसी अनुमति निर्धारित अवधि हेतु और नवीकरण की शर्त पर होगी । (xiii) सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को खरीद प्राथमिकता और मूल्य प्राथमिकता दी जाएगी । (xiv) निजी उत्पादकों द्वारा उत्पादित हथियारों और गोला-बारुद को मुख्य रुप से रक्षा मंत्रालय को बेचा जाएगा । इन मदों को रक्षा मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन अन्य सरकारी कंपनियों को भी बेचा जाएगा। देश के भीतर किसी अन्य व्यक्ति अथवा कम्पनी को ऐसी कोई मदें नहीं बेची जाएंगी। विनिर्मित मदों का निर्यात आयुध कारखानों और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर यथा लागू नीति और दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा| गैर-मारक मदों की बिक्री रक्षा मंत्रालय के पूर्वानुमोदन से केन्द्र या राज्य सरकारों के अलावा अन्य व्यक्तियों/एण्टिटीज़ को करने की अनुमति होगी | लाइसेंसधारी को अपनी फैक्टरियों से सभी सामान हटाने की सत्यापन योग्य प्रणाली भी लगाने की ज़रूरत होगी| इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकता है| (xv) रक्षा उद्योग क्षेत्र में एफडीआई के लिए एफआईपीबी के आवेदनों पर सरकार का निर्णय पावती की तिथि से सामान्यतः 10 सप्ताह की समय-सीमा के भीतर प्रेषित कर दिया जाएगा ।		
<u>सेवा क्षेत्र</u>			
<u>सूचना सेवाएं</u>			
6.2.7	**प्रसारण**		
6.2.7.1	**स्थलीय (टैटेरिस्ट्रायल) प्रसारण एफएम (एफ एम रेडियो),** एफ एम रेडियो स्टेशनों की स्थापना हेतु अनुमति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसी शर्तों और निबंधनों की शर्त के अध्यधीन दी जाएगी	26% (एफडीआई, एनआरआई एवं पीआईओ निवेश और पोर्टफोलियो निवेश)	सरकारी
6.2.7.2	**केवल नेटवर्क,** केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994	49% (एफडीआई,	सरकारी

	और अन्य शर्तें, जो समय-समय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा निर्धारित की गई हों, के अध्यधीन होगा	एनआरआई एवं पीआईओ निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश)	
6.2.7.3	**डाइरेक्ट-टु-होम** सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसे दिशानिर्देशों/शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन	49% (एफडीआई, एनआरआई एवं पीआईओ निवेश तथा पोर्टफोलियो निवेश) **इस सीमा में एफडीआई घटक 20% से अधिक नहीं होगा**	सरकारी
6.2.7.4	**हेडेण्ड-इन-दि-स्काई (हिट्स) प्रसारण सेवा** का आशय मल्टिचैनल डाउन लिंकिग और दूरदर्शन कार्यक्रमों का सी बैण्ड अथवा कू बैण्ड में संवितरण हैं जिसमें सभी पे-चैनल एक केन्द्रीय सुविधा (हब/टेलीपोर्ट) पर डाऊनलिंक किए जाते हैं तथा चैनल के एनक्रिप्शन के पश्चात उन्हें पुन: अपलिंक किया जाता है । एकल उपग्रह एंटिना, ट्रांसमॉड्यूलेटिड का उपयोग करते हुए इन केबल हेडेण्ड इनक्रिप्टेड भुगतान चैनलों की डाऊनलिंकिग की जाती है और इनको केवल/ऑप्टिकल फाइबर्स नेटवर्क की अवसंरचना युक्त भू-आधारित प्रसार का प्रयोग करते हुए अंशदानकर्ताओं को भेजा जाता है ।		
6.2.7.4.1	(हिट्स) प्रसारण सेवा में एफडीआई सीमा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित ऐसे दिशानिर्देशों/शर्तों और निबंधनों के अध्यधीन है|	74% (पोर्टफोलियो और एफडीआई सहित कुल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश)	49% तक स्वचालित 49% से आगे और 74% तक सरकारी मार्ग
6.2.7.5	**अप-लिंकिग, हब आदि जैसी हार्डवेयर सुविधाओं की स्थापना**		
	(1) अपलिंकिग हब/टेलीपोर्ट की स्थापना	49%(एफडीआई एवं एफआईआई)	सरकारी
	(2) गैर-समाचार एवं सामयिकी टीवी चैनल की अपलिंकिग	100%	सरकारी
	(3) एक समाचार एवं सामयिकी टीवी चैनल का अपलिंकिग इस शर्त पर होगा कि सेबी (शेयरों का वास्तविक अधिग्रहण और अभिग्रहण) विनियमन, 1997 में यथा परिभाषित एफडीआई निवेशकों के साथ "पर्सन्स एक्टिंग	26%(एफडीआई एवं एफआईआई)	सरकारी

	इन कंसर्ट" युक्त एफआईआई/ एनआरआई से पोर्टफोलियो निवेश नहीं होगा ।		
6.2.7.5.1	**अन्य शर्तें**		
	(i) उपर्युक्त(1)(2)और(3) की सभी गतिविधियां आगे इन शर्तों के भी अधीन होंगी कि चैनल अपलिंक हेतु अनुमत कम्पनी प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी सचिव के माध्यम से इस अपेक्षा का अनुपालन जारी रखने हेतु सत्यापन करेगी । (ii) टी वी चैनलों की अपलिंकिग हेतु एफडीआई सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अपलिंकिग नीति के अनुपालन की शर्त के अध्यधीन होगी।		
6.2.8	**प्रिंट मीडिया**		
6.2.8.1	समाचार पत्र तथा समाचार व वर्तमान घटनाओं से जुड़ी आवधिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26% (एफडीआई और एनआरआई/ पीआईओ / एफ आई आई द्वारा निवेश)	सरकारी
6.2.8.2	समाचार और सामयिकी छापने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों का प्रकाशन	26% (एफडीआई और एनआरआई पीआईओ / एफ आई आई द्वारा निवेश)	सरकारी
6.2.8.2.1	**अन्य शर्तें**		
	(i) इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ "पत्रिका" ऐसे आवधिक प्रकाशन के रुप में परिभाषित होगा जो रोज़मर्रा के आधार पर नहीं निकाली जाती हैं तथा जिसमें लोक समाचार अथवा लोक समाचारों पर टिप्पणियां होती हैं । (ii) समाचार और सामयिकी प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के लिए विदेशी निवेश भी सूचना और प्रशासन मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशानिर्देशों के अध्यधीन होगा ।		
6.2.8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं/विशेषज्ञता पत्रिकाओं/आवधिकों का प्रकाशन/मुद्रण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों तथा लागू कानूनी ढांचे के अनुपालन के अध्यधीन होगा ।	100%	सरकारी
6.2.8.4	विदेशी समाचारपत्रों के प्रतिकृति संस्करण का	100%	सरकारी

	प्रकाशन		
6.2.8.4.1	**अन्य शर्तें**		
	(i) एफडीआई, मूल विदेशी समाचारपत्रों के मालिक द्वारा की जानी चाहिए, जिसका प्रतिकृति अंक भारत में निकाला जाना प्रस्तावित है, की जाएगी । (ii) विदेशी समाचारपत्र के समस्वरूपी संस्करण का प्रकाशन कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत में निगमित अथवा पंजीकृत किसी कम्पनी द्वारा किया जा सकता है । (iii) विदेशी समाचारपत्र के समस्वरूपी संस्करण का प्रकाशन भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 31.3.2006 को जारी तथा समय-समय पर संशोधित विदेशी समाचारपत्र के समस्वरूपी अंक का प्रकाशन और समाचार और सामयिकी समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं के प्रकाशन हेतु दिशानिर्देशों के अधीन होगा ।		
6.2.9	**नागरिक उड्डयन**		
6.2.9.1	नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एअरपोर्ट, अनुसूचित और गैर-अनुसूचित घरेलू पैसेंजर एअरलाइन, हेलिकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाएं, ग्राउण्ड हैण्डलिंग सेवाएं, अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान शामिल है । नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनार्थः (i) 'एअरपोर्ट' का अर्थ विमानों के लिए उतरने और उड़ान भरने वाले ऐसे क्षेत्र से है जिसमें सामान्यतः रनवेज़ और विमान अनुरक्षण तथा यात्री सुविधाएं और एअरोड्रोम शामिल हैं, जो वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (2) में यथा स्पष्ट है; (ii) "एअरोड्रोम" का अर्थ कोई निश्चित अथवा सीमित धरातल स्थल अथवा जल क्षेत्र से है जिसका उपयोग वायुयान के उतरने अथवा उड़ान भरने के लिए आंशिक रुप से अथवा पूर्ण रुप से किया जाता हो तथा इसमें सभी भवन, शेड, वैसल्स, पायर्स तथा वहां पर अन्य संरचनाएं अथवा उससे संबंधित संरचनाएं शामिल हैं। (iii) "हवाई परिवहन सेवा" का अर्थ एक ऐसी हवाई सेवा से है जो व्यक्तियों, डाक अथवा किसी अन्य सजीव अथवा निर्जीव वस्तु के परिवहन, किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक पर, जो भी हो, चाहे उन सेवाओं में एकल उड़ान अथवा उड़ान श्रृंखलाएं शामिल हैं; (iv) "हवाई परिवहन उपक्रम" का अर्थ एक ऐसे उपक्रम से है जिसके व्यापार में हवाई मार्ग से यात्रियों को अथवा कार्गो को किराये पर अथवा पुरस्कार के लिए लाना-ले जाना है; (v) "विमान पुर्ज़ा" का अर्थ किसी ऐसे पुर्ज़े से है जिसे विमान में लगाए जाने पर		

	उसकी मज़बूती और सटीक कार्य संचालन लगातार हवाई उड़ान की अनुकूलता अथवा विमान की सुरक्षा के लिए अनिवार्य होते हैं और जिनमें उपकरण की कोई मद शामिल हो सकती है । (vi) "हेलीकॉप्टर" का अर्थ हवा से भारी मज़बूत लम्बवत धुरी पर एक अथवा अधिक पावर चालित रोटरों पर हवा की प्रतिगामिता द्वारा उड़ान में सहायक विमान से है; (vii) "निर्धारित हवाई परिवहन सेवा" का अर्थ समान दो अथवा अधिक स्थानों के मध्य की गयी ऐसी हवाई परिवहन सेवा से है जो किसी नियमित अथवा लगातार उड़ानों के साथ एक प्रकाशित समय-सारिणी के अनुसार प्रचालन करती हो तथा जो अभिज्ञेय रुप से सुव्यवस्थित श्रृंखला वाली हो और जिसकी प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग हेतु खुली हो; (viii) "गैर-निर्धारित हवाई परिवहन सेवा" का अर्थ ऐसी सेवा से है जो हवाई परिवहन सेवा के लिए निर्धारित न हो और उसमें कार्गो एयरलाइन शामिल हैं; (ix) "कार्गो एयरलाइन" का अर्थ ऐसी एअर लाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी नागरिक उड्डयन अपेक्षाओं में यथावर्णित शर्तों को पूरा करती हो; (x) "सीप्लेन" का अर्थ एक ऐसे विमान से है जो सामान्यरुप में पानी में से उड़ता व पूर्णतया पानी पर ही उतरता हो; (xi) "ग्राउण्ड हैण्डलिंग" का अर्थ (i) रैंप हैण्डलिंग (ii) ट्रैफिक हैण्डलिंग से है जिन दोनों में ही समय-समय पर वैमानिक सूचना परिपत्रों के माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा विनिर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं तथा (iii) ऐसी किसी अन्य गतिविधि से है जो रैंप हैण्डलिंग अथवा ट्रैफिक हैण्डलिंग के भाग के रुप में केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित की गई हो।		
6.2.9.2	**एअरपोर्ट**		
	(क) ग्रीनफील्ड परियोजनाएं	100%	स्वचालित
	(ख) विद्यमान परियोजनाएं	100%	74% तक स्वचालित 74% से अधिक सरकारी मार्ग
6.2.9.3	**हवाई परिवहन सेवाएं**		
	(क) हवाई परिवहन सेवा में घरेलू अनुसूचित यात्री एअरलाइन; गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हैलिकॉप्टर और सीप्लेन सेवाएं शामिल हैं ।		

	(ख) कार्गो एअरलाइन को छोड़कर प्रचालन में लगी अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं की वायु परिवहन उपक्रम इक्विटी में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से किसी भी विदेशी एअर लाइन को सहभागिता करने की अनुमति नहीं होगी । (ग) विदेशी एअरलाइनों को कार्गो एअर लाइन, हैलिकॉप्टर और सीप्लेन सेवाओं के प्रचालन में लगी कंपनियों की इक्विटी में सहभागिता की अनुमति होगी ।		
	(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/ अनुसूचित घरेलू यात्री हवाई सेवा	49% एफडीआई (एनआरआई हेतु 100%)	स्वचालित
	(2) गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	74% एफडीआई (एनआरआई हेतु 100%	49% तक स्वचालित 49% से 74% तक सरकारी मार्ग
	(3) हेलिकॉप्टर सेवाएं/सीप्लेन सेवाओं जिनके लिए डीजीसीए की स्वीकृति की अपेक्षा होती है	100%	स्वचालित
6.2.9.4	**नागरिक उड्डयन क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सेवाएं**		
	(1) क्षेत्रीय विनियमनों और सुरक्षा मंज़ूरी के अध्यधीन ग्राउण्ड हैण्डलिंग सेवाएं	74% एफडीआई (एनआरआई हेतु 100%)	49% तक स्वचालित 49% से 74% तक सरकारी मार्ग
	(2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100%	स्वचालित
6.2.10.	**पैकेजों, पार्सलों और अन्य मदों को ले जाने के लिए कुरियर सेवाएं जो भारतीय डाक घर अधिनियम, 1898 की परिधि में नहीं आते और जो पत्र संवितरण से संबंधित गतिविधि से अलग हैं|**	100%	सरकारी
6.2.11	**निर्माण विकासः टाउनशिप, आवास, इमारतदार संरचना**		
6.2.11.1	टाउनशिप, आवास, इमारतदार अवसंरचना और निर्माण-विकास परियोजनाएं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसोर्ट, अस्पताल,	100%	स्वचालित

	शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजन सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की अवसंरचना शामिल है परन्तु केवल इन तक सीमित नहीं है)		
6.2.11.2	निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा- (1) प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत विकसित किया जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र इस प्रकार होगा : (i) सेवायुक्त आवासीय प्लॉटों के विकास के मामले में 10 हेक्टेयर का भू-क्षेत्र (ii) निर्माण-विकास परियोजनाओं के मामले में 50,000 वर्ग मी. का न्यूनतम निर्मित क्षेत्र (iii) मिश्रित परियोजना के मामले में उपर्युक्त दो में से एक शर्त पर्याप्त होगी (2) पूर्ण रुप से स्वामित्व वाली अनुषंगियों के लिए न्यूनतम पूंजीकरण 10 मिलियन अमरीकी डॉलर तथा भारतीय साझीदार के साथ संयुक्त उद्यम हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर निधियों को कम्पनी का कार्य शुरु होने के 6 माह के भीतर देश में लाना होगा । (3) मूल निवेश न्यूनतम पूंजीकरण पूरा होने से तीन वर्षों की अवधि से पूर्व प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है| मूल निवेश का अर्थ एफडीआई के रुप में लायी गयी समग्र धनराशि से है । तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि एफडीआई की प्रत्येक किस्त/अंश की प्राप्ति अथवा न्यूनतम पूंजीकरण के पूर्ण होने की तिथि से, जो भी बाद में, लागू होगी। तथापि निवेशक को एफआईपीबी के माध्यम से सरकार के पूर्वानुमोदन से पहले ही बाहर जाने की अनुमति होगी। (4) ऐसी प्रत्येक परियोजना का कम से कम 50% कार्य सभी सांविधिक स्वीकृतियों को प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर विकसित करना होगा। निवेशक/निवेशिती कम्पनी को अविकसित प्लॉटों की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ "अविकसित प्लॉट" का अर्थ होगा जहां सड़कें, जलआपूर्ति, सड़क पर प्रकाश व्यवस्था, जल निकास, मल निकास व्यवस्था और अन्य सुविधाएं जो निर्धारित विनियमों में लागू है, उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। यह आवश्यक होगा कि निवेशक सेवाकृत आवासीय प्लॉटों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने से पूर्व यह अवसंरचना प्रदान करे और संबंधित स्थानीय निकाय/सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त कर ले। (5) परियोजना, भू-उपयोग अपेक्षाओं और सामुदायिक सुविधा प्रावधानों तथा सामुदायिक सुविधाएं जो राज्य सरकार/नगरपालिका/संबंधित स्थानीय निकाय के लागू भवन		

	निर्माण नियंत्रण विनियमों, उप-नियमों, नियमों तथा अन्य विनियमनों में निर्धारित हों, के मानकों और मानदण्डों के अनुरुप हो । (6) निवेशक/निवेशिती कम्पनी, राज्य सरकार/नगरपालिका/संबंधित स्थानीय निकाय के लागू नियमों/उप नियमों/विनियमनों के अंतर्गत यथा निर्धारित अन्य सभी अपेक्षाओं के अनुपालन में भवन विन्यास, नक्शों, आन्तरिक और परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास, विकास भुगतान, बाह्य विकास तथा अन्य प्रभारों सहित सभी आवश्यक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगी । (7) भवन/विकास योजनाओं को अनुमोदन देने वाले राज्य सरकार /नगरपालिका/संबंधित स्थानीय निकाय विकासकर्ता द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा । नोटः (i) उपर्युक्त (1) और (4) की शर्तें होटल एवं पर्यटन, अस्पताल, विशेष आर्थिक ज़ोनों (एसईजेड) शिक्षा क्षेत्र, वृद्धों हेतु आवास और एनआरआई द्वारा निवेश हेतु लागू नहीं होगी । (ii) स्थावर सम्पदा व्यापार में एफडीआई अनुमत नहीं है ।		
6.2.12	**औद्योगिक पार्क- नए और विद्यमान**	**100%**	**स्वचालित**
6.2.12.1	(i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें विकसित प्लॉट अथवा निर्मित स्थल अथवा सार्वजनिक सुविधाओं के साथ उसके समिश्रण के रुप में गुणवत्ता वाली अवसंरचना है जो औद्योगिक गतिविधि के प्रयोजनार्थ सभी आबंटी यूनिटों को उपलब्ध कराई जाती है । (ii) "अवसंरचना" का अर्थ औद्योगिक पार्क में स्थित यूनिटों के कार्यसंचालन हेतु अपेक्षित सुविधाओं से है और इसमें सड़कें (पहुंच मार्ग सहित), जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक अपशिष्ट शोधन सुविधा, टेलीकॉम नेटवर्क, ऊर्जा सृजन और संवितरण, वातानुकूलन शामिल है । (iii) "सार्वजनिक सुविधाओं" में औद्योगिक पार्क में स्थित सभी यूनिटों के लिए उपलब्ध सुविधाओं से है और जिसमें विद्युत, सड़कें (पहुंच मार्ग सहित), जल आपूर्ति और मल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक अपशिष्ट शोधन, सार्वजनिक परीक्षण, टेलीकॉम सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन,बैठक/सम्मेलन हॉल, पार्किंग, ट्रेवल डेस्क, सुरक्षा सेवा, प्राथमिक उपचार केन्द्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा, औद्योगिक पार्क में स्थित यूनिटों के सार्वजनिक उपयोग हेतु अन्य सुविधाएं शामिल हैं ।		

	<u>(iv)औद्योगिक पार्क में "आबंटन योग्य क्षेत्र" का अर्थ-</u> (क) विकसित भूमि के प्लॉटों के मामले में यूनिटों को आबंटित किए जाने हेतु उपलब्ध निवल स्थल क्षेत्र, जिसमें सार्वजनिक सुविधाओं का क्षेत्र शामिल नहीं है। (ख) निर्मित क्षेत्र के मामले में सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सतह क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र का स्थल । (ग) विकसित भूमि और निर्मित स्थान के मिश्रित स्थान के मामले में यूनिटों के लिए आबंटित किए जाने हेतु उपलब्ध निवल स्थल और फ़र्शी क्षेत्र है जिसमें सार्वजनिक सुविधाएं मुहैया किए जाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला स्थल क्षेत्र और निर्मित क्षेत्र नहीं आता है । **(v)** "औद्योगिक गतिविधि" का अर्थ विनिर्माण; विद्युत; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर प्रकाशन, परामर्शी सेवा और आपूर्ति; आंकड़ा संसाधन, आंकड़ा आधार गतिविधियां तथा इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं का संवितरण; कप्यूटर संबंधी अन्य गतिविधियां; जैव प्रौद्योगिकी पर मौलिक (बेसिक) और अनुप्रयुक्त अनुसंधान और विकास, भेषज विज्ञान/जैव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान और इंजीनियरी, व्यापार और प्रबंधन परामर्शी गतिविधियां तथा वास्तुकीय, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां है ।		
6.2.12.2	औद्योगिक पार्कों में एफडीआई उपर्युक्त पैरा 6.2.11 में वर्णित निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए लागू शर्तों के अध्यधीन नहीं होगी बशर्ते कि औद्योगिक पार्क नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हों; (i) इसमें न्यूनतम 10 यूनिट होंगे और कोई भी एकल यूनिट नियत क्षेत्र को 50% से अधिक पर काबिज नहीं होगा ; (ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित किए जाने वाले क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटित किए जाने योग्य क्षेत्र का 66% से कम नहीं होगा ।		
6.2.13	**उपग्रह- स्थापना और प्रचालन**		
6.2.13.1	उपग्रह- स्थापना और प्रचालन अंतरिक्ष विभाग/इसरो के क्षेत्रगत दिशानिर्देशों की शर्त पर	74%	सरकारी
6.2.14	**निजी सुरक्षा एजेंसियां**	49%	सरकारी

6.2.15	**टेलीकॉम सेवाएं** निवेश सीमा और अन्य शर्तें विशिष्ट सेवाओं के लिए नीचे दी गयी हैं । तथापि दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित लाइसेंसिंग और सुरक्षा अपेक्षाओं को सभी सेवाओं का अनुपालन करने की अपेक्षा होगी ।		
6.2.15.1	**(i) टेलीकॉम सेवाएं**	74%	49% तक स्वचालित 49% से 74% तक सरकारी मार्ग पर
6.2.15.1.1	**अन्य शर्तें**		
	(1) **सामान्य शर्तें:** (i) यह मूल, सेल्यूलर, यूनिफाइड एक्सेस सेवाओं, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ, वी-सेट, सार्वजनिक मोबाइल रेडियो ट्रंक्ड सेवाएं (पीएमआरटीएस) वैश्विक मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्यवर्धन सेवाओं में लागू है। (ii) लाइसेंसधारी कम्पनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों विदेशी निवेश, एफडीआई सीमा के प्रयोजन से गिनती में आयेंगे । विदेशी निवेश में विदेशी सांस्थानिक निवेशकों (एफआईआई) द्वारा, अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड्स (एफसीसीबी) अमेरिकन न्यासी प्राप्तियां (एडीआर) वैश्विक न्यासी प्राप्तियां (जीडीआर) और विदेशी कम्पनी द्वारा परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों से किया गया निवेश शामिल होगा । किसी भी मामले में "भारतीय" शेयर धारिता 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी । (iii) लाइसेंसधारी कम्पनी/भारतीय प्रोमोटरों/निवेश कंपनियों सहित उनकी होल्डिंग कंपनियों में एफडीआई के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन अपेक्षित होगा यदि इनकी धारक क्षमता में समग्र 74% की अधिकतम सीमा हो । निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन के समय एफआईपीबी यह देखेगा कि निवेश गैर मित्रता वाले देशों और/अथवा गैर-मित्र कम्पनी से तो नहीं आ रहा है ।		

	(iv) एफआईपीबी निवेश अनुमोदन की शर्तों में यह विचार किया गया है कि कम्पनी लाइसेंस करार का अनुपालन करे । (v) एफडीआई भारत के कानूनों की शर्त पर होगी न कि विदेशी देश/देशों के कानूनों की शर्त पर । (2) **सुरक्षा शर्तें:** (i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों का प्रभारी प्रमुख अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होना चाहिए । (ii) अवसंरचना/नेटवर्क डायाग्राम (नेटवर्क का तकनीकी विवरण) के ब्योरे टेलीकॉम उपकरण आपूर्तिकर्ताओं/उत्पादकों और लाइसेंसधारी कम्पनी से संबद्ध/अभिभावकों को केवल आवश्यकता आधार पर ही मुहैया कराए जाएंगें । यदि सूचना किसी अन्य को मुहैया कराई जानी हो तो लाइसेंसदाता से अनुमोदन (दूर संचार विभाग) प्राप्त करना अपेक्षित होगा | (iii) सुरक्षा कारणों से ऐसी कंपनियों का घरेलू ट्रैफिक जिसे लाइसेंसदाता द्वारा चयनित/निर्धारित किया गया है, भारत के बाहर किसी स्थान हेतु मोड़ा/ मार्ग परिवर्तित नहीं किया जाएगा । (iv) लाइसेंसधारी कम्पनी यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंशदाताओं द्वारा एक नेटवर्क के माध्यम से सम्पादित सूचना निरापद और सुरक्षित है, पर्याप्त और समयानुकूल उपाय किए गए हैं । (v) लाइसेंसधारी कंपनियों के, संदेशों का कानूनी रुप से अवरोधन में लगे अधिकारी/कर्मचारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए । (vi) कम्पनी के निदेशक बोर्ड में अधिकांश भारतीय नागरिक होंगे । (vii) विदेशी नागरिकों द्वारा यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी(सीईओ) और/अथवा मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का पद धारित हो तो उसकी सुरक्षा विधीक्षा गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा होनी अपेक्षित होगी । सुरक्षा जांच-पड़ताल वार्षिक आधार पर आवधिक रुप होनी अपेक्षित होगी । यदि सुरक्षा जांच में कुछ विपरीत पाया जाता है तो गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश लाइसेंसधारी के

	लिए बाध्यकारी होंगे । (viii) कम्पनी निम्नलिखित को, भारत से बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगीः- (क) अंशदाता से संबंधित कोई खाताकरण सूचना (अन्तर्राष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग के अलावा) (नोटः यह वित्तीय प्रकृति के किसी सांविधिक अपेक्षित प्रकटीकरण को नियंत्रित नहीं करता); और (ख) प्रयोक्ता सूचना (रोमिंग के समय भारतीय आपरेटर के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी अंशदाताओं को छोड़कर) (ix) कम्पनी को अपने अंशदाताओं की पता लगाए जाने योग्य पहचान अवश्य मुहैया करानी चाहिए । तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग अंशदाता को सेवा मुहैया करने के मामले में भारतीय कम्पनी की चेष्टा होगी कि अपने रोमिंग करार के भाग के रुप में विदेशी कम्पनी से रोमिंग अंशदाताओं की खोजयोग्य पहचान प्राप्त कर ले । (x) लाइसेंसदाता अथवा लाइसेंसदाता द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर किसी विशेष समय पर किसी अंशदाता की भौगोलिक अवस्थिति (बीटीएस अवस्थिति) मुहैया करने में टेलीकॉम सेवादाता को समर्थ होना चाहिए । (xi) नेटवर्क की दूरस्थ पहुंच (आर ए) भारत में अनुमोदित अवस्थिति (यों) के माध्यम से विदेश में केवल अनुमोदित अवस्थिति(यों) पर ही मुहैया कराई जाएगी । अवस्थिति(यों) के लिए अनुमोदन गृह मंत्रालय के परामर्श से लाइसेंसदाता (डीओटी) द्वारा दिया जाएगा । (xii) किसी भी परिस्थिति में लाइसेंसदाता द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कानूनी अवरोधन प्रणाली (एलआईएस), कानूनी अवरोधन निगरानी (एलआईएम), के अंतर्गत ट्रैफिक के कॉल की विषय-वस्तु और कोई ऐसे संवेदनशील क्षेत्र/आंकड़े के लिए पहुंच हेतु आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और सम्बद्धों को कोई दूरस्थ पहुंच समर्थता नहीं दी जानी चाहिए । (xiii) लाइसेंसधारी कम्पनी को विषय की निगरानी हेतु दूरस्थ पहुंच सुविधा के उपयोग की अनुमति नहीं होगी ।

	(xiv) निगरानी प्रयोजनों के लिए जिसमें दूरस्थ पहुंच सूचना की मिरर इमेज ऑन लाइन उपलब्ध है,निर्धारित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता को भारतीय पक्ष की ओर से उपयुक्त तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए । (xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क से संबंधित दूरस्थ पहुंच गतिविधियों का पूर्ण लेखा परीक्षा मार्ग 6 माह की अवधि हेतु बनाया जाना चाहिए तथा लाइसेंसदाता अथवा लाइसेंसदाता द्वारा अधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर मुहैया कराया जाना चाहिए । (xvi) टेलीकॉम सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक विकेन्द्रीकृत अवस्थिति से कानूनी अवरोधन और निगरानी करने के लिए उनके उपकरण में आवश्यक प्रावधान (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हों । (xvii) टेलीकॉम सेवा प्रदाता को सतर्कता तकनीकी निगरानी (वीटीएस)/सुरक्षा एजेंसी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपनी प्रणालियों के संबंध में संगत प्रचालनों/विशेषताओं की जानकारी देनी चाहिए/प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए । (xviii) लाइसेंसदाता के लिए यह छूट होगी कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी संवेदनशील क्षेत्र में लाइसेंसधारी कम्पनी के प्रचालन को सीमित कर सके । (xix) आवाज़ और आंकड़ों की गोपनीयता को बनाये रखने के लिए केवल निगरानी कक्ष को केन्द्रीय गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिव द्वारा अधिकृत किया जा सकेगा । (xx) ट्रैफिक की निगरानी हेतु लाइसेंसधारी कम्पनी को सुरक्षा एजेंसियों के लिए अपने नेटवर्क तथा अन्य सुविधाएं और खातों के लिए पहुंच मुहैया करानी होगी । (xxi) उपर्युक्त सुरक्षा शर्तें एफडीआई के स्तर के निरपेक्ष इस परिपत्र के अंतर्गत शामिल टेलीकॉम सेवाओं के प्रचालन वाली सभी लाइसेंसधारी कंपनियों के लिए लागू होंगी । (xxii) अन्य सेवा प्रदाता(ओएसपी) जो काल सेंटर, व्यापार संसाधन आऊटसोर्सिंग (बीपीओ), टेली-मार्केटिंग, टेली-शिक्षा आदि जैसी सेवाएं मुहैया करा रहे हैं तथा डीओटी में ओएसपी के रुप में पंजीकृत हैं| ऐसे ओएसपी जो लाइसेंस वाले टेलीकॉम सेवा प्रदाता द्वारा मुहैया की गयी टेलीकॉम अवसंरचना का प्रयोग करते हुए सेवा चला रहे हैं तथा उनके लिए 100% एफडीआई की अनुमति होगी । चूंकि सभी लाइसेंस प्राप्त

	टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिए सुरक्षा शर्तें लागू हैं, उपर्युक्त उल्लिखित सुरक्षा शर्तें ओएसपी पर अलग से लागू नहीं होगी । (3) उपर्युक्त सामान्य शर्तें और सुरक्षा शर्तें 49% की सीमा वाली एफडीआई के साथ टेलीकॉम सेवाओं के प्रचालन वाली कंपनियों के लिए भी लागू होगी । (4) सभी टेलीकॉम सेवा प्रदाता पहली जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर लाइसेंसदाता की उपर्युक्त शर्तों पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।		
6.2.15.2	(क) गेटवेज़ के साथ आईएसपी (ख) गेटवेज़ मुहैया न करने वाले आईएसपीः अर्थात बिना गेटवेज़ के (उपग्रह और मैरीन केबलों दोनों के लिए) **नोटः** दूरसंचार विभाग के 24 अगस्त, 2007 के नए दिशानिर्देश जिसमें नए आईएसपी लाइसेंसों में 74% तक की एफडीआई है । (ग) रेडियो पेजिंग (घ) सिरे-से-सिरे तक बैण्डविड्थ	74%	49% तक स्वचालित 49% से 74% तक सरकारी मार्ग से
6.2.15.3	(क) डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टावर (आईपी श्रेणी-I) जैसी अवसंरचना प्रदाता (ख) इलेक्ट्रॉनिक मेल (ग) वॉयस मेल **नोटः** निवेश की उपर्युक्त सभी गतिविधियां इन शर्तों पर होंगी कि ऐसी कम्पनियां यदि वे विश्व में किसी अन्य हिस्से में सूचीबद्ध हों तो अपनी इक्विटी का 26% पांच वर्षों में भारतीय जनता के पक्ष में विनिवेश करेंगी ।	100%	49% तक स्वचालित 49% से अधिक सरकारी मार्ग से
6.2.16	**व्यापार**		
6.2.16.1	**(i) नकद दो माल लो (कैश एण्ड कैरी) थोक व्यापार**	100%	स्वचालित

	/थोक व्यापार (एमएसई से प्राप्ति सहित)		
6.2.16.1.1	**परिभाषाः** नकद दो माल लो थोक व्यापार/थोक व्यापार का अर्थ खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थानिक अथवा अन्य व्यावसायिक व्यापारियों अथवा अन्य थोक विक्रेताओं और संबंधित अधीनस्थ सेवा प्रदाताओं को वस्तुओं/व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री से है | तदनुसार, थोक व्यापार से अर्थ निजी उपभोग के प्रयोजन से बिक्री की तुलना में व्यापार, लेनदेन और व्यवसाय के प्रयोजन से बिक्री से है | बिक्री थोक में है अथवा नहीं इसके निर्धारण का मानदण्ड ग्राहकों का प्रकार होगा जिसको बिक्री की गयी है न कि बिक्री के आकार तथा मात्रा से । थोक व्यापार में पुनः बिक्री, संसाधन और उसके पश्चात बिक्री, एकमुश्त आयात के साथ निर्यात/एक्सबांडेड वेयर हाऊस व्यापार बिक्री तथा बी2बी इ-वाणिज्य शामिल होगा ।		
6.2.16.1.2	**नकद लाओ माल ले जाओ थोक व्यापार/थोक व्यापार (डब्ल्यूटी) के लिए दिशानिर्देशः** (क) डब्ल्यूटी आरंभ करने के लिए राज्य सरकार/सरकारी निकाय/सरकारी प्राधिकारी/उस सरकार के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन निकाय के संगत अधिनियमों/विनियमनों/नियमावलियों/आदेशों के अंतर्गत यथा स्पष्ट अपेक्षित लाइसेंस/पंजीकरण/परमिट प्राप्त करना होगा । (ख) सरकार से की गयी बिक्री के मामले के अलावा थोकदार द्वारा की गयी बिक्री को वैध व्यापार ग्राहकों के साथ "नकदी और थोक व्यापार करना/थोक व्यापार" केवल उसी अवस्था में माना जाएगा जब डब्ल्यूटी निम्नलिखित कंपनियों के लिए किया गया होः (I) बिक्री कर/वैट पंजीकरण/सेवाकर/उत्पाद शुल्क पंजीकरण धारित कम्पनी; अथवा (II) व्यापार लाइसेंस धारक कम्पनियां अर्थात किसी सरकारी प्राधिकारी/सरकारी निकाय/स्थानीय स्व-शासन प्राधिकारी द्वारा जारी शॉप्स एण्ड स्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र/पंजीकरण जिससे यह प्रतिबिंबित होता है कि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र/सदस्यता प्रमाणपत्र धारक कम्पनी/व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, स्वतः/स्वयं व्यापार, वाणिज्यिक व्यापार की गतिविधि में शामिल हैं; अथवा (III) सरकारी प्राधिकारी/स्थानीय स्वशासन निकाय से खुदरा व्यापार (जैसे तहबाजारी और फेरीवालों के लिए समान लाइसेंस) करने के लिए परमिट/लाइसेंस आदि धारक कम्पनी; अथवा (IV) अपने स्वयं उपयोग हेतु किसी सोसाइटी के रुप में पंजीकरण अथवा सार्वजनिक न्यास के रुप में पंजीकरण अथवा समावेशन के प्रमाणपत्र वाले संस्थान । **नोटः कोई कम्पनी जिसके लिए डब्ल्यूटी बनाया गया है उपर्युक्त 4 में से कोई एक शर्त को पूरा कर सकता है ।** (ग) कम्पनी का नाम, कम्पनी का प्रकार, पंजीकरण/लाइसेंस/परमिट आदि, बिक्री की संख्या		

	धनराशि आदि जैसी बिक्री के सभी विवरणों का उल्लेख करने वाला पूर्ण रिकॉर्ड दैनिक आधार पर रखा जाना चाहिए । (घ) समान समूह की कंपनियों के बीच माल का डब्ल्यूटी अनुमत होगा । तथापि, एक साथ ली गयी समूह कंपनियों के लिए ऐसा डब्ल्यूटी थोक उद्यम के कुल कारोबार का 25% से अधिक नहीं होना चाहिए । (ङ) लागू विनियमों की शर्त पर प्रदत्त ऋण सुविधाओं सहित सामान्य व्यापार व्यवहार के अनुसार डब्ल्यूटी शुरु किया जा सकता है । (च) एक थोक/नकद लाओ माल ले जाओ व्यापारी उपभोक्ता को सीधे बिक्री हेतु खुदरा दुकानें नहीं खोल सकता है ।		
6.2.16.2	**ई-वाणिज्य गतिविधियां**	**100%**	**स्वचालित**
6.2.16.2.1	ई-वाणिज्य गतिविधियों में ई-वाणिज्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी कम्पनी द्वारा खरीद और बिक्री की गतिविधियां शामिल हैं । ऐसी कम्पनियां व्यापार से व्यापार (बी2बी) ई-वाणिज्य में ही लगी होंगी और न कि खुदरा व्यापार में, अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित होता है कि घरेलू व्यापार में एफडीआई पर विद्यमान नियंत्रण ई-वाणिज्य में भी लागू होगा ।		
6.2.16.3	ऐसी मदों के **नमूना विपणन** के लिए किसी कम्पनी के पास उत्पादन की स्वीकृति होनी चाहिए बशर्ते ऐसी नमूना विपणन सुविधा दो वर्षों के लिए हो और उत्पादन सुविधा की स्थापना में निवेश नमूना विपणन के साथ-साथ समानान्तर रुप में शुरु होगी।	100%	सरकारी
6.2.16.4	**सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार**	100%	सरकारी
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य उत्पादन और विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाना, भारत से सामानों की बढ़ती खरीद को प्रोत्साहित करना और वैश्विक डिज़ाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंध व्यवहारों तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना है । (2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा: (क) बेचा जाने वाला उत्पाद केवल "सिंगल ब्रांड" का होना चाहिए । (ख) उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय रुप से उसी ब्रांड के अंतर्गत बेचा जाना चाहिए अर्थात उत्पाद को भारत से भिन्न एक या अधिक देशों में समान ब्रांड के अंतर्गत ही		

	बेचा जाना चाहिए । (ग) " सिंगल ब्रांड" उत्पाद-खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जो विनिर्माण के दौरान ब्रांडेड किए गए हैं । (घ) विदेशी निवेशक ब्रांड का मालिक होना चाहिए । (ड.) 51 प्रतशित से अधिक एफडीआई वाले प्रस्तावों के संबंध में, बेचे जाने वाले उत्पादों के मूल्य की कम से कम 30 प्रतिशत खरीद अनिवार्य रूप से भारतीय 'लघु और उद्योगों/ग्राम और कुटीर उद्योगों, शिल्पकारों और दस्तकारों से करनी होगी। 'लघु उद्योगों' की परिभाषा होगी कि ऐसे उद्योग जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक नहीं है। इस मूल्यांकन का तात्पर्य अवमूल्यन के संबंध में प्रावधान किए बिना स्थापना के समय के मूल्य से है। इसके अलावा, यदि किसी भी समय, यह मूल्यांकन बढ़ता है तो उद्योग इस प्रयोजन के लिए 'लघु उद्योगों' के रूप में पात्र नहीं होगा। इस शर्त का अनुपालन कंपनी द्वारा स्वप्रमाणन के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, जिन्हें बाद में वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा उन विधिवत प्रमाणित लेखाओं से जांचा जा सकता है, जिनका रख-रखाव कंपनी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। (3) "सिंगल ब्रांड" उत्पादों के खुदरा व्यापार में एफडीआई के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में औद्योगिक सहायता (एसआईए) सचिवालय को किया जाएगा। आवेदन में उत्पाद/उत्पाद श्रेणी का विशेष रुप से उल्लेख होगा जो "सिंगल ब्रांड" के अंतर्गत बेची जानी प्रस्तावित हैं। उत्पाद/उत्पाद श्रेणियों में जिसे "सिंगल ब्रांड" के अंतर्गत बेचा जाना है किसी परिवर्धन हेतु सरकार का नए सिरे से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (4) आवेदनों पर सरकारी अनुमोदन हेतु एफआईपीबी द्वारा विचार किए जाने से पूर्व यह निर्धारित करने के लिए कि क्या बेचने के लिए प्रस्तावित उत्पाद अधिसूचित किए गए दिशानिर्देशों को संतुष्ट करते हैं, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में विचार किया जाएगा ।		
	<u>वित्तीय सेवाएं</u> अन्य वित्तीय सेवाओं में जिनका उल्लेख नीचे किया गया है, विदेशी निवेश हेतु सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी ।		
6.2.17	**सम्पदा पुनर्निर्माण कम्पनियां**		
6.2.17.1	"संपदा पुनर्निर्माण कम्पनी" (एआरसी) का अर्थ उस कम्पनी से है जो वित्तीय सम्पदा प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (एसएआरएफएईएसआई अधिनियम) की धारा 3 के	एआरसी की प्रदत्त पूंजी का 49%	सरकारी

	अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक में पंजीकृत हो ।		
6.2.17.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) विदेशी सांस्थानिक निवेशकों (एफआईआई) से भिन्न भारत से बाहर के निवासियों को केवल सरकारी मार्ग के अंतर्गत रिज़र्व बैंक में पंजीकृत **सम्पदा पुनर्निर्माण कंपनियों(एआरसी)** की पूंजी में निवेश कर सकने की अनुमति होगी । ऐसे निवेशों को कड़ाई से एफडीआई की प्रकृति का ही होना चाहिए। एआरसी की इक्विटी पूंजी में एफआईआई द्वारा निवेश की अनुमति नहीं होगी । (ii) तथापि, सेबी में पंजीकृत एफआईआई, रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति प्राप्तियों (एसआर) में निवेश कर सकता है । एफआईआई, एसआर की स्कीम के प्रत्येक ट्रेंच में 49% तक का निवेश इस शर्त पर कर सकता है कि प्रत्येक ट्रेंच में एकल एफआईआई द्वारा किया गया निवेश निर्गम के 10% से अधिक नहीं होगा । (iii) 10% से अधिक का कोई निवेश वित्तीय सम्पदा प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 3 (3) (च) के प्रावधानों के अधीन होगा ।		
6.2.18	**बैंकिग-निजी क्षेत्र**		
6.2.18.1	बैंकिग-निजी क्षेत्र	एफआईआई द्वारा निवेश सहित 74%	49% तक स्वचालित 49% से अधिक और 74% तक सरकारी मार्ग
6.2.18.2	**अन्य शर्तें**		
	(1) 74% की इस सीमा में एफआईआई, एनआरआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश स्कीम (पीआईएस) के अंतर्गत निवेश तथा 16 सितम्बर, 2003 से पूर्व तत्कालीन ओसीबी द्वारा अधिग्रहीत शेयर शामिल होंगे और इसमें आईपीओ, निजी प्लेसमेंट, जीडीआर/एडीआर और विद्यमान शेयर धारकों से शेयरों का अधिग्रहण शामिल होना जारी रहेगा । (2) सभी स्रोतों से किसी निजी बैंक में कुल विदेशी निवेश, बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 74% तक अनुमत होगा । किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के अलावा हमेशा ही प्रदत्त पूंजी का कम से कम 26% निवासियों (रेज़िडेंट्स) द्वारा रखा जाएगा । (3) उपर्युक्त शर्तें विद्यमान निजी क्षेत्र के बैंक में सभी निवेशों पर भी लागू होंगी । (4) एफआईआई और एनआरआई के लिए स्टॉक एक्सचेंजों के माध्यम से पोर्टफोलियो		

	निवेश स्कीमों के अंतर्गत अनुमत सीमा इस प्रकार होगी: (i) अब से एफआईआई के मामले में व्यक्तिगत एफआईआई की होल्डिंग कुल प्रदत्त पूंजी के 10% हेतु सीमित है, एफआईआई के लिए कुल सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 24% से अधिक नहीं होगी जिसे संबंधित बैंक द्वारा इसके निदेशक बोर्ड द्वारा एक संकल्प के माध्यम से और तत्पश्चात आम सभा द्वारा इस संबंध में एक विशेष संकल्प द्वारा तथा कुल प्रदत्त पूंजी का 49% तक बढ़ाया जा सकता है । (क) इस प्रकार एफआईआई निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी का 49% के भीतर ही रहेगी । (ख) एनआरआई के मामले में अब से, प्रत्यावर्तन और गैर-प्रत्यावर्तन दोनों पर कुल प्रदत्त पूंजी का 5% के लिए व्यक्तिगत होल्डिंग सीमित है और प्रत्यावर्तन एवं गैर-प्रत्यावर्तन दोनों पर कुल प्रदत्त पूंजी की कुल सीमा 10% से अधिक नहीं हो सकती । तथापि, एनआरआई की होल्डिंग को प्रत्यावर्तन एवं गैर-प्रत्यावर्तन आधार दोनों पर कुल प्रदत्त पूंजी को 24% तक अनुमत किया जा सकता है बशर्ते बैंकिंग कम्पनियां आम सभा में इस आशय का संबंध में एक विशेष संकल्प पारित कर लें । (ग) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम/अनुषंगी निजी बैंकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हेतु आवेदनों को, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बीमा क्षेत्र के लिए लागू विदेशी शेयर होल्डिंग की 26% सीमा का उल्लंघन नहीं हो रहा है, बीमा विनियिमन और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) के परामर्श से विचार हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को भेजा जा सकता है । (घ) निवासियों से अनिवासियों के लिए एफडीआई के अंतर्गत शेयरों के अन्तरण हेतु उपर्युक्त पैरा 3.6.2 के अनुसार लागू आरबीआई और सरकार के अनुमोदन की अपेक्षा बनी रहेगी । (ङ) इन मामलों में आरबीआई और अन्य संस्थानों जैसे सेबी, कम्पनी कार्य विभाग और आईआरडीए द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियां और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी । (च) किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा अधिग्रहण से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देश कि यदि ऐसे अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यदि कोई व्यक्ति निजी बैंक की प्रदत्त पूंजी को (5% अथवा अधिक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण) रखता है तो गैर निवासी निवेशकों पर भी लागू होंगे । (ii) विदेशी बैंकों द्वारा किसी अनुषंगी कम्पनी की स्थापना (क) विदेशी बैंकों को शाखाओं अथवा अनुषंगी कम्पनियों दोनों में से किसी एक की अनुमति होगी । (ख) वे विदेशी बैंक जो गृह देश में बैंकिग पर्यवेक्षक प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित

	होते हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंसिंग प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं, उन्हें प्रदत्त पूंजी का 100% होल्डिंग करने की अनुमति होगी ताकि वे भारत में पूर्णरुप से स्वामित्व वाली अनुषंगी फर्मों को स्थापित करने में समर्थ हो सकें । (ग) कोई विदेशी बैंक भारत में तीन में से केवल एक चैनल के माध्यम से प्रचालन कर सकेंगे यथा (i) शाखाओं (ii) एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74% तक कुल विदेशी निवेश वाली अनुषंगी कम्पनी । (घ) विदेशी बैंक को विद्यमान शाखाओं को एक अनुषंगी अथवा किसी नए बैंकिग लाइसेंस के माध्यम से अनुषंगी में परिवर्तन करके एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी स्थापित करने की अनुमति होगी । किसी विदेशी बैंक को किसी विद्यमान निजी क्षेत्र के बैंक शेयरों के अधिग्रहण के माध्यम से एक अनुषंगी कम्पनी की स्थापना करने की अनुमति होगी बशर्ते कि निजी क्षेत्र के बैंक की प्रदत्त पूंजी का कम से कम 26% उपर्युक्त पैरा (i)(ख) के अनुरुप हमेशा निवासियों द्वारा धारित हों । (ङ) किसी विदेशी बैंक की अनुषंगी कम्पनी की स्थापना नए निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू व्यापक रुप से लाइसेंस संबंधी अपेक्षाओं और शर्तों के अनुरुप होने की शर्त पर होगी । (च) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी की स्थापना हेतु दिशानिर्देश आरबीआई द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे । (छ) अनुषंगी कम्पनी की स्थापना अथवा भारत में उनकी विद्यमान सहायक शाखाओं के अनुषंगी के रूप में रूपांतरण हेतु विदेशी बैंक द्वारा दिए जाने वाले सभी आवेदन आरबीआई को देने होंगे । (iii) संभावित निवेशक को यह नोट कर लेना चाहिए कि वर्तमान में बैंकिग कंपनियों कें संबंध में वोट करने के अधिकार पर 10% की सीमा है । इस अधिकतम सीमा में कोई परिवर्तन अंतिम रुप से नीति निर्णयों और समुचित संसदीय अनुमोदनों के पश्चात ही लाया जा सकता है ।		
6.2.19	**बैंकिंग-निजी क्षेत्र**		
6.2.19.1	बैंकिंग-निजी क्षेत्र, बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अन्तरण) अधिनियमों 1970/80 के अध्यधीन हैं । यह अधिकतम सीमा (20%) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इसके सम्बद्ध बैंकों के लिए भी लागू है ।	20% (एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश)	सरकारी
6.2.20	**जिन्स बाज़ार (कमोडिटी एक्सचेंज)**		
6.2.20.1	1. जिन्स (वस्तुएं) की भावी खरीद फरोख्त फारवर्ड कांट्रेक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अंतर्गत विनियमित होती है । जिन्स बाज़ार जैसे स्टॉक एक्सचेंज भावी जिन्स		

	बाज़ार में अवसंरचना कम्पनियां हैं । वैश्विक रुप से स्वीकार्य सर्वोत्तम व्यवहारों की पुनः प्रतिष्ठा की दृष्टि से आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को जिन्स बाज़ार में विदेशी निवेश को अनुमत करने का निर्णय लिया गया था । 2. इस अध्याय के प्रयोजनार्थ (i) जिन्स (वस्तु) फ़ारवर्ड कांट्रेक्ट्स में व्यापार हेतु एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए फ़ारवर्ड कांट्रेक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1952 समय-समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के अंतर्गत "जिन्स बाज़ार (कमोडिटी एक्सचेंज)" एक मान्यताप्राप्त एसोसिएशन है । (ii) "मान्यता प्राप्त एसोसिएशन" का अर्थ एक ऐसे एसोसिएशन से है जिसके लिए फारवर्ड कॉंट्रेक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा सामयिक रुप से दी गयी मान्यता है । (iii) "एसोसिएशन" का अर्थ व्यक्तियों के किसी ऐसे निकाय से है जो निगमित हो अथवा नहीं, और जिसका गठन किसी माल अथवा वस्तु व्युत्पत्ति (डेरीवेटिव) की बिक्री अथवा खरीद को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से किया गया हो। (iv) "वायदा संविदा (फारवर्ड कांट्रेक्ट)" का अर्थ ऐसी माल आपूर्ति संविदा से है जो तैयार आपूर्ति संविदा नहीं है । (v) "जिन्स व्युत्पत्ति (कमोडिटी डेरीवेटिव)" का अर्थ- • एक ऐसी संविदा से है जो माल की आपूर्ति के लिए एक संविदा है किंतु तैयार आपूर्ति संविदा नहीं है; अथवा • अंतरमूल्य के लिए संविदा से है जिसके मूल्य का निर्धारण केन्द्र सरकार द्वारा वायदा बाज़ार आयोग के परामर्श से यथा अधिसूचित वस्तुओं अथवा गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाओं की दरों अथवा दरों के सूचकांकों से होता है, किंतु इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं।		
6.2.20.2	जिन्स बाज़ार में एफडीआई हेतु नीति	49% (एफडीआई एवं एफआईआई) पोर्टफोलियो निवेश स्कीम (पीआईएस) के अंतर्गत एफआईआई पंजीकृत द्वारा निवेश 23% तक सीमित होगा तथा एफडीआई योजना के अंतर्गत निवेश	सरकारी (एफडीआई के लिए)

		26% तक सीमित होगा ।	
6.2.20.3	**अन्य शर्तें:**		
	(i) एफआईआई की खरीदें केवल अनुषंगी बाज़ार हेतु सीमित होंगी और (ii) साथ में कार्य कर रहे व्यक्तियों सहित किसी अनिवासी निवेशक/कम्पनी, की इन कंपनियों में 5% से अधिक इक्विटी नहीं होगी ।		
6.2.21	**ऋण सूचना कम्पनियां (सीआईसी)**		
6.2.21.1	ऋण सूचना कम्पनियां	49% (एफडीआई एवं एफआईआई)	सरकारी
6.2.21.2	**अन्य शर्तें:**		
	(1) ऋण सूचना कंपनियों में विदेशी निवेश ऋण सूचना कम्पनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की शर्तों के अध्यधीन होगा । (2) सरकारी मार्ग के अंतर्गत विदेशी निवेश आरबीआई से विनियामक अनुमोदन पर अनुमत है । (3) पोर्टपोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत एफआईआई द्वारा निवेश केवल स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीआईसी में 24% तक जो विदेशी निवेश हेतु 49% की समग्र सीमा के भीतर है, अनुमत होगा । (4) ऐसे एफआईआई निवेश निम्न शर्तों के अधीन अनुमत होंगेः (क) कोई भी एकल कम्पनी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से 10% से अधिक इक्विटी होल्ड नहीं करेगा । (ख) 1% से अधिक के किसी अधिग्रहण पर, अनिवार्य अपेक्षा के रुप में, आरबीआई को सूचना देनी होगी; और (ग) सीआईसी में निवेश वाले एफआईआई अपनी शेयर होल्डिंग पर निदेशक बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं कर सकेंगे ।		
6.2.22	**प्रतिभूति बाज़ार में अवसंरचना कम्पनी**		
6.2.22.1.	प्रतिभूति बाजारों में अवसंरचना कम्पनियां नामतः स्टॉक एक्सचेंजों, न्यासी और क्लीयरिंग कारपोरेशन जो सेबी विनियमनों के अनुपालन के अंतर्गत हैं ।	49%(एफडीआई एवं एफआईआई) (प्रदत्त पूंजी का 26% एफडीआई में तथा 23% एफआईआई में)	सरकारी (एफडीआई के लिए)
6.2.22.2	**अन्य शर्तें:**		
6.2.22.2.1	एफआईआई अनुषंगी बाज़ार में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकता है ।		
6.2.23	**बीमा**		
6.2.23.1	बीमा	26%	स्वचालित

6.2.23.2	**अन्य शर्तें:**		
	(1) बीमा अधिनियम, 1999 में यथा निर्धारित बीमा क्षेत्र में एफडीआई स्वत: अनुमोदन मार्ग से स्वीकृत है (2) जो कम्पनियां एफडीआई ला रही है वे बीमा गतिविधियां करने की शर्त पर बीमा विनियमन एवं विकास प्राधिकरण से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करेगी ।		
6.2.24	**गैर बैंकिग वित्त कम्पनियां (एनबीएफसी)**		
6.2.24.1	एनबीएफसी में विदेशी निवेश निम्नलिखिति गतिविधियों में केवल स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत अनुमत है (i) मर्चेंट बैंकिग (ii) हामीदारी (अंडरराइटिंग) (iii) पोर्टफोलियो प्रबंध सेवाएं (iv) निवेश सलाहकार सेवाएं (v) वित्तीय परामर्शी सेवाएं (vi) स्टॉक ब्रोकिंग (vii) सम्पदा प्रबंधन (viii) उद्यम पूंजी (ix) अभिरक्षक सेवाएं (x) फैक्टरिंग (xi) ऋण रेटिंग एजेंसियां (xii) लीज़ एवं वित्त (xiii) आवास वित्त (xiv) विदेशी मुद्रा ब्रोकिंग (xv) क्रेडिट कार्ड व्यापार (xvi) मुद्रा परिवर्तन व्यापार (xvii) माइक्रो (सूक्ष्म) ऋण (xviii) ग्रामीण ऋण	100%	स्वचालित
6.2.24.2	**अन्य शर्तें**		
	(1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों की शर्त पर होगाः (i) 51% तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का अग्रिम भुगतान किया गया हो (ii) 51% से 75% तक की विदेशी पूंजी हेतु 5 मिलियन अमरीकी डॉलर का अग्रिम भुगतान किया गया हो (iii) 75% से अधिक की विदेशी पूंजी हेतु 50 मिलियन अमरीकी डॉलर जिसमें से		

	7.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का अग्रिम भुगतान किया गया हो और शेष राशि का भुगतान 24 महीनों में किया जाए । (iv) 50 मिलियन अमरीकी डॉलर के न्यूनतम पूंजीकरण के साथ 100% विदेशी स्वामित्व वाली एनबीएफसी विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए बन्द पड़ी अनुषंगी कम्पनियों को प्रचालनीय अनुषंगी कम्पनियों की संख्या में भिन्न नियंत्रण और बिना अतिरिक्त पूंजी लगाये स्थापित कर सकती हैं। **इसलिए पैरा 3.10.4.1 में आधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्तें अन्तर्वाह अनुषंगियों के लिए लागू नहीं होंगी ।** (v) संयुक्त उद्यम प्रचालन वाली एनबीएफसी जिनके पास 75% अथवा 75% से कम विदेशी निवेश है उपर्युक्त (i), (ii), (iii) और अधोलिखित (vi) में उल्लिखित लागू न्यूनतम पूंजीकरण मानदण्डों का अनुपालन करने वाली अनुषंगी कम्पनियों की शर्त पर अन्य एनबीएफसी गतिविधियां शुरु करने के लिए अनुषंगी कम्पनियों की भी स्थापना कर सकती है । (vi) गैर-निधि आधारित गतिविधियां: निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सभी अनुमत गैर-निधि आधारित एनबीएफसी हेतु 0.5 मिलियन अमरीकी डॉलर का अग्रिम भुगतान करना होगा चाहे विदेशी निवेश का स्तर कितना भी हो: इस प्रकार की कम्पनी को किसी गतिविधि हेतु किसी अनुषंगी कम्पनी की स्थापना करने की न तो अनुमति होगी न ही वह किसी एनबीएफसी होल्डिंग/प्रचालन कम्पनी की इक्विटी में सहभागिता कर सकेगी । **नोटः** निम्नलिखित गतिविधियां गैर निधि आधारित गतिविधियों के रुप में वर्गीकृत होंगीः (क) निवेश सलाहकार सेवाएं (ख) वित्तीय परामर्शी सेवाएं (ग) विदेशी मुद्रा ब्रोकिंग (घ) मुद्रा परिवर्तन व्यापार (ङ) ऋण रेटिंग एजेंसियां (vii) यह आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा । **नोटः** (i) क्रेडिट कार्ड व्यापार में क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड, डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धन कार्ड आदि जैसे विभिन्न भुगतान उत्पादों का निर्गम, बिक्री, विपणन व डिज़ाइन शामिल है|

	(ii) लीजिंग और फाइनेंस में केवल वित्तीय लीजिंग शामिल है प्रचालन की लीजिंग नहीं। (2) एनबीएफसी को संगत विनियामक (विनियामकों), जो भी लागू हो, के दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा ।		
6.2.25	**भेषज**		
6.2.25.1	ग्रीनफील्ड	100%	स्वतः मार्ग
	मौजूदा कंपनियां	100%	सरकारी मार्ग

अध्याय 7: प्रेषण, प्रतिवेदन और उल्लंघन

7.1 **प्रेषण और प्रत्यावर्तन**

7.1.1. कंपनियों की बिक्री प्राप्तियों का प्रेषण/बंद करने/परिशोधन पर प्रेषण:

(i) शेयरों प्रतिभूतियों की बिक्री प्राप्तियां और उनका प्रेषण "सम्पत्ति का प्रेषण" है जो 'फेमा' के अंतर्गत 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (सम्पत्तियों का प्रेषण) विनियम 2000' द्वारा शासित होंगी ।

(ii) एडी श्रेणी-। बैंक भारत से बाहर के निवासी शेयर बिक्रीकर्ता को बिक्री प्राप्तियों के प्रेषण हेतु एक प्रतिभूति (लागू करों का एक संजाल) अनुमत कर सकता है बशर्ते कि प्रतिभूतियां, प्रत्यावर्तन आधार पर रखी हों और प्रतिभूतियों की बिक्री निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार तथा आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र/कर निकासी प्रमाणपत्र को प्रस्तुत किया गया हो ।

(iii) **कम्पनियां बंद करने/परिशोधन करने पर प्रेषणः**

एडी श्रेणी-। बैंकों को भारत में ऐसी कंपनियां को बंद करने की कार्यवाही की छूट देने लिए अनुमत किया गया है जो परिशोधन के अंतर्गत है तथा जिन्होंने लागू करों का भुगतान कर दिया है। परिशोधन, किसी न्यायालय द्वारा कम्पनी को बंद करने अथवा स्वतः बंद करने के मामले में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी ऋणशोधक (लिक्विडेटर) द्वारा आदेश जारी किए जाने के अध्यधीन होगा | आवेदकों के द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत करने पर एडी श्रेणी-। बैंक द्वारा प्रेषण की अनुमति दी जाएगीः

(क) प्रेषण हेतु आयकर विभाग से अनापत्ति अथवा कर निकासी प्रमाणपत्र

(ख) खाता परीक्षक का पुष्टिकरण प्रमाणपत्र कि भारत में सभी देयताओं का पूर्ण रुप से भुगतान कर दिया गया है अथवा पर्याप्त रुप से उनको मुहैया कर दिया गया है ।

(ग) खाता परीक्षक का इस संबंध में प्रमाणपत्र कि कम्पनी को कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार बंद किया गया है ।

(घ) न्यायालय के आदेश से भिन्न किसी अन्य कारण से बंद करने के मामले में खाता परीक्षक का इस संबंध में प्रमाणपत्र कि आवेदक अथवा परिशोधन के अधीन कम्पनी के विरुद्ध भारत में किसी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं है और प्रेषण को अनुमत करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है, अपेक्षित होगा ।

7.1.2 **लाभांश का प्रत्यावर्तनः** लाभांशों को बिना किसी प्रतिबंध के मुक्त रुप से प्रत्यावर्तित किया जा सकता है (स्रोत से कर अथवा लाभांश वितरण कर को कम करने के पश्चात निवल, जैसा भी

मामला हो)| प्रत्यावर्तन समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी विनियमन प्रबंधन (चालू खाता करोबार) नियमावली, 2000 के प्रावधानों द्वारा शासित है ।

7.1.3 **ब्याज का प्रत्यावर्तन:** पूर्णतया, अधिदशित: एवं अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचरों पर प्राप्त ब्याज बिना किसी प्रतिबंध के (लागू करों का निवल) मुक्त रूप से प्रत्यावर्तनीय है| यह प्रत्यावर्तन समय-समय पर यथासंशोधित विदेशी विनियमन प्रबंधन (चालू खाता कारोबार) नियम, 2000 के प्रावधानों द्वारा शासित है |

7.2. एफडीआई की रिपोर्टिंग

7.2.1 अंतर्वाह की रिपोर्टिंग

(i) एफडीआई स्कीम के अंतर्गत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/अधिमानी शेयरों को जारी करने के लिए भारत से बाहर के निवेश प्राप्त करने वाली कोई भारतीय कम्पनी को **अनुबंध-5** के रुप में संलग्न आगम रिपोर्टिंग फॉर्म में प्राप्ति की तिथि से अनधिक 30 दिनों में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को उस धनराशि के ब्यौरे की सूचना देनी होगी ।

(ii) भारतीय कंपनियों को शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के लिए एडी श्रेणी-। बैंक के माध्यम से प्रेषण की प्राप्ति के साक्ष्यों वाले एफआईआरसी की प्रतियों सहित केवाईसी रिपोर्ट (**अनुबंध-6** में संलग्न) के साथ-साथ धनराशि प्रेषित करने वाले विदेशी बैंक से गैर निवासी निवेशक के लिए उस धनराशि की प्राप्ति के विवरण की रिपोर्ट देनी अपेक्षित है । यह रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राप्त की जाएगी जो रिपोर्ट की गई राशि हेतु एक विशिष्ट (यूनीक) पहचान संख्या (यूआईएन) आबंटित करेगा |

7.2.2. शेयरों को जारी करने की रिपोर्ट देना

(i) शेयरों (राइट्स आधार पर जारी बोनस और शेयरों तथा ईएसओपी के अंतर्गत जारी शेयरों सहित) पूर्णतः, अधिदेशत: एवं अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचरों/पूर्णतः, आधिदेशत: एवं अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को जारी करने के पश्चात) भारतीय कम्पनी को शेयर जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर **अनुबंध-।** में संलग्न फॉर्म एफसी-जीपीआर में सूचना दर्ज करनी होगी ।

(ii) एफसी-जीपीआर फॉर्म को विधिवत भरकर तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षरित कराकर अधिकृत डीलर को प्रस्तुत करना होगा जो इसे रिज़र्व बैंक को अग्रेषित करेगा । फॉर्म के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगेः

(क) कम्पनी के कम्पनी सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;

(ख) सरकारी अनुमोदन की निबंधन एवं शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन किया गया है;

(ग) कम्पनी इन विनियमनों के अंतर्गत शेयर जारी करने के लिए पात्र हैं; और

(घ) विचारणीय धनराशि की प्राप्तियों के साक्ष्यों सहित भारत में अधिकृत डीलरों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कम्पनी के पास हैं ।

नोटः पांच करोड़ रुपये से कम प्रदत्त पूंजी वाली कंपनियों के लिए उपर्युक्त प्रमाणपत्र, कार्यरत कम्पनी सचिव द्वारा दिया जा सकता है ।

(ख) भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों का मूल्य तय करने के तरीके का उल्लेख करने वाले सांविधिक लेखा परीक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउण्डटेंट से प्रमाणपत्र।

(ग) कम्पनी जिस कार्यालय में पंजीकृत है उसकी स्थिति के क्षेत्राधिकार वाले संबंधित रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एडी श्रेणी-। के बैंक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्म एफसी-जीपीआर तथा धनराशि की प्राप्ति रसीद की रिपोर्ट ।

(घ) भारतीय कम्पनी द्वारा रिज़र्व बैंक को वार्षिक आधार पर सीधे प्रस्तुत किए जाने हेतु विदेशी देयताओं और परिसम्पत्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी (अनुबंध-7) में भरी जानी चाहिए । यह वार्षिक विवरणी है जिसे प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को प्रस्तुत किया जाना होता है जो भारतीय कम्पनी में सीधे/पोर्टफोलियो निवेश/पुनः निवेश प्राप्तियों/ अन्य पूंजी द्वारा सभी निवेशों के संबंध में पूर्व वर्षों के दौरान की गयी थी (अर्थात 31 जुलाई को प्रस्तुत सूचना 31 मार्च तक पूर्व वर्ष में किए गए सभी निवेशों के संबंध में होगी)। रिपोर्ट में उन सभी निवेशों का विवरण देना होगा जो तुलन-पत्र की तिथि को बकाया, कम्पनी में किए गए सभी विदेशी निवेशों के सम्बंध में होगा । कम्पनी में प्रत्यक्ष/पोर्टफोलियो निवेश दोनों में विदेशी निवेशों आदि के विवरण का अलग-अलग उल्लेख करना होगा ।

(ङ) किसी विद्यमान भारतीय कम्पनी के साथ सीधे अथवा समामेलन/विलय/निर्विलय द्वारा भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को बोनस/राइट्स इश्यू अथवा स्टॉक विकल्पों को जारी करना तथा ईसीबी रूपांतरण/रॉयल्टी/एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क/एसईजैड स्थित यूनिटों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर शेयर जारी करने पर फॉर्म एफसी-जीपीआर में सूचना देनी होगी ।

7.2.3 **शेयरों के अन्तरण की रिपोर्ट देना**

निवासियों और अनिवासियों के मध्य और इसके विलोमतः शेयरों के अंतरण की रिपोर्ट फॉर्म एफसी-टीआरएस (**अनुबंध-8**) पर देनी होगी । विचारार्थ धनराशि की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर एडी श्रेणी-। बैंक को फॉर्म एफसी-टीआरएस में सूचना देनी होगी । प्रस्तुतीकरण का दायित्व निर्धारित समय-सीमा में फॉर्म एफसी-टीआरएस में अंतरणकर्ता/अंतरिती भारत निवासी पर होगा । एडी श्रेणी-। बैंक उसे इसके संयोजन वाले कार्यालय को अग्रेषित करेगा । संयोजन कार्यालय मासिक रिपोर्ट को फॉर्म एफसी-टीआरएस में समेकित कर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा ।

7.2.4 **गैर-नकदी की रिपोर्ट देना**

ईसीबी के परिवर्तन के संदर्भ में शेयरों को जारी करने के ब्यौरों की रिपोर्ट नीचे दिए गए अनुसार आरबीआई के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दी जाएगी :

(i) ईसीबी के इक्विटी में **पूर्ण परिवर्तन** के मामले में कम्पनी को इससे संबंधित समाप्त होने वाले माह से सात कार्य दिवसों के भीतर संबंधित रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में फॉर्म एफसी-जीपीआर में तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग (डीएसआईएम) भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला परिसर, मुंबई-400051 को फॉर्म ईसीबी-2 में रिपोर्ट देनी होगी ।

"इक्विटी में पूर्ण रुप से परिवर्तित ईसीबी" वाक्य को फॉर्म ईसीबी-2 के उपरी भाग में स्पष्ट रुप से उल्लिखित किया जाएगा । एक बार रिपोर्ट करने के पश्चात फॉर्म ईसीबी-2 को बाद के महीनों में प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है ।

(ii) ईसीबी के **आंशिक परिवर्तन** के मामले में कम्पनी परिवर्तित हिस्से की रिपोर्ट, फार्म एफसी-जीपीआर तथा फॉर्म ईसीबी-2 में गैर-परिवर्तित हिस्से से परिवर्तित हिस्से को अलग करते हुए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को करेगी । "इक्विटी के लिए आंशिक रुप से परिवर्तित ईसीबी" शब्दावली को फॉर्म ईसीबी-2 के शीर्ष भाग में उल्लिखित किया जाएगा । उसके बाद के महीनों में ईसीबी के बकाये की सूचना फॉर्म ईसीबी-2 में डीएसआईएम को देनी होगी ।

7.2.5 **एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर इश्यू की रिर्पोट देना**

एडीआर/जीडीआर जारी करने वाली भारतीय कम्पनी को इश्यू समाप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर **अनुबंध-9** के रुप में संलग्न फॉर्म में ऐसे निर्गमों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा । कम्पनी को कलेण्डर तिमाही की समाप्ति के 15दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को **अनुबंध-10** के रुप में संलग्न फॉर्म में तिमाही विवरण भी प्रस्तुत करना होगा । तिमाही विवरण में एडीआर/जीडीआर तंत्र के माध्यम से प्राप्त तब तक की समग्र धनराशि, जो या तो भारत को प्रत्यावर्तित की गयी हो अथवा रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार विदेश में उपयोग की गयी हो, का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा ।

7.3 दिशानिर्देशों/आदेशों का पालन और उल्लंघन के परिणाम

एफडीआई एक पूंजी खाता लेन-देन है और इस प्रकार एफडीआई विनियमों का उल्लंघन फेमा के दण्डात्मक प्रावधानों में आता है । फेमा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शासित है और वित्त मंत्रालय के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय फेमा को लागू करने वाला प्राधिकरण है। निदेशालय फेमा के किसी भी उल्लंघन की जांच करता है ।

7.3.1 **दण्ड**

(i) यदि कोई व्यक्ति फेमा के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में जारी आदेश अथवा निदेश किसी नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रेस नोट, प्रेस विज्ञप्ति/परिपत्र का आतिक्रमण/गैर अनुपालन/गैर अनुसरण/उल्लंघन द्वारा एफडीआई विनियमनों का उल्लंघन करता है अथवा भारत सरकार/एफआईपीबी/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किसी विषय पर जारी किसी अधिकारिता की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो वह अधिनिर्णयाधीन होगा और ऐसे उल्लंघनों में शामिल राशि के तिगुने तक, जहां ऐसी धनराशि परिमाणीय हो, दण्ड का भागी होगा अथवा जहां धनराशि परिमाणीय न हो, तो 2 लाख रुपये तक तथा जहां ऐसे उल्लंघन होते रहते हों उन मामलों में जिस दौरान उल्लंघन जारी रहा, उसके प्रथम दिन से प्रति दिन के लिए पांच हजार रुपये की वृद्धि की जाएगी ।

(ii) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के किन्हीं प्रावधानों अथवा किसी नियम अथवा आदेश, जो उसके अंतर्गत बनाये गये हों, का उल्लंघन करता हो, वह एक कम्पनी हो (कम्पनी का अर्थ कोई निगमित निकाय और जिसमें एक फर्म या व्यक्तियों की अन्य एसोसिएशन

शामिल हो जैसा कि कम्पनी अधिनियम में स्पष्ट है) तो प्रत्येक वह व्यक्ति, उल्लंघन किए जाते समय उसका प्रभारी था और कम्पनी एवं कम्पनी के कार्य व्यापार हेतु उसका दायित्व बनता था तो वह उल्लंघन हेतु उत्तरदायी माना जाएगा तथा उसके खिलाफ कार्यवाही किए जाने तथा तदनुसार दण्ड का भागी होगा ।

(iii) कोई अधिनिर्णय प्राधिकरण 6.3.1 (i) के अंतर्गत किसी उल्लंघन पर अधिनिर्णय देते समय यदि वह यह मानता है कि दण्ड के अतिरिक्त इस उल्लंघन के लिए कोई अन्य दण्ड लगाना उपयुक्त है तो वह निदेशित कर सकता है कि उस मुद्रा, प्रतिभूति अथवा कोई अन्य धन या सम्पत्ति जिसके लिए उल्लंघन किया गया है उसे केन्द्र सरकार को समाहरित कर दिया जाए।

7.3.2. **अधिनिर्णय और अपील**

(i) फेमा के किसी उल्लंघन के अधिनिर्णय के प्रयोजनार्थ वित्त मंत्रालय विदेशी विनियम प्रबंधन (अधिनिर्णय कार्यवाहियां और अपील) नियमावली, 2000 में निहित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित तरीके से जांच करने हेतु अधिनिर्णय प्राधिकरण के रुप में केन्द्र सरकार के अधिकारियों को नियुक्त करता है । उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, पर कोई दण्ड लगाने से पूर्व उसका पक्ष सुनने के लिए उसे उपयुक्त अवसर दिया जाएगा ।

(ii) केन्द्र सरकार विदेशी विनियम प्रबंधन (अधिनिर्णय कार्यवाहियां और अपील) नियमावली, 2000 में विहित प्रावधानों के अनुसार अधिनिर्णय देने वाले प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलें सुनने के लिए एक अपीलीय प्राधिकारी/अपीलीय न्यायाधिकरण नियुक्त कर सकती है ।

7.3.3 **जब्ती कार्यवाही (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स)**

विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) नियमवाली, 2000 के अंतर्गत केन्द्र सरकार फेमा के किसी प्रावधान के उल्लंघन पर किसी व्यक्ति के लिए या तो प्रवर्तन निदेशालय अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अधिकारी को "कंपाउंडिंग प्राधिकारी" नियुक्त कर सकती है । कंपाउंडिंग प्राधिकारी किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ी धनराशि को जब्त करने के लिए प्राधिकृत हैं । उल्लंघन के तहत आने वाली किसी राशि को तब तक जब्त नहीं किया जाएगा जब तक वह राशि परिमाण योग्य न हो | किसी भी ऐसे दूसरे अथवा उत्तरवर्ती उल्लंघन को पहला उल्लंघन माना जाएगा जो पिछले उल्लंघन पर किए गए जब्ती की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद किया गया हो | कंपाउंडिंग प्राधिकारी कंपाउंडिंग कार्यवाहियों के लिए कोई सूचना, रिकॉर्ड अथवा कोई अन्य संगत दस्तावेज मांग सकता है । कंपाउंडिंग प्राधिकारी उसको दिए गए आवेदन की तारीख से 180 दिनों के भीतर सभी सम्बंधित पक्षों का पक्ष सुनने के उपरांत जब्ती का आदेश जारी कर सकता है | कंपाउंडिंग प्राधिकारी कथित उल्लंघनों के विवरण के साथ-साथ हुए उल्लंघन से सम्बंधित अधिनियम के प्रावधानों अथवा नियमों, निर्देशों, अपेक्षाओं अथवा उसके अंतर्गत आदेशों के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए आदेश पारित कर सकता है ।

अनुबंध-।

एफसी-जीपीआर

(विदेशी निवेशक को जब भी शेयर/परिवर्तनीय डिबेन्चर जारी किए जाते हैं, कम्पनी द्वारा अपने अधिकृत डीलर श्रेणी-। बैंक के माध्यम से आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वाली कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, में जमा किए जाने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म के साथ-साथ संलग्न वचनपत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेज)

आयकर विभाग द्वारा दिया गया निवेशिती कम्पनी का स्थायी खाता संख्या (पैन)	
शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने की तिथि	

सं.	विवरण	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	राज्य	
	कंपनी के पंजीयक द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या	
	क्या विद्यमान कम्पनी है अथवा नई कम्पनी (जो लागू न हो काट दें)	विद्यमान कम्पनी/नई कम्पनी
	यदि विद्यमान कम्पनी हो तो एफडीआई के लिए आरबीआई द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या, यदि कोई हो	
	दूरभाष	
	फैक्स	
	ई-मेल	
2.	मुख्य व्यापार गतिविधि का विवरण एनआईसी कोड	
	परियोजना की स्थिति और जिला,	

	जिसमें परियोजना स्थित है, के लिए एनआईसी कोड	
	एफडीआई नीति के अनुसार अनुमत एफडीआई प्रतिशत	
	कृपया बताएं कि क्या एफडीआई स्वत: अनुमोदन पद्धति अथवा अनुमोदन पद्धति के अंतर्गत अनुमत है (जो लागू न हो काट दें)	स्वत: अनुमोदन पद्धति /अनुमोदन पद्धति
3.	**विदेशी निवेशक/सहयोगी* का विवरण**	
	नाम पता देश निवेशक कम्पनी का गठन/प्रकृति [विनिर्दिष्ट करें 1. व्यक्तिगत 2. कम्पनी 3. एफआईआई 4. एफवीसीआई 5. विदेशी न्यास 6. निजी इक्विटी निधि 7. पेंशन/भविष्य निधि 8. संप्रभु संपदा निधि (एसडब्ल्यूएफ)[2] 9. भागीदारी/स्वामित्व फर्म 10. वित्तीय संस्थान 11. एनआरआई/पीआईओ 12. अन्य (कृपया स्पष्ट करें)] निगमन की तिथि	
4.	**जारी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का विवरण**	

* यदि एक से अधिक विदेशी निवेशक/सहयोगी हों तो फॉर्म के मद 3 और 4 के लिए अलग से अनुबंध संलग्न किया जाए ।

[2] एसडब्ल्यूएफ का अर्थ एक सरकारी निवेश के साधन से है जिसका वित्त-पोषण विदेशी मुद्रा आस्तियों से होता है और जो उन आस्तियों का प्रबंधन वित्तीय प्राधिकारियों के आधिकारिक भंडारों से अलग करता है |

(क) **इश्यू की तिथि और प्रकृति**

	इश्यू की प्रकृति	***इश्यू की तिथि***	***शेयरों / परिवर्तनीय डिबेंचर्स की संख्या***
01	आईपीओ/एफपीओ		
02	अधिमानी आबंटन/निजी नियोजन		
03	राइट्स		
04	बोनस		
05	ईसीबी का परिवर्तन		
06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		
07	एसईजेड में यूनिटों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के आयात के संदर्भ में परिवर्तन		
08	ईएसओपी		
09	शेयरों का हस्तांतरण		
10	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
	कुल		

(ख) **जारी सिक्योरिटी का प्रकार**

क्रम सं.	सुरक्षा की प्रकृति	संख्या	परिपक्वता	वास्तविक मूल्य	प्रीमियम	प्रति शेयर जारी मूल्य	अन्तर्वाह* की धनराशि
01	इक्विटी						
02	अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचर						
03	अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयर						
04	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)						
	कुल						

i) यदि वास्तविक मूल्य से जारी मूल्य अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का विवरण दें ।

ii) *यदि निर्गम एसईजेड में यूनिटों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के बदले हो, ईसीबी परिवर्तन अथवा रॉयल्टी के बदले हो तो परिवर्तन की तिथि को बकाया धनराशि के सत्यापन वाला चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाणपत्र होना चाहिए ।

(ग)	**प्रीमियम का विवरण**	**धनराशि**
	नियंत्रित प्रीमियम	
	गैर-प्रतियोगी शुल्क	
	अन्य	
	कुल	

@ कृपया प्रकृति स्पष्ट करें

(घ)	अनिवासियों को अधोलिखित के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने पर (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो तो) कुल आवक (रूपयों में) (i) एडी के माध्यम से प्रेषण (ii) बैंक----------में एनआरई/एफसीएनआर खाते के नामे डालना (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) उपर्युक्त पैरा (i) और (ii) के संबंध में दिनांक 3 मई, 2000 की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची I के पैरा सं. 9 (I) क के अंतर्गत आरबीआई को रिपोर्ट करने की तारीख	
(ङ)	जारी शेयरों के उचित मूल्य का प्रकटीकरण**	
	हम एक सूचीबद्ध कम्पनी हैं और निर्गम की तिथि को शेयर का बाज़ार मूल्य है*	
	हम गैर-सूचीबद्ध कम्पनी हैं और शेयर का उचित मूल्य* है	

***** शेयर जारी करने से पूर्व*** **** (जो लागू हो उसका उल्लेख करें)***

5. जारी होने के पश्चात शेयर होल्डिंग का तरीका									
			इक्विटी			अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/डिबेंचर			
	निवेशक श्रेणी		कुल शेयरों की संख्या	धनराशि (वास्तविक मूल्य) रुपये	%	कुल शेयरों की संख्या	धनराशि (वास्तविक मूल्य) रुपये	%	
क)	**अनिवासी**								
	01	**व्यक्तिगत**							
	02	**कम्पनियां**							
	03	**एफआईआई**							
	04	**एफवीसीआई**							
	05	**विदेशी न्यास**							
	06	**निजी इक्विटी निधियां**							
	07	**पेंशन/भविष्य निधि**							
	08	**संप्रभू सम्पदा निधियां**							
	09	**सहभागिता/स्वामित्व फर्में**							
	10	**वित्तीय संस्थान**							
	11	**एनआरआई/पीआईओ**							
	12	**अन्य (कृपया स्पष्ट करें)**							
		उप योग							
ख)	**निवासी**								
कुल									

भारतीय कम्पनी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दर्ज की जाने वाली घोषणा (*जो लागू न हो और प्रमाणित न हो उसे हटा दें*)

हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि:

1. हम, समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. फेमा20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 में यथा उल्लिखित एफडीआई स्कीम के अंतर्गत यथा निर्धारित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेचरों के निर्गम हेतु प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं ।

2. निवेश आरबीआई की स्वत: अनुमोदन पद्धति के अंतर्गत अनुमत क्षेत्रगत सीमा/सांविधिक अधिकतम सीमा के भीतर है और हम स्वत: अनुमोदन पद्धति के अंतर्गत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं (जो लागू न हो उसे काट दें)।

(क) विदेशी कम्पनी/कंपनियों (व्यक्तिगतों से भिन्न) जिन्हें हमने शेयर जारी किए हैं उनका भारत में इसी क्षेत्र में कोई विद्यमान संयुक्त उद्यम अथवा प्रौद्योगिकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है । उस "समान फील्ड के प्रयोजनार्थ" 4 अंकीय एनआईसी 1987 कोड संगत होगा ।

अथवा

(ख) हम लघु क्षेत्र हेतु आरक्षित औद्योगिक उपक्रम उत्पादनकर्ता मदों वाले नहीं हैं ।

अथवा

हम ऐसे औद्योगिक उपक्रम हैं जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों का विनिर्माण करते हैं और प्रदत्त पूंजी की 24% निवेश सीमा का अनुपालन किया गया है/अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है |

(ग) अनिवासियों को राइट आधार पर जारी शेयर समय-समय पर यथा संशोधित आरबीआई अधिसूचना सं. फेमा20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 के विनियम-6 के अनुरुप है ।

अथवा

जारी शेयर बोनस के रुप में है ।

अथवा

शेयर, दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियों के विलय और एकीकरण स्कीम के अंतर्गत अथवा किसी भारतीय कम्पनी के विसम्बद्ध होने अथवा अन्य तरीके से पुनर्निर्माण द्वारा जारी किए गए हैं जिसे भारतीय न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदन प्राप्त है ।

अथवा

शेयर ईएसओपी के अंतर्गत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम से संबंधित शर्तों को पूरा कर लिया गया है ।

3. शेयर एसआईए/एफआईपीबी अनुमोदन सं.....दिनांक़.....क़े अनुसार जारी किए गए हैं

4. हम अधिसूचना सं. फेमा/20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (i) (ख) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं:

(i) हमारे कम्पनी सचिव का यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र कि

(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(ख) सरकारी अनुमोदन की शर्तें और निबंधन, यदि कोई हों; का पालन किया गया है;

(ग) कम्पनी इन विनियमों के अंतर्गत शेयर जारी करने हेतु पात्र हैं; और

(घ) कम्पनी के पास अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 की अनुसूची-1 के पैरा 8 के अनुसार संबंधित धनराशि की प्राप्ति के साक्ष्यों के साथ भारत में अधिकृत डीलरों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र हैं ।

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारण के तरीके उल्लेख करने वाले सांविधिक खाता परीक्षकों/सेबी पंजीकृत श्रेणी-। मर्चेण्ट बैंकर/चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र ।

5. रिज़र्व बैंक के द्वारा शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों (उपर्युक्त विवरणानुसार) को जारी करने हेतु विचारार्थ प्राप्त प्रेषणों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर) दिए गए हैं:

आर													

:

आर													

(आवेदक के हस्ताक्षर)*:_____

(नाम स्पष्ट अक्षरों में):_____

(हस्ताक्षरी का पदनाम):_____

स्थानः

दिनांक:

(*कम्पनी के प्रबंध निदेशक/निदेशक/सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित)

निवेश स्वीकार करने वाली भारतीय कम्पनी के कम्पनी सचिव[3] द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण-पत्रः

(अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ख) (i) के अनुसार)

उपर्युक्त विवरणों के संबंध में हम निम्नलिखित प्रमाणित करते हैं:

1. कम्पनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाएं पूर कर ली गयी हैं;

2. सरकारी अनुमोदन की शर्तें और निबंधन, यदि कोई हों; का पालन किया गया है;

3. कम्पनी इन विनियमों के अंतर्गत शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतु पात्र हैं; और

4. कम्पनी के पास अधिसूचना सं. फेमा20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 की अनुसूची-1 के पैरा 8 के अनुसार संबंधित धनराशि की प्राप्ति के साक्ष्यों के साथ भारत में अधिकृत डीलरों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र हैं ।

(कम्पनी सचिव का नाम एवं हस्ताक्षर) (मोहर)

केवल रिज़र्व बैंक के प्रयोजन हेतुः

एफसी-जीपीआर हेतु पंजीकरण संख्याः

प्रेषण की प्राप्ति की रिपोर्ट देते समय कम्पनी को

आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या
(यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर)

आर

---

[3] यदि कम्पनी का पूर्णकालिक कम्पनी सचिव नहीं है तो किसी कार्यशील कम्पनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए ।

अनुबंध-2

भारत निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर के किसी निवासी किसी व्यक्ति को तथा भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत निवासी किसी व्यक्ति को बिक्री के माध्यम से शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के अंतरण हेतु शर्तें और निबंधन

1.1 सभी क्षेत्रों में बिक्री के माध्यम से अन्तरित किसी भारतीय कम्पनी के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में मूल्य निर्धारण, प्रलेखन, भुगतान/प्राप्ति और प्रेषण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए लेन-देन से जुड़ी पार्टियां नीचे निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करेंगी ।

1.2. लेन-देन से जुड़ी पार्टियां हैं (क) विक्रेता (निवासी/अनिवासी) (ख) क्रेता (निवासी/अनिवासी), (ग) विक्रेता और/अथवा क्रेता का /के विधिवत अधिकृत एजेंट (घ) अधिकृत डीलर बैंक (एडी) ब्रांच और (ङ) अपनी खाता बहियों में स्वामित्व के अन्तरण को रिकॉर्ड करने के लिए भारतीय कम्पनी ।

2. मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश

2.1 नीचे नोट किए गए मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश निम्नलिखित प्रकार के लेन-देन पर लागू होंगे:-

i. भारत में निवास करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को निजी व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री से शेयरों का अंतरण ।
ii. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा भारत के निवासी किसी व्यक्ति को निजी व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री से शेयरों का अंतरण ।

2.2. निवासी द्वारा अनिवासी को अंतरण [अर्थात पूर्ववर्ती ओसीबी, विदेशी नागरिक, एनआरआई, एफआईआई से भिन्न निगमित अनिवासी कम्पनी (एंटिटी) को]

किसी निवासी द्वारा अनिवासी को बिक्री द्वारा जहां शेयर भारतीय कम्पनी के हों, अंतरित शेयरों का मूल्य होगाः

(क) जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों उनका मूल्य उससे कम नहीं होगा सेबी दिशानिर्देशों के अंतर्गत जिस मूल्य में शेयरों का अधिमानी आबंटन किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें यथा निर्दिष्ट किसी अवधि के लिए उसका निर्धारण संगत तिथि से पूर्व किया हो जो शेयरों की खरीद अथवा बिक्री की तिथि होगी ।

(ख) छूट प्राप्त मुक्त नकदी प्रवाह प्रक्रिया के अनुसार सेबी में पंजीकृत श्रेणी-। मर्चेंट बैंकर अथवा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा निर्धारित उचित मूल्य से उसका मूल्य कम नहीं होगा जो भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है ।

निर्धारित किए गए प्रति शेयर मूल्य को सेबी में पंजीकृत श्रेणी-। मर्चेंट बैंकर अथवा किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए ।

2.3 अनिवासी (अर्थात निगमित अनिवासी एंटिटी, पूर्ववर्ती ओसीबी, विदेशी राष्ट्रिक, एनआरआई, एफआईआई) **द्वारा निवासी को अंतरण**

अनिवासी द्वारा निवासी को शेयरों की बिक्री दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के विनियम 10 ख (2) के अनुरूप होगी जो उपर्युक्त पैरा 2.2 में यथा उल्लिखित निवासी से अनिवासी को शेयरों का अंतरण की जानी वाली न्यूनतम कीमत से अधिक नहीं होगा |

3 पार्टियों के दायित्व/बाध्यताएं

लेन-देन से जुड़ी सभी पार्टियों का यह सुनिश्चित करने का दायित्व होगा कि फेमा के अंतर्गत संगत विनियमों का अनुपालन किया गया है और शेयरों के अंतरण के फलस्वरुप सरकार द्वारा यथा निर्धारित संगत व्यक्तिगत सीमा/क्षेत्रगत सीमा/विदेशी इक्विटी सहभागिता की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है । लेन-देन का निपटारा लागू करों, यदि कोई हों, के भुगतान के अधीन होगा ।

4. भुगतान की पद्धति और बिक्री प्राप्तियों का प्रेषण/जमा

4.1 भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये शेयरों के संबंध में संबंधित बिक्री का प्रेषण, सामान्य बैंकिंग चैनलों से भारत को करना होगा । यदि क्रेता एक विदेशी सांस्थानिक निवेशक (एफआईआई) है तो भुगतान उसके विशेष अनिवासी रूपये खाते में डेबिट किया जाना चाहिए । यदि क्रेता एनआरआई है तो भुगतान उसके एनआरई/एफसीएनआर (ख) खातों में डेबिट किया जाएगा । तथापि, यदि शेयर किसी एनआरआई द्वारा गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर आभिग्रहीत किए गए हैं तो संबंधित धनराशि सामान्य बैंकिग चैनल के माध्यम से भारत को प्रेषित की जाएगी अथवा एनआरई/एफसीएनआर (ख)/एनआरओ खातों में रखी गई निधियों में से भुगतान किया जाएगा ।

4.2. भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा बिक्री किए गये शेयरों की बिक्री प्राप्ति (करों से निवल) का प्रेषण भारत से बाहर किया जा सकता है । एफआईआई के मामले में, बिक्री प्राप्तियां विशेष अनिवासी रुपये वाले खाते के नामे डाली जा सकती हैं । एनआरआई के मामले में, बिक्री किए

गये शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया हो तो बिक्री प्राप्तियां (करों की निवल) उसके एनआरई/एफसीएनआर(ख) खातों में क्रेडिट की जाएंगी और यदि बिक्री किए गए शेयर गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर रखे गये हों तो बिक्री प्राप्तियां, करों के भुगतान की शर्त पर, उसके एनआरओ खातों में क्रेडिट की जाएंगी ।

4.3 ओसीबी द्वारा बेचे गये शेयरों (करों से निवल) की बिक्री प्राप्तियां सीधे भारत से बाहर प्रेषित होंगी यदि शेयर प्रत्यावर्तन आधार पर रखे गये हों और यदि बेचे गये शेयर गैर-प्रत्यार्वतन आधार पर रखे गये हैं तो बिक्री प्राप्तियां करों के भुगतान की शर्त पर इसके एनआरओ(चालू) खाते में नामे डाली जाएंगी, केवल ओसीबी के मामले को छोड़कर जिसका खाता रिज़र्व बैंक द्वारा अवरुद्ध किया गया है ।

5. प्रलेखन

संलग्न फॉर्म एफसी-टीआरएस में घोषणा (तीन प्रतियों में) प्राप्त करने के अलावा एडी ब्रांच को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्राप्त करने तथा उनको रिकॉर्ड करने की व्यवस्था करनी चाहिएः

5.1. निवासी भारतीय द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए

i. निवेशिती कम्पनी, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हों, का नाम, अंतरण के ब्यौरे अर्थात अंतरित किए गये शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र और मूल्य जिसपर शेयर अंतरित किए जा रहे हों, का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए । यदि कोई औपचारिक बिक्री करार न हो तो इस संबंध में जिन पत्रों का आदान-प्रदान हुआ हो उन्हें रिकॉर्ड हेतु रखा जाए ।

ii. जहां सहमति पत्र उनके द्वारा विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित हो, विक्रेता/क्रेता द्वारा शेयरों की खरीद/बिक्री हेतु अधिकृत एजेंट द्वारा निष्पादित किया गया पॉवर ऑफ अटॉर्नी दस्तावेज़।

iii. किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत से बाहर का निवासी हो, निवासी और अनिवासी (अर्थात एनआरआई/ओसीबी/विदेशी राष्ट्रिक/निगमित अनिवासी कम्पनी/एफआईआई) की इक्विटी भागीदारी को दर्शाते हुए शेयरों के अधिग्रहण के पश्चात निवेशकर्ता कम्पनी की शेयर होल्डिंग पद्धति तथा कम्पनी से विक्रेता/क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा प्राप्त प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत जहां क्षेत्रगत सीमा/सीमाएं निर्धारित की गयी है ।

iv. किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट से शेयरों के उचित मूल्य के उल्लेख करने वाला प्रमाणपत्र ।

v. यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से की गयी हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति ।

vi. क्रेता से इस संबंध में वचनपत्र कि वह एफडीआई नीति तथा विद्यमान क्षेत्रगत सीमाओं के अंतर्गत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को अभिग्रहीत करने के लिए पात्र हैं और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किया गया है ।

vii. एफआईआई/उप लेखा से इस संबंध में वचनपत्र कि व्यक्तिगत एफआईआई/उप लेखा अधिकतम सीमा, जो सेबी द्वारा यथा निर्धारित है, का उल्लंघन नहीं किया गया है।

a. भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री हेतु

i. विक्रेता/क्रेता अथवा उनके द्वारा विधिवत नियुक्त एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र जिसमें अंतरण के ब्यौरे अर्थात अन्तरित किए जाने वाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कम्पनी का नाम जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हों तथा मूल्य जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं, का उल्लेख किया गया हो।

ii. जहां सहमति पत्र पर उनके विधिवत नियुक्त एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों वहां क्रेता/विक्रेता द्वारा शेयरों की खरीद/बिक्री करने के लिए प्राधिकृत करते हुए मुख्तारनामा (पॉवर ऑफ अटॉर्नी) दस्तावेज़ | यदि कोई औपचारिक करार न हो तो इस संबंध में आदान-प्रदान किए गए पत्रों को रिकॉर्ड में रखा जाए ।

iii. यदि विक्रेता एनआरआई/ओसीबी हो तो प्रत्यावर्तन/गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर उनके द्वारा रखे गए शेयरों के साक्ष्य स्वरुप आरबीआई अनुमोदनों की प्रतियां| बिक्री प्राप्तियां एनआरई/एनआरओ खाते में, जो भी लागू हो, नामे डाली जाएंगी ।

iv. शेयरों के उचित मूल्य का उल्लेख करते हुए किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र।

v. आयकर प्राधिकारी/चार्टर्ड एकाउंटेंट से अनापत्ति/कर निकासी प्रमाणपत्र ।

vi. क्रेता से इस संबंध में वचन पत्र कि मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किया गया है ।

6. रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं

6.1 निवासी और गैर-निवासियों के मध्य तथा विलोमतः शेयरों के अंतरण की रिपोर्ट फॉर्म एफसी-टीआरएस में करनी होगी । संबंधित प्रतिफल धनराशि की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर फॉर्म एफसी- टीआरएस एडी श्रेणी-। बैंक को प्रस्तुत करना होगा । निर्धारित समयावधि में फॉर्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत करने का दायित्व, भारत निवासी अंतरणकर्ता/प्राप्तकर्ता का होगा । एडी श्रेणी-। बैंक उसे इससे जुड़े संयोजन कार्यालय को भेजेगा| लिंक कार्यालय फार्मों को समेकित कर रिज़र्व बैंक[4] को मासिक रिपोर्ट भेजेगा ।

इस प्रयोजनार्थ, अधिकृत डीलर ऐसे लेन-देनों को विशेष रुप से निष्पादित करने हेतु शाखाओं को नामित करेंगे । इन शाखाओं द्वारा पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी,

ताकि उक्त लेन-देन सुगमतापूर्वक हो सके। इन शाखाओं में कार्य के समन्वयन हेतु एडी भी नोडल कार्यालयों को नामित करेगा तथा यह भी सुनिश्चित करेगा कि इन लेन-देनों की रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को दे दी गयी है ।

6.2 जब अन्तरण निजी व्यवस्था आधार पर हो तो लेन-देन पूरा होने पर अंतरिती/उसके द्वारा विधिवत नियुक्त एजेंट निवेशिती कम्पनी को अपने खाता बहियों में अंतरण का रिकॉर्ड करने को कहेगा तथा एडी ब्रांच से फॉर्म एफसी-टीआरएस में यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने को कहा जाएगा कि अंतरणकर्ता द्वारा प्रेषण प्राप्त हो गये हैं/अंतरिती द्वारा भुगतान कर दिया गया है, । एडी से प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कम्पनी अपनी खाता-बहियों में अंतरण का रिकॉर्ड कर सकती है ।

6.3 शेयरों के ऐसे अंतरण पर वास्तविक अंतवार्ह और वहिर्वाह की रिपोर्ट एडी ब्रांच द्वारा सामान्य रुप में आर-विवरणी में दी जाएगी ।

6.4 इसके अतिरिक्त, एडी ब्रांच को उनके संघटकों /ग्राहकों से प्राप्त फॉर्म एफसी-टीआरएस के साथ-साथ संलग्न लिखत में (जिसे एमएस-एक्सल फार्मेट में तैयार किया गया है) बैंक द्वारा इस प्रयोजनार्थ बिक्री के द्वारा आईबीडी/एफईडी/अथवा नामित नोडल कार्यालय शेयरों के अंतरण के साथ इस संबंध में प्राप्त/किए गए प्रेषणों के कारण अंर्तवाह/वाहिर्वाह के विवरण की दो प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी । आईबीडी/एफईडी अथवा बैंक का नोडल कार्यालय उनके शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए सभी लेन-देनों के संबंध में समेकित मासिक विवरण के साथ-साथ उनकी शाखाओं से प्राप्त एफसी-टीआरएस फार्मों की प्रतियों सहित विदेशी मुद्रा विभाग, रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय मुंबई को आगे सॉफ्ट प्रति (एमएस-एक्सल) में तथा ई-मेल द्वारा fdidata@rbi.org.in को प्रस्तुत करेगा ।

6.5 निजी व्यवस्था के अंतर्गत एफआईआई द्वारा शेयरों की खरीद/बिक्री, उनके विशेष गैर निवासी रुपये वाले लेखे में नामे डालते हुए/जमा करते हुए की जाएगी । इसलिए संबंधित एफआईआई के नामित बैंक द्वारा फॉर्म एलईसी (एफआईआई) में भी निष्पादनों की रिपोर्ट की जाएगी।

6.6 एनआरआई, ओसीबी द्वारा पोर्टफोलियो निवेश स्कीम के अंतर्गत खरीदे गये भारतीय कंपनियों के शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को निजी व्यवस्था के अंतर्गत बिक्री द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता ।

6.7 एडी से विवरणों की प्राप्ति पर रिज़र्व बैंक, आवश्यकता पड़ने पर, अंतरणकर्ता/ अंतरिती अथवा उनके एजेंटों से प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित ऐसी कोई अतिरिक्त ब्यौरे मांग सकता है ।

****

---

4 मुख्य महाप्रबंधक, प्रभारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी विनियम विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को ।

अनुबंध-3

उपहार के माध्यम से भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को भारत निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अंतरण हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

i. अंतरणकर्ता (डोनर) और अंतरणप्राप्तकर्ता (अंतरिती) का नाम और पता

ii. अंतरणकर्ता और अंतरणप्राप्तकर्ता के मध्य संबंध

iii. उपहार देने के कारण

iv. सरकारी तिथि वाली प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिल्स और बाण्डों के मामले में चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा ऐसी प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य के संबंध में जारी किया जाने वाला एक प्रमाणपत्र

v. घरेलू म्यूचुअल फंड्स और मनी मार्किट म्यूचुअल फंड्स के यूनिटों के मामले में ऐसी प्रतिभूति के निवल सम्पदा मूल्य पर जारीकर्ता से एक प्रमाणपत्र ।

vi. शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में क्रमश: सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अथवा डीसीएफ द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य के संबंध में चार्टर्ड **ए**काउंटेंट से एक प्रमाणपत्र ।

vii. निवासी से अनिवासी को उपहार के रुप में शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रस्तावित अंतरण का सत्यापन करते हुए संबंधित भारतीय कम्पनी से यह प्रमाणपत्र कि कम्पनी में लागू क्षेत्रगत सीमा/एफडीआई सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ है और यह कि अनिवासी अंतरिती द्वारा धारित किए जाने वाले शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रस्तावित संख्या कम्पनी की प्रदत्त पूंजी के 5% से अधिक नहीं होगी ।

viii. निवासी अंतरणकर्ता से एक वचनपत्र कि भारत से बाहर रहनेवाले किसी व्यक्ति को उपहार के रुप में अंतरणकर्ता द्वारा अंतरित की जाने वाली प्रतिभूति के मूल्य के साथ-साथ कोई अन्य प्रतिभूति जो अंतरित की जा चुकी है, एक **कैलेण्डर वर्ष* के दौरान** 50,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य रुपये से अधिक की नहीं होगी ।

*आरबीआई के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) 15.9.2011 का परिपत्र सं. 14

अनुबंध-4

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में दी गयी "रिश्तेदार" की परिभाषा

कोई व्यक्ति किसी अन्य का रिश्तेदार माना जाएगा, यदि और केवल;

(क) वे हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं; अथवा

(ख) वे पति पत्नी हैं; अथवा

(ग) अनुसूची 1 क में उल्लिखित तरीके से एक दूसरे से संबंधित हैं (नीचे दिए गए अनुसार)

1. पिता
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. पुत्र (सौतेला पुत्र सहित)
4. पुत्र की पत्नी
5. पुत्री (सौतेली पुत्री सहित)
6. पिता का पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता का पिता
10. पुत्र का पुत्र
11. पुत्र के पुत्र की पत्नी
12. पुत्र की पुत्री
13. पुत्र के पुत्री का पति
14. पुत्री का पति
15. पुत्री का पुत्र
16. पुत्री के पुत्र की पत्नी
17. पुत्री की पुत्री
18. पुत्री की पुत्री का पति
19. भाई (सौतेले भाई सहित)
20. भाई की पत्नी
21. बहन (सौतेली बहन सहित)
22. बहन का पति

****

अनुबंध-5

एफडीआई स्कीम के अंतर्गत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के शेयर जारी करने के लिए प्रतिफल धनराशि प्राप्त करने वाली भारतीय कम्पनी द्वारा रिपोर्ट

(रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय में जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करने वाली कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, इसके अधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंक के माध्यम से कम्पनी द्वारा अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी दिनांक 3 मई, 2000 की अनुसूची-I के पैरा 9 (I) (क) में यथा स्पष्ट प्रतिफल धनराशि की प्राप्ति की तिथि से अधिक 30 दिनों के भीतर भरे जाने हेतु)

आयकर विभाग द्वारा दिए गए अंतरिती कम्पनी का स्थायी खाता संख्या (पैन)	

सं.	विवरण	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	भारतीय कम्पनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता	
	फैक्स	
	दूरभाष	
	ई-मेल	
2.	**विदेशी निवेशक/सहयोगी का विवरण**	
	नाम पता देश	
3	निधि प्राप्ति की तिथि	

4	धनराशि	विदेशी मुद्रा में: भारतीय रुपये में:
5.	क्या निवेश स्वत: अनुमोदन मार्ग अथवा अनुमोदित मार्ग के अंतर्गत है यदि अनुमोदन मार्ग है तो विवरण दें (अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तिथि)	स्वत: अनुमोदन मार्ग/अनुमोदन मार्ग
6.	ए डी का नाम जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त है	
7	ए डी का पता	

उपर्युक्त के अनुसार शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के लिए प्रतिफल की प्राप्ति हेतु एफआईआरसी के प्रमाणन की एक प्रति ।

अंतरिती कम्पनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (मोहर)	(ए डी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (मोहर)

केवल रिज़र्व बैंक के प्रयोग हेतु

प्रेषण प्राप्ति हेतु विशिष्ट पहचान (यूनीक आईडेंटीफिकेशन) संख्या:

अनुबंध-6

गैर निवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानें (नो यूअर कस्टमर, केवाईसी) फॉर्म

प्रेषक/निवेशक का पंजीकृत नाम (यदि निवेशक व्यक्तिगत हो तो, नाम)	
पंजीकरण संख्या (यूनीक आईडेंटिफिकेशन नंबर* यदि प्रेषक व्यक्ति हो)	
पंजीकृत पता (यदि प्रेषक व्यक्ति हो तो स्थायी पता)	
प्रेषणकर्ता के बैंक का नाम	
प्रेषणकर्ता के बैंक खाता संख्या	
प्रेषणकर्ता के साथ बैंकिग संबंध की अवधि	

*प्रेषक के देश में प्रेषक के पूर्ववृत्त के सत्यापन के संबंध में पासपोर्ट संख्या, सामाजिक सुरक्षा सं. अथवा कोई विशिष्ट संख्या (यूनीक नम्बर)

हम पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के विदेशी प्रेषण बैंक द्वारा मुहैया की गई उपर्युक्त प्रस्तुत सूचना सत्य और सटीक है ।

(प्रेषण प्राप्तकर्ता ए डी बैंक के
प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थानः

दिनांक:
मोहरः

अनुबंध-7

विदेशी दायित्व और परिसम्पत्तियों संबंधी वार्षिक विवरणी

(विवरणी सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, आरबीआई, मुंबई को 15 मार्च, 2011 के परिपत्र सं. 45 ए.पी. (डी आई आर श्रृंखला) के अंतर्गत भरी जानी है)

कृपया विवरणी में भरने से पूर्व दिशानिर्देशों/परिभाषाओं को सावधानीपूर्वक पढ़ लें

खण्ड I: पहचान विवरण

आरबीआई के प्रयोग हेतु

1. भारतीय कम्पनी का नाम और पता

कम्पनी कोड

शहरः पिनः

राज्य.....

2. आयकर विभाग द्वारा कम्पनी को आबंटित पैन नंबर

3. पंजीयक कम्पनी द्वारा दी गयी पंजीकरण संख्या

4. संपर्क व्यक्ति का नाम.....पदनाम.....

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड सहित).....फैक्स.....

ई-मेल.....

5. खाता बंद होने की तिथिः (दिन/माह/वर्ष) वैबसाइट (यदि कोई हो).....

6. यदि कम्पनी का नाम और/अथवा गतिविधि में परिवर्तन हुआ है तो कम्पनी का पुराना और नया नाम तथा गतिविधि का उल्लेख करें

कम्पनी का पुराना नाम.....क़ंपनी का नया नाम.....

प्रभावी तिथि.....

पुरानी गतिविधिः.....नई गतिविधि.....

7. व्यापार की प्रकृतिः जिस मुख्य व्यापार क्षेत्र से आपका व्यापार संबंधित हो उस उचित गतिविधि समूह में सही का निशान लगाएं तथा यदि संभव हो तो कोष्ठक में एनआईसी कोड भी दें |

उद्योग	राजस्व%	उद्योग	राजस्व%	उद्योग	राजस्व%	उद्योग	राजस्व%
1.ऊर्जा ( )		2. विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिकी ( )		3. गैर वित्तीय सेवाएं ( )		4. वित्तीय सेवाएं ( )	
5. दूर संचार ( )		6 होटल एवं पर्यटन ( )		7. धातुकर्मी उद्योग एवं खनन ( )		8 ख़ाद्य प्रसंस्करण उद्योग ( )	
9. सॉफ्टवेयर और आईटीईएस/बीपीओ ( )		10 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ( )		11. रसायन (उर्वरक से अलग) ( )		12. निर्माण ( )	
13 सॉफ्टवेयर और आईटीईएस/बीपीओ ( )		14 भेषजीय ( )		15. अन्य ( )			

आरबीआई के प्रयोग हेतु (उद्योग कोड)

8. क्या आपकी कम्पनी भारत में सूचीबद्ध है (कृपया टिक (√) करें) हाँ | | नहीं | |

9. क्या कम्पनी कोई विदेशी सहयोग प्राप्त है? यदि हां, कृपया उल्लेख करें कि यह है (कृपया जो उचित हो उस एक पर टिक करें) हाँ | | नहीं | |

(क) तकनीकी सहयोग		(ख) वित्तीय सहयोग (विदेशी इक्विटी भागीदारी)		(ग) दोनों	

ब्लॉक 1 क: भारतीय कम्पनी की कुल प्रदत पूंजी

मद	**पूर्व वित्त वर्ष के**		**चालू वित्त वर्ष के**	
	मार्च के अंत में		**मार्च के अंत में**	
	शेयरों की संख्या	**धनराशि लाख रू. में**	**शेयरों की संख्या**	**धनराशि लाख रू. में**
1.0 **कुल प्रदत्त पूंजी** [(i)+(ii)]				
(i)सामान्य/इक्विटी शेयर				
(ii) अधिमानी शेयर [(क)+(ख)]				
(क) सहभागिता				
(ख) गैर-सहभागिता				
2.0 गैर निवासी इक्विटी होल्डिंग				
1. व्यक्तिगत				
2. कम्पनियां				
3.एफआईआई				
4.एफवीसीआई				
5. विदेशी न्यास				
6. निजी इक्विटी निधियां				
7. पेंशन/भविष्य निधि				
8. संप्रभु संपदा निधि (एसडब्ल्यूएफ)				
9. भागीदारी/उद्यमवृति फर्में				
10. वित्तीय संस्थाएं				
11. एनआरआई/पीआईओ				
12.अन्य (कृपया स्पष्ट करें)				

नोटः एफवाई/ वित्तीय वर्ष

ब्लॉक 1 खः मुक्त आरक्षित एवं अतिरिक्त तथा रखा गया लाभ

मद	**मार्च के अंत में धनराशि लाख रुपये में**	
	पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
3.1 मुक्त आरक्षित एवं अतिरिक्त के अंत में		
	धनराशि लाख रूपयों में	
	पूर्व वित्त वर्ष के दौरान	**चालू वित्त वर्ष के दौरान**
3.2. कर के पश्चात लाभ (+)/हानि (-)		
3.3 घोषित लाभांश (लाभांश पर कर **को** छोड़कर)		
3.4 प्रतिधारित लाभ/ हानि (3.4=3.2-3.3)		

खण्ड-॥

विदेशी दायित्व

2. भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के अंतर्गत किए गए निवेशः

सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में संदर्भगत अवधि की समाप्ति तिथि पर शेयर मूल्य का प्रयोग करते हुए इक्विटी का मूल्यांकन किया जाय जबकि गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में ओन फंड ऑफ बुक वैल्यू (ओएफबीवी) पद्धति प्रयुक्त की जाए (*विवरण हेतु संलग्न दिशानिर्देश देखें*)

ब्लॉक 2 क: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (10% अथवा अधिक इक्विटी सहभागिता)

[कृपया **उन** अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों द्वारा भारत में एफडीआई स्कीम के अंतर्गत किए गए बकाया निवेश **प्रस्तुत करें** जो रिपोर्ट करने की तिथि पर आपकी कम्पनी के सामान्य/इक्विटी शेयरों के व्यक्तिगत तौर पर धारक थे|]

*यदि इस ब्लॉक में सूचना शून्य **नहीं** हो तो कृपया भारत में अपनी सहायक कम्पनियों का नाम और पता, यदि कोई हो तो, ब्लॉक 9 में दें ।*

गैर निवासी कम्पनी/ व्यक्तिगत का नाम	पूंजी का प्रकार	गैर निवासी निवेशक का देश	इक्विटी होल्डिंग (%)	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**		
				मार्च	**दिसम्बर**	**मार्च**
				पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**	**चालू वित्त वर्ष**
	1.0 इक्विटी पूंजी					

	(1.0=1.2-1.1)					
	1.1 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे					
	1.2 प्रत्यक्ष निवेशक की देयताएं					
	2.0 अन्य पूँजी (2.0=2.2-2.1)					
	2.1 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे					
	2.2. प्रत्यक्ष निवेशक पर दायित्व					
	3.0 वर्ष के दौरान भारत में विनिवेश					

नोटः (i) यदि निवेशक कम्पनी है तो समाविष्ट देश का देश

(ii) कृपया भिन्न गैर निवासी कम्पनी/व्यक्तिगत की रिपोर्ट हेतु उसी फार्मेट में अलग शीट का प्रयोग करें ।

ब्लॉक 2खः भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (10% से कम इक्विटी होल्डिंग)

[कृपया <u>अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकों</u> जिन्होंने रिपोर्ट करने की तिथि को आपकी कम्पनी के सामान्य/इक्विटी शेयरों का 10% से कम व्यक्तिगत रुप से धारित किया है, भारत में एफडीआई **स्की**म के अंतर्गत किए गये बकाया निवेश का विवरण यहां प्रस्तुत करें]

अनिवासी कम्पनी/ व्यक्ति का नाम	पूंजी का प्रकार	अनिवासी निवेशक का देश	**इक्विटी होल्डिंग (%)**	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**		
				मार्च	**दिसम्बर**	**मार्च**
				पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**	**चालू वित्त वर्ष**
	1.0 (इक्विटी पूंजी (1.0=1.2-1.1)					
	1.1 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे					
	1.2 प्रत्यक्ष निवेशक की देयताएं					
	2.0 अन्य पूंजी (2.0=2.2-					

	2.1)					
	2.1 प्रत्यक्ष निवेशक पर दावे					
	2.2 प्रत्यक्ष निवेशक की देयताएं					
	3.0 वर्ष के दौरान भारत में विनिवेश					

नोटः (i) यदि निवेशक **कोई** कम्पनी हो तो **देश उस कम्पनी के** निगमन का देश होगा;

(ii) कृपया अलग-अलग गैर-निवासी कम्पनी/व्यक्ति की रिपोर्ट हेतु इसी फार्मेट का प्रयोग करते हुए अलग शीट लगाएं

3. अनिवासी के पोर्टफोलियो और अन्य देयताएं (अर्थात असम्बद्ध पार्टियों के साथ स्थिति)

ब्लॉक 3क: पोर्टफोलियो निवेश

कृपया **भारत में पोर्टफोलियो निवेश स्कीम** के अंतर्गत अनिवासी निवेशकों द्वारा किए गए बकाया निवेशों का विवरण यहां दें । संदर्भित अवधि की अंतिम तिथि को शेयर मूल्य का प्रयोग कर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में इक्विटी का मूल्य आकलन किया जाए, जबकि गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में ओन फंड ऑफ बुक वैल्यू (ओएफबीवी) पद्धति का प्रयोग किया जाए *(विवरण हेतु संलग्न दिशानिर्देश देखें)*

पोर्टफोलियो निवेश	अनिवासी निवेशक का देश	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**	
		मार्च	**मार्च**
		पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
1.0 इक्विटी प्रतिभूतियां			
2.0 ऋण प्रतिभूतियां (2.0=2.1+2.2)			
2.1 बॉण्ड और नोट (मूल परिपक्वता एक वर्ष से अधिक)			
2.2 मनी मार्किट साधन (मूल परिपक्वता 1 वर्ष तक)			
3.0 वर्ष के दौरान भारत में विनिवेश			

नोटः प्रत्येक प्रकार के निवेश से संबंधित आंकड़ों में देश-वार सूचना को समेकित करें । यदि निवेश के विशेष प्रकार में अधिक देश शामिल हो तो प्रत्येक देश हेतु अलग शीट का प्रयोग कर उसी फार्मेट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

ब्लॉक 3 खः वित्तीय डेरीवेटिव्स (केवल अनिवासी कम्पनी के मामले में)

अप्रवासियों के साथ हुए वित्तीय डेरीवेटिव्स निविदा करार के कारण बकाया विदेशी देयताओं का विवरण यहां दें ।

वित्तीय डेरीवेटिव्स	अनिवासी निवेशक का देश	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**	
		मार्च	**मार्च**
		पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
(i) अनुमानित मूल्य			
(ii) बाज़ार मूल्य चिह्न			

नोटः यदि विशेष प्रकार के निवेश में विशेष आंकड़ा रिपोर्ट हेतु अधिक देश शामिल हों तो इसे प्रत्येक देश के लिए अलग से शीटें लगाकर उसी फार्मेट में रिपोर्ट करें ।

ब्लॉक 3गः अन्य निवेश:

यह अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें वे सभी वित्तीय बकाया शामिल हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश नहीं माना गया है, **(गैर-सम्बद्ध पार्टियों के साथ बकाया देयताएं)**

अन्य निवेश	अनिवासी ऋणदाता का देश	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**	
		मार्च	**मार्च**
		पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
4.0 व्यापार ऋण/उधार (4.0=4.1+4.2)			
4.1 लघु अवधि (4.1=4.1.1+4.1.2)			
4.1.1 6 माह तक			
4.1.2 6 माह से एक वर्ष			
4.2 दीर्घावधि			
5.0 ऋण (5.0=5.1+5.2)			
5.1 लघु अवधि			
5.2 दीर्घावधि			
6.0 अन्य देयताएं (6.0=6.1+6.2)			
6.1 लघु अवधि (एक वर्ष तक)			
6.2 दीर्घावधि			

नोटः (i) प्रत्येक प्रकार के निवेश से संबंधित आंक़डों में देश-वार सूचना को समेकित करें । यदि निवेश के विशेष प्रकार में अधिक देश शामिल हों तो प्रत्येक देश हेतु अलग शीट का प्रयोग कर उसी फार्मेट में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

(ii) मद 5.0 पर ऋण में अनिवासी मूल कम्पनी से लिए गए ऋणों से भिन्न ईसीबी ऋण शामिल किया जाना चाहिए। मूल कम्पनी से विदेश में लिए गए ईसीबी ऋण को अन्य पूंजी के ब्लॉक 2क में दर्शाया जाए ।

<u>खंड-III</u>

<u>विदेशी परिसम्पत्तियां</u>

1. कृपया विदेशी परिसम्पत्तियों की रिपोर्ट देते समय रिपोर्ट वर्ष के अंतिम मार्च/अंतिम दिसम्बर (जो लागू हो) की स्थिति के अनुसार विनिमय दर का लाख रूपयों में प्रयोग करें
2. यदि विदेशी कम्पनियां सूचीबद्ध हैं तो इक्विटी का आकलन संदर्भित अवधि की समाप्ति तिथि को शेयर मूल्य के प्रयोग द्वारा किया जाए, जबकि गैर सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में इक्विटी के लिए आकलन 'ओन फंड ऑफ बुक वैल्यू (ओएफबीवी)' विधि से किया जाए *(विवरण हेतु संलग्न दिशानिर्देश देखें)*

ब्लॉक 4: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्कीम (ओवरसीज़ डायरेक्ट इनवेस्टमेंट स्कीम) के अंतर्गत विदेश में प्रत्यक्ष निवेश

ब्लॉक 4क: विदेश में प्रत्यक्ष निवेश (10% अथवा अधिक इक्विटी होल्डिंग)

[कृपया रिपोर्ट देने की तिथि को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्कीम के अंतर्गत किए गए अनिवासी उद्यमों [प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई)] में, जिन प्रत्येक में आपकी कम्पनी द्वारा 10% अथवा अधिक इक्विटी शेयर रखे गए हैं, बकाया निवेशों का विवरण दें।] यदि इस ब्लाक की सूचना 'शून्य' नहीं हो तो सूचना ब्लाक 6 में दें ।

अनिवासी **प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई)** का नाम	पूंजी का प्रकार	अनिवासी **डीआईई** का देश	**इक्विटी होल्डिंग (%)**	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**		
				मार्च	**दिसम्बर**	**मार्च**
				पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**	**चालू वित्त वर्ष**
	1.0इक्विटी पूंजी (1.0=1.1-1.2)					
	1.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पर दावे					
	1.2 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की देयताएं					
	2.0 अन्य पूंजी (2.0=2.1-2.2)					
	2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यम पर दावे					
	2.2. प्रत्यक्ष निवेश उद्यम हेतु देयताएं					
	3.0 वर्ष के दौरान विदेश में किए गए विनिवेश					

नोटः अलग-अलग डीआईई हेतु रिपोर्ट करने के लिए उपुर्यक्त फार्मेट में अलग शीट का प्रयोग करें ।

ब्लॉक 4खःविदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (10% से कम इक्विटी पूंजी)

अनिवासी उद्यमों (प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों डीआईई)में आपके बकाया निवेशों जो **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्कीम के अंतर्गत किए गये** हैं, जिनमें प्रत्येक में आपकी कम्पनी ने रिपोर्ट की तिथि को 10% से कम इक्विटी शेयर रखे हैं, का विवरण प्रस्तुत करें

अनिवासी उद्यमों का नाम	पूंजी का प्रकार	अनिवासी उद्यमों का देश	इक्विटी होल्डिंग (%)	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**		
				मार्च	**दिसम्बर**	**मार्च**
				पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**	**चालू वित्त वर्ष**
	1.0 इक्विटी पूंजी (1.0=1.1-1.2)					
	1.1 अनिवासी विदेशी उद्यम पर दावे					
	1.2 अनिवासी विदेशी उद्यम की देयताएं					
	2.0 अन्य पूजी (2.0=2.1-2.2)					
	2.1 अनिवासी विदेशी उद्यम पर दावे					
	2.2. अनिवासी विदेशी उद्यम की देयताएं					
	3.0 वर्ष के दौरान विदेश में किए गए विनिवेश					

नोटः विभिन्न अनिवासी सह उद्यमों की रिपोर्ट हेतु उपयुक्त फार्मेट में अलग शीट का प्रयोग करें

विदेश में पोर्टफोलियो और अन्य परिसम्पत्तियां (अर्थात असम्बद्ध पक्षों के साथ स्थिति)

ब्लॉक 5क: विदेश में पोर्टफोलियो निवेश

1. भारत में **विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्कीम के अंतर्गत किए गए अनिवासी उद्यमों से भिन्न** में बकाया निवेशों को यहां प्रस्तुत करें (अर्थात ब्लॉक 4क एवं 4 ख में रिपोर्ट किए गए से भिन्न)।
2. रिपोर्टाधीन अवधि की अंतिम तिथि को, यदि विदेशी कम्पनियां सूचीबद्ध हों तो इक्विटी का मूल्य, शेयर मूल्य का प्रयोग करते हुए लगाया जाय जबकि कम्पनियां गैर-सूचीबद्ध हों तो 'ओन फण्ड ऑफ बुक वैल्यू (ओएफबीवी)' विधि का प्रयोग करें *(विवरण हेतु दिशानिर्देश देखें)*

पोर्टफोलियो निवेश	अनिवासी उद्यम का देश	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**		
		मार्च	**दिसम्बर**	**मार्च**
		पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**	**चालू वित्त वर्ष**
1.0 इक्विटी प्रतिभूतियां				
2.0 ऋण प्रतिभूतियां (2.0=2.1+2.2)				
2.1 बांड्स एवं नोट (मूल परिपक्वता एक वर्ष से अधिक)				
2.2 मुद्रा बाज़ार इंस्ट्रूमेंट (मूल परिपक्वता एक वर्ष से अधिक)				
3.0 वर्ष के दौरान विदेशी विनिवेश				

नोटः प्रत्येक प्रकार के निवेश से संबंधित आंकड़ों में देश-वार सूचना को समेकित करके रिपोर्ट करें । यदि निवेश के विशेष प्रकार में एक से अधिक देश शामिल हो तो प्रत्येक देश के लिए अलग शीट का प्रयोग उसी फार्मेट में रिपोर्ट हेतु करें ।

ब्लॉक 5खः वित्तीय डेरीवेटिव्स (अनिवासी कम्पनी के साथ)

कृपया **अप्रवासियों के साथ हुए** वित्तीय डेरीवेटिव्स करार निष्पादन के कारण गैर निवासियों पर बकाया दावों को यहां प्रस्तुत करें |

वित्तीय डेरीवेटिव्स	अनिवासी उद्यम का देश	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रुपये में**	
		मार्च	**मार्च**
		पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
(i) **अनुमानित मूल्य** (ii) **बाज़ार मूल्य संकेत**			

नोटः यदि विशेष प्रकार के निवेश एक से अधिक देशों में फैले हों तो प्रत्येक देश के लिए अलग से अतिरिक्त शीट का प्रयोग कर उपयुक्त फार्मेट में रिपोर्ट करें ।

ब्लॉक 5गःअन्य निवेश (गैर-संबद्ध पार्टियों पर बकाया संबंधी दावे):

यह अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें सभी वित्तीय बकाया दावे शामिल हैं जिसे सीधे निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश के रुप में नहीं माना गया ।

अन्य निवेश	अनिवासी उद्यम का देश	**निम्नलिखित माह के अंत में धनराशि लाख रू. में**	
		मार्च	**मार्च**
		पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
4.0 व्यापार ऋण/उधार (4.0=4.1+4.2)			
4.1 लघु अवधि (4.1=4.1.1+4.1.2)			
4.1.1. 6 माह तक			
4.1.2. 6 माह से एक वर्ष			
4.2 दीर्घावधि			
5.0 ऋण (5.0=5.1+5.2)			
5.1 लघु अवधि (एक वर्ष तक)			
5.2 दीर्घावधि			
6.0 अन्य परिसंपत्तियां(6.0=6.1+6.2)			
6.1 मुद्रा एवं जमा			
6.2 अन्य			

नोटः (i) प्रत्येक प्रकार के निवेश से सम्बंधित आंकडे देशवार सूचना समेकित करके दिए जाने चाहिए यदि विशेष प्रकार के निवेश एक से अधिक देश में फैले हों तो प्रत्येक देश के लिए अलग से अतिरिक्त शीट का प्रयोग कर उपयुक्त फार्मेट में रिपोर्ट देनी चाहिए ।

ब्लॉक 6: विदेश में प्रत्यक्ष निवेश उद्यम की इक्विटी पूंजी, मुक्त आरक्षित निधियाँ (फ्री रिज़र्व्स) एवं अतिरिक्त निधियां

[कृपया आपकी कम्पनी द्वारा कुल इक्विटी, धारित इक्विटी और उन अनिवासी उद्यमों की कुल मुक्त आरक्षित निधियों (फ्री रिज़र्व्स) एवं अतिरिक्त **निधियों की सूचना दें** जिनमें से प्रत्येक में सूचना देने की तारीख पर आपकी कम्पनी द्वारा 10% अथवा अधिक शेयर धारित थे|]

*यदि यह ब्लाक **गैर-शून्य** है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आपने संगत सूचना **ब्लाक 4क** में दे दी है*।

डीआईई का नाम	**मद**	मुद्रा	**निम्नलिखित माह के अंत में (वास्तविक)विदेशी मुद्रा के रुप में धनराशि**	
			मार्च	**मार्च**
			पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. डीआईई की कुल इक्विटी			

	2. आपके द्वारा धारित डीआईई की इक्विटी			
	3. डीआईई की मुक्त आरक्षित एवं अतिरिक्त राशि			
	4. **वर्ष के दौरान** आपके द्वारा प्राप्त लाभांश			
	5. **वर्ष के दौरान** डीआईई द्वारा रखी गयी आपके लाभ की धनराशि			

नोटः यदि आपकी कम्पनी एक से अधिक डीआईई में प्रत्यक्ष निवेशक है तो प्रत्येक डीआईई के सम्बंध में अतिरिक्त शीट्स का प्रयोग करते हुए आंकड़े उसी फार्मेट में प्रस्तुत किए जाने चाहिए|

ब्लाक 7: आकस्मिक विदेशी देयताएं

[कृपया यहां **अपनी कम्पनी** की आकस्मिक विदेशी देयताओं के बारे में संगत सूचना दें]

आकस्मिक देयताओं का विवरण	**देश**	**मुद्रा**	**निम्नलिखित माह के अंत में विदेशी मुद्रा के रुप में धनराशि (वास्तविक)**	
			मार्च	**मार्च**
			पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

नोटः # अनुबंध में कालम 3 में दिए गए अनुसार आकस्मिक देयताओं पर आकस्मिक विदेशी देयता के मुद्रा मूल्य का उल्लेख किया जाए ।

ब्लॉक 8: रिपोर्ट देने वाली भारतीय कम्पनी के कर्मचारियों संबंधी सूचना

	समाप्त हुए मार्च की स्थिति अनुसार	
	पूर्व वित्त वर्ष	**चालू वित्त वर्ष**
पे रोल पर कार्मिकों की संख्या		

ब्लाक 9: भारत में आपकी सहायक कंपनी का नाम एवं पता/पते

क्रम सं.	भारत में सहायक कम्पनी का नाम*	सहायक कम्पनी में आपकी इक्विटी हिस्सेदारी %	पता	चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत में आपकी सहायक कम्पनी द्वारा प्रति-धारित लाभ/हानि (धनराशि लाख रू. में)

<u>प्रमाण पत्र</u>

हम एतदद्वारा प्रमाणित करते हैं कि इस सारणी में प्रस्तुत सभी तथ्य और आंकड़े कम्पनी की सही स्थिति को प्रतिबिम्बित करते हैं और **ये** सारणी के सभी ब्लाकों के सभी मदों को समझने के पश्चात प्रस्तुत किए गए हैं ।

स्थानः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

विदेशी देयताओं और परिसम्पत्तियों पर वार्षिक विवरणी भरते समय प्रयुक्त होने वाली संकल्पनाएं एवं परिभाषाएं

उद्यम निवास

किसी उद्यम को आर्थिक हित का एक केन्द्र तथा देश (आर्थिक क्षेत्र) का निवासी यूनिट कहा जाता है जब वह उद्यम भारी संख्या में वस्तुओं के उत्पादन और/अथवा वहां सेवाओं से जुड़ा हो अथवा जब वहां स्थित भूमि अथवा भवन उसके स्वामित्व में हो | उद्यम को देश में कम से कम एक उत्पादन अवस्थापना कायम रखनी चाहिए और ऐसी अवस्थापना को एक अनिश्चित काल तक अथवा दीर्घावधि तक परिचालित करने की योजना बनानी चाहिए ।

मुक्त आरक्षित निधियाँ (फ्री रिज़र्व्स) एवं अतिरिक्त निधियाँ (ब्लॉक 1ख, मद 3.1)

मुक्त आरक्षित निधि (फ्री रिज़र्व्स) एवं अतिरिक्त निधि में सभी भारमुक्त आरक्षित निधि **शामिल** होनी चाहिए जैसे

(i) क्षति से निवल सामान्य आरक्षित राशि, यदि कोई हो,
(ii) पूंजीगत आरक्षित राशि
(iii) विकास छूट संबंधी आरक्षित राशि
(iv) शेयरों पर प्रीमियम
(v) लाभांश समकरण आरक्षित राशि
(vi) निवेश भत्ता (**प्रयुक्त**) आरक्षित

मुक्त आरक्षित निधि (फ्री रिज़र्व्स) एवं अतिरिक्त निधि में कर प्रावधान और **निम्नलिखित जैसी** अन्य मदें शामिल नहीं होनी चाहिए:

(i) आस्थगित कराधान हेतु प्रावधान
(ii) कर समकरण आरक्षित
(iii) निवेश भत्ता **(अप्रयुक्त)** और
(iv) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित

प्रतिधारित लाभ (ब्लाक 1ख, मद 3.4)
प्रतिधारित लाभ= कर पश्चात लाभ-घोषित लाभांश (लाभांश पर कर रहित)
(अर्थात मद 3.4=मद 3.2 - मद 3.3, ब्लाक 1ख)

<u>क. प्रत्यक्ष निवेश</u>

प्रत्यक्ष निवेश अंतर्राष्ट्रीय निवेश की एक श्रेणी है जिसमें एक निवासी कम्पनी एक अर्थव्यवस्था में, (प्रत्यक्ष निवेशक(डीआई)) अन्य अर्थव्यवस्था (प्रत्यक्ष निवेश उद्यम)(डीआईई) में एक निवासी उद्यम में अपना स्थायी हित अधिग्रहण करता है । इसमें दो घटक हैं यथा इक्विटी पूंजी और अन्य पूंजी ।

(i) प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत इक्विटी पूंजी

इसमें (1) शाखाओं में इक्विटी और अनुषंगियों तथा सहायक कम्पनियों में सभी शेयर (गैर-सहभागिता वाले अधिमानी शेयरों को छोड़कर), (2) अंशदान जैसे मशीनरी, भूमि और भवनों की इक्विटी सहभागिता द्वारा किसी डीआई के लिए एक प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा प्रावधान करना; (3) आरक्षित निवेश (अर्थात डीआई पर दावे) के रुप में प्रयुक्त इसके प्रत्यक्ष निवेशक से शेयरों का किसी डीआईई द्वारा अधिग्रहण ।

(क) भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ब्लाक 2क, 2ख)

यदि किसी भारतीय कम्पनी ने भारत में एफडीआई स्कीम के अंतर्गत अनिवासी कंपनियों को शेयर जारी किए हैं तो इसकी सूचना विदेशी प्रत्यक्ष निवेश विवरणी के भारत (देयताएं), धारा ॥ के अंतर्गत देनी चाहिए । यदि रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी में कोई अनिवासी कम्पनी 10% अथवा अधिक इक्विटी/सामान्य शेयर रखती है तो इसकी सूचना **ब्लाक 2क** (मद 1.2, प्रत्यक्ष निवेश की देयताए) के अंतर्गत देनी चाहिए । तथापि, कोई अनिवासी कम्पनी 10% से कम की इक्विटी पूंजी, रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी में धारित करती है तो इसकी रिपोर्ट **ब्लाक 2ख** (मद 1.2, प्रत्यक्ष निवेश की देयताएं) के अंतर्गत दी जानी चाहिए । तथापि, यदि अनिवासी कम्पनी (एंटिटी) का रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी की इक्विटी पूंजी में 10 % से कम हिस्सा है तो इसकी सूचना **ब्लाक 2ख** (प्रत्यक्ष निवेश की देयताएं की मद सं. 1.2) के अंतर्गत दी जानी चाहिए| दोनों मामलों में निवेश करने वाली अनिवासी कम्पनी प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई) के रुप में कही जाती है जबकि रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई) कही जाती है।

यदि **रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी** इसकी विदेशी डीआई कम्पनी में भी इक्विटी शेयर धारित करती है और यदि **डीआई कम्पनी के शेयर, इक्विटी** पूंजी के 10% से कम हैं तब इसे **<u>विपरीत (रिवर्स) निवेश</u>** कहा जाता है और उसकी **सूचना मद 1.1** (प्रत्यक्ष निवेशक पर दावा) के संबंधित **ब्लाक 2क अथवा 2ख** के अंतर्गत दी जानी चाहिए ।

(ख) भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ब्लाक 4क और 4ख)

यदि रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी **अ**निवासी कम्पनी के इक्विटी शेयरों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्कीम के अंतर्गत भारत में निवेश करती है अर्थात विदेश में संयुक्त उद्यम अथवा पूर्ण रुप से स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी में **निवेश करती है** तब इसकी रिपोर्ट विदेश में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत धारा 3 में देनी होगी । यदि इक्विटी होल्डिंग वाली भारतीय कम्पनी द्वारा **अ**निवासी कम्पनी में **10% अथवा**

अधिक का निवेश है तो इसकी रिपोर्ट **ब्लाक 4क** (मद 1.1 के डीआईई पर दावा) के अंतर्गत दी जाएगी **अन्यथा**, इसकी रिपोर्ट **ब्लाक 4ख** (डीआईई पर दावे मद 1.1) में दी जाएगी । दोनों मामलों में भारतीय कम्पनी को प्रत्यक्ष निवेशक (डीआई) कहा जाता है जबकि अनिवासी कम्पनी को प्रत्यक्ष निवेश उद्यम (डीआईई) कहा जाता है ।

यदि गैर निवासी डीआईई भी भारतीय रिपोर्टिंग कम्पनी (डीआई) में इक्विटी शेयर रखते हैं और यदि इसके शेयर रिपोर्टिंग कम्पनी की इक्विटी पूंजी का 10% से कम हैं तो इसे विपरीत (रिवर्स) निवेश कहा जाता है तथा उसकी रिपोर्ट संबंधित ब्लॉक अर्थात 4क अथवा 4ख के मद 1.2(डीआईई) की देयताओं के अंतर्गत दी जायेगी ।

(ii) **प्रत्यक्ष निवेश के अंतर्गत अन्य पूंजी** (ब्लाक 2क,2ख, 4क और 4ख)

प्रत्यक्ष निवेश के अन्य पूंजी (अंतर कम्पनी ऋण सौदा) घटक में शामिल हैं- निधियां उधार **लेने के कारण उत्पन्न हुए अथवा बकाया देयताएं**, गैर-सहभागिता अधिमानी शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश, व्यापार ऋण, वित्तीय लीज़िंग, डीआईई और प्रत्यक्ष निवेशक और डीआईई के मध्य शेयर अनुप्रयोग धन तथा जिसमें समान प्रत्यक्ष निवेश की भागीदारी होने के कारण उत्पन्न बकाया देयताएं अथवा दावे शामिल हैं। प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा गैर-सहभागिता अधिमानी शेयरों का स्वामित्व ऋण प्रतिभूतियों के रुप में माना जाता है एवं अन्य पूंजी में शामिल किया जाना चाहिए।

(ख) पोर्टफोलियो निवेशः

(i) पोर्टफोलियो निवेश (ब्लाक 3क और 5क)

इसमें रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी द्वारा वे विदेशी दावे, इक्विटी में देयताएं और ऋण प्रतिभूतियां शामिल हैं जिन्हें प्रत्यक्ष निवेश में शामिल नहीं किया गया है (ब्लाक 2क, 2ख और 4क, 4ख)| ऋण प्रतिभूतियों में दीर्धावधि बांड्स और नोट, अल्पावधि मुद्रा बाज़ार तंत्र में शामिल हैं

भारत में पोर्टफोलियो स्कीम के अंतर्गत भारतीय कम्पनी में गैर निवासी कंपनियों द्वारा किए गए किसी निवेश की रिपोर्ट ब्लाक 3 क के अंतर्गत (पोर्टफोलियो देयताओं में) दी जानी चाहिए।

विदेशी शेयरों और/अथवा उधार प्रतिभूतियों में भारतीय कम्पनी द्वारा किया गया कोई निवेश जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश स्कीम ब्लाक में किए गए निवेश के अतिरिक्त हो, की रिपोर्ट **ब्लाक 5क** के अंतर्गत (पोर्टफोलियो सम्पत्तियों में) दी जानी चाहिए ।

(ii) इक्विटी प्रतिभूतियां (ब्लाक 3क एवं 5क, मद 1.0)

सभी जमाकर्ताओं के दावों के भुगतान के पश्चात जारीकर्ता उद्यम की अवशिष्ट आय के लिए धारकों के दावों की स्वीकृति के लिए इक्विटी प्रतिभूतियां साधन हैं । इसमें सामान्य शेयर, स्टॉक, सहभागी अधिमानी शेयर, न्यासी प्राप्तियां (एडीआर/जीडीआर) जो गैर-निवासियों द्वारा जारी इक्विटी प्रतिभूतियों के स्वामित्व को निर्दिष्ट करती हैं, म्यूचुअल फंडस में शेयर/यूनिट एवं निवेश न्यास, इक्विटी प्रतिभूतियां जिनको पुनः खरीद करार के अंतर्गत बेचा जाता है, इक्विटी प्रतिभूतियां जो प्रतिभूतियां ऋण करार के अंतर्गत बेची जाती हैं, शामिल हैं ।

(iii) **ऋण/उधार प्रतिभूतियां** (ब्लाक 3क एवं 5क, मद 2.0)
इनमें बॉण्ड्स और नोट्स, मुद्रा बाज़ार साधन शामिल हैं ।
(iv) **बांड्स और नोट्स** (ब्लॉक 3क एवं 5क, मद 2.1)
इस श्रेणी में एक वर्ष से अधिक (दीर्घावधि) की मूल संविदात्मक परिपक्वताओं के साथ उधार प्रतिभूतियां शामिल हैं । इसमें दीर्घावधि प्रतिभूतियां जैसे डिबेंचर्स, गैर-सहभागिता वाले अधिमानी शेयर, पवित्तनीय बांड्स, जमा पर परक्राम्य प्रमाणपत्र, परपेचुअल बाण्ड्स, ऋण धारित रेहन अनुबंध, दोहरी मुद्रा, जीरो कूपन और अन्य डीप डिस्काउण्टेड बांड्स, अस्थायी दर वाले बांड्स और सूची संबद्ध बाण्ड्स शामिल हैं ।
(v) मुद्रा बाज़ार साधन (ब्लाक 3क एवं 5क, मद 2.2)
इन लघु अवधि साधनो में ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक दस्तावेज, बैंकरों की स्वीकारोक्तियां, लघु अवधि जमा के परक्राम्य प्रमाणपत्र और नोट निर्गम सुविधाओं के अंतर्गत जारी लघु अवधि नोट्स शामिल हैं । यह उल्लेखनीय है कि वे साधन जो मुद्रा बाज़ार की रुपात्मकताओं की भागीदारी करते हैं लेकिन एक वर्ष से अधिक की परिपक्वताओं के साथ जारी किए जाते हैं उनको बांड्स और नोट्स के रुप में वर्गीकृत किया गया हो ।

<u>ग वित्तीय डेरीवेटिव्स</u> (ब्लाक 3ख और 5 ख)
वित्तीय डेरीवेटिव्स एक विशिष्ट वित्तीय साधन, संकेतक अथवा वस्तु से जुड़े है जिनके माध्यम से उनके **स्व**-अधिकार से वित्तीय बाजारों में व्यापार के विशिष्ट वित्तीय जोखिम लिए जा सकते हैं । डेरीवेटिव साधन में वायदा व्यापार, ब्याज और पारस्परिक मुद्राओं की अदला-बदली (क्रास करेंसी स्वैप्स), फारवर्ड दर करार, फारवर्ड विदेशी मुद्रा करार, ऋण/उधार डेरीवेटिव्स और विकल्पों के विभिन्न प्रकार शामिल हैं ।

<u>घ अन्य निवेशः</u> (ब्लाक 3 ग और 5 ग)
यह एक अवशिष्ट श्रेणी है जिसमें सभी वित्तीय बकाया जिन्हें प्रत्यक्ष निवेश अथवा पोर्टफोलियो निवेश नहीं माना गया है, शामिल हैं, जैसे

(i) व्यापार उधार (ब्लाक 3ग और 5ग, मद 4.0)
व्यापार उधार वस्तुओं और सेवाओं में लेन-देन के लिए किसी क्रेता को किसी विक्रेता से उधार का प्रत्यक्ष विस्तार तथा चल रहे कार्य हेतु और वस्तुओं तथा सेवाओं में लेन-देनों के लिए क्रेताओं द्वारा अग्रिम भुगतानों से उत्पन्न परिसम्पत्तियां और देयताएं हैं । व्यापार उधार परिसम्पत्तियां, आयातों (आपके) **के** लिए आयातकर्ता (आप) द्वारा अग्रिम भुगतान हैं अथवा आयातकर्ता (आप) द्वारा निर्यातक से (आपके द्वारा) सीधे प्राप्त उधार हैं । व्यापार उधार देयताएं, निर्यातों (आपके) के लिए निर्यातकर्ता (आप) द्वारा प्राप्त अग्रिम भुगतान है अथवा निर्यातकर्ता (आपके) से आयातकर्ता (आप) द्वारा सीधे प्राप्त उधार है । यह उल्लेखनीय है कि आपूर्तिकर्ता से भिन्न किसी उद्यम द्वारा मुहैया कराया गया वित्तपोषण जो

वस्तुओं की खरीद अथवा सेवाओं के प्रयोजनार्थ है, उसे ऋण के रुप में माना जाता है न कि व्यापार उधार के रूप में।

(ii) **ऋण** (ब्लाक 3ग एवं 5ग, मद 5.0)

ऋण, व्यवस्थाओं के माध्यम से ऋणदाता द्वारा ऋण-प्राप्तकर्ता को प्रत्यक्ष रूप से ऋण देना है । इसमें व्यापार के वित्तपोषण हेतु ऋण (अर्थात क्रेताओं के उधार जिसमें निर्यातकर्ता देश में कोई बैंक अथवा कोई वित्तीय संस्थान अथवा कोई निर्यात ऋणदाता एजेंसी किसी विदेशी क्रेता अथवा किसी बैंक को अयातकर्ता देश में वस्तुओं की खरीद और सेवाओं के भुगतान के लिए सीधे ऋण प्रदान करती है), रेहन और अन्य ऋण और अग्रिम शामिल है। वित्तीय लीज और पुनःखरीद करार भी ऋण में गिने जाते हैं । कृपया यह नोट करें कि अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशकर्ता से प्राप्त ऋण को ब्लाक 2क अथवा 2ख की अन्य पूंजी के अंतर्गत जबकि आपकी विदेशी सहायक/सम्बद्ध **कम्पनी को** प्रदान ऋण की ब्लाक4क अथवा 4ख के **अंतर्गत** अन्य पूंजी के अंतर्गत रिपोर्ट दी जानी चाहिए । इन बकाया ऋणों की ब्लाक 3ग अथवा 5ग की ऋण मद के अंतर्गत रिपोर्ट दी जानी चाहिए ।

(iii) **अन्य देयताएं और परिसम्पत्तियां** (ब्लाक 3ग एवं 5ग, मद 6.0)

ये अवशिष्ट मदें हैं जिसमें सभी बाह्य वित्तीय देयताएं और परिसम्पत्तियां, जो कहीं अन्यत्र देयताओं/परिसम्पत्तियों में रिकार्ड नहीं होती हैं, शामिल हैं। ये विविध प्राप्ति योग्य और भुगतान योग्य लेखे हैं जैसे बकाया ब्याज भुगतान, बकाया ऋण भुगतान, बकाया वेतन बीमा प्रीमियम का पूर्व भुगतान, बकाया कर एवं इसी प्रकार की अन्य बकाया देनदारियों से संबंधित लेखे हैं ।

(iv) **दीर्घावधि और लघु अवधि निवेश** (ब्लाक 3ग एवं 5 ग)

दीर्घावधि निवेश को एक वर्ष से अधिक की मूल वायदा परिपक्वता हेतु निवेश के रुप में परिभाषित किया गया है । लघु अवधि निवेश में मुद्रा, मांग पर भुगतान निवेश अथवा एक वर्ष अथवा कम मूल वायदा परिपक्वता शामिल है ।

ङ भारत और विदेश में विनिवेश (ब्लाक 2क, 2ख, 3क, 4क, 4ख और 5क में मद 3.0)

वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी के **अ**निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा किए गए किसी विनिवेश की सूचना ब्लाक 2क और ब्लॉक 2ख में तथा पोर्टफोलियो विनिवेशों की सूचना ब्लाक 3क में देनी चाहिए । इसी प्रकार, वर्ष के दौरान रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी द्वारा विदेश में अपनी डीआईई में किए गए किसी विनिवेश की सूचना ब्लाक 4क तथा 4ख में दी जानी चाहिए और रिपोर्टिंग भारतीय कम्पनी द्वारा पोर्टफोलियो विनिवेश की रिर्पोट ब्लाक 5 क में दी जानी चाहिए ।

च आकस्मिक देयताएं (ब्लाक 7)

आकस्मिक देयताएं वे बाध्यताएं हैं जो एक विशेष पृथक घटना(ओं) से घटित भी हो सकती है नहीं भी| आकस्मिक देयताएं **हैं** (i) **व्यक्त**- एक कानूनी अथवा वायदा व्यवस्था (ऋण एवं अन्य भुगतान गारंटी,

उधार गारंटी, **आकस्मिक ऋण उपलब्धता गारंटी**, विनियमन दर गारंटी आदि) से उत्पन्न स्थिति और (ii) **अव्यक्त**- जो कानूनी अथवा वायदा स्रोत से उत्पन्न नहीं होती परन्तु एक स्थिति के प्रश्चात मान्य होती है अथवा प्राप्ति की स्थिति में होती है ।

यदि किसी भारतीय कम्पनी ने किसी अनिवासी कम्पनी (संभवतःविदेश में इसकी सहायक अनुषंगी) द्वारा लिए गए ऋण पर गारंटी दी हो, ऐसी गारंटी आकस्मिक विदेशी देयताओं का एक भाग कम्पनी होती हो। इस मामले में, ब्लाक 7 के कॉलम-1 के अंतर्गत अंतर्गत "ऋण गारंटी" उल्लिखित करने की आवश्यकता होगी । देश, लेन-देन में शामिल अनिवासी ऋणदाता के देश की अवस्थिति से संबंधित है । उदाहरण के लिए जैसा कि उपर उल्लिखित किया गया है, यदि आकस्मिक विदेशी देयता, ऋण पर गारंटी के संबंध में है तो अनिवासी ऋणदाता के देश की अवस्थिति, जिसे ऐसी गारंटी दी गयी है, की रिपोर्ट कालम 2 में देनी अपेक्षित है ।

मोहर/

अनुबंध-8

प्रपत्र एफसी-टीआरएस		
निवासी से गैर निवासी/गैर निवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों/ अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (सीएमसीपीएस)/डिबेंचरों के अंतरण से संबंधित घोषणा		
(निधि की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में नामित एडी शाखा को प्रस्तुत किए जाने हेतु)		
	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाएं *भारत में निवासकर्ता किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री के लिए* i. विक्रेता और क्रेता अथवा उनके द्वारा विधिवत नियुक्त अभिकर्ता द्वारा विधिवत **हस्ताक्षरित** सहमति पत्र तथा परवर्ती मामले में मुख्तारनामा ii. भारत से बाहर के **किसी** निवासी से शेयरों के अधिग्रहण के पश्चात निवेशिती कम्पनी की शेयरधारण पद्धति iii. शेयरों के उचित मूल्य के उल्लेख वाला चार्टर्ड एकाउण्टेंट से प्रमाणपत्र iv. यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है तो ब्रोकर के नोट की प्रति v. एफडीआई नीति के अंतर्गत क्रेता द्वारा इस संबंध में घोषणा कि वह शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबंचरों के अधिग्रहण का पात्र है तथा विद्यमान क्षेत्रगत सीमा और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है । vi. एफआईआई/उप लेखे से इस संबंध में घोषणा कि व्यक्तिगत एफआईआई/उप लेखे की यथा निर्धारित सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है । *भारत से बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री के संबंध में अतिरिक्त दस्तावेज* vii. यदि विक्रेता एनआरआई/ओसीबी हैं तो आरबीआई अनुमोदनों की प्रतियां, यदि लागू हो तो, इस प्रमाण के लिए कि उनके द्वारा धारित शेयर प्रत्यावर्तन/गैर-प्रत्यावर्तन के आधार पर हैं। viii. आयकर प्राधिकारी/चार्टर्ड एकाउण्टेंट से अनापत्ति/कर निकासी प्रमाणपत्र	
1	**कम्पनी का नाम** पता(ई-मेल, दूरभाष नम्बर, फैक्स नंबर सहित)	

गतिविधि		
	एनआईसी कोड संख्या	
2	**क्या एफडीआई स्वत: अनुमोदन मार्ग से अनुमत है**	
	एफडीआई नीति के अंतर्गत क्षेत्रगत सीमा	
3	**लेन-देन की प्रकृति** (जो लागू न हो उसे काट दें)	निवासी से गैर निवासी को अंतरण अनिवासी से निवासी को अंतरण
4	**क्रेता का नाम**	
	निवेशी कम्पनी का गठन/स्वरूप निम्नलिखित के संबंध में विवरण दें- 1. व्यक्तिगत 2. कम्पनी 3. एफआईआई 4. एफवीसीआई 5. विदेशी न्यास 6. निजी इक्विटी निधि 7. पेंशन/भविष्य निधि 8. संप्रभु संपदा निधि (एसडब्ल्यूएफ*) 9. भागीदारी/निजी स्वामित्व वाली फर्म 10. वित्तीय संस्थान 11. एनआरआई/पीआईओ 12. अन्य	
	समावेशन की तिथि और स्थान	

*एसडब्ल्यूएफ का अर्थ एक सरकारी निवेश साधन है जो विदेशी मुद्रा सम्पत्तियों द्वारा निधिकृत होता है और जो उन सम्पत्तियों को मौद्रिक प्राधिकरणों के सरकारी संचित से पृथक रुप में व्यवस्थित करता है ।

	क्रेता का पता (ई-मेल, दूरभाष नंबर, फैक्स नंबर)				
5	**विक्रेता का नाम**				
	विनिवेश करने वाली कम्पनी का गठन/ स्वरूप निम्नलिखित के संबंध में विवरण दें 1. व्यक्तिगत 2. कम्पनी 3. एफआईआई 4. एफवीसीआई 5. विदेशी न्यास 6. निजी इक्विटी निधि 7. पेंशन/भविष्य निधि 8. संप्रभु संपदा निधि (एसडब्ल्यूएफ[II]) 9. सहभागिता/निजी स्वामित्व वाली फर्म 10. वित्तीय संस्थान 11. एनआरआई/पीआईओ 12. अन्य				
	समावेशन की तिथि और स्थान				
	विक्रेता का पता *(ई-मेल, दूरभाष नं., फैक्स नं. सहित)*				
6	**पूर्ववर्ती रिज़र्व बैंक/एफआईपीबी अनुमोदनों का विवरण**				
7	**अन्तरित किए जाने वाले शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों (सीएमसीपीएस)/डिबेंचरों से सबंधित विवरण**				
	लेन-देन की तिथि	***शेयरों सीएमसीपीएस /डिबेंचरों की संख्या***	***प्रत्यक्ष मूल्य रुपये में***	***अंतरण हेतु समझौता मूल्य **रुपये में***	***प्रतिफल धनराशि रुपये में***

[II] एसडब्ल्यूएफ का अर्थ सरकारी निवेश माध्यम **से है** जो विदेशी विनियम सम्पत्तियों से निधिकृत होता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों के सरकारी संचय से पृथक उन सम्पत्तियों का प्रबंधन करता है ।

8	**कम्पनी में विदेशी निवेश**		*शेयरों की संख्या*	*प्रतिशत*
		अंतरण से पूर्व		
		अंतरण के पश्चात		
9	**जहां शेयर/सीएमसीपीएस/डिबेंचर स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं**			
	स्टाक एक्सचेंज का नाम			
	स्टाक एक्चेंज में उद्धृत मूल्य			
	जहां शेयर/सीएमसीपीएस/डिबेंचर सूचीबद्ध न हो			
	मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार मूल्य*			
	*चार्टर्ड एकांउटेंट के अनुसार मूल्य */ **मूल्यांकन रिपोर्ट (सीए का प्रमाणपत्र संलग्न करें)*			

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा

मैं/हम एतद द्वारा घोषणा करते हैं कि:

i. ऊपर दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है ।

ii. मैं/हम शेयरों/ अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेन्चरों को प्रत्यावर्तन/गैर-प्रत्यावर्तन आधार पर **फेरा/फेमा** के अंतर्गत **एफडीआई** नीति के अनुसार धारित कर रहा था/रहे थे ।

iii. मैं/हम कम्पनी के शेयरों को अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों को एफडीआई नीति के अनुसार प्राप्त करने के लिए पात्र था/थे । यह वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र अथवा उस क्षेत्र के जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, से जुड़ी किसी कम्पनी के **शेयरों**/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों से संबंधित अंतरण के संबंध में नहीं है।

iv. एफडीआई नीति के अंतर्गत क्षेत्रगत सीमा और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किया गया है ।

घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत
अधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर

दिनांक:

नोटः

निवासी से अनिवासी को शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय डिबंचरों के अंतरण के संबंध में अनिवासी क्रेता द्वारा घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे तथा शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/अनिवार्यत: और अधिदेशत: परिवर्तनीय डिबंचरों को अनिवासी से निवासी के संबंध में अंतरण पर अनिवासी विक्रेता को घोषणा पर हस्तारक्षर करने होंगे ।

ए डी ब्रांच द्वारा प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हैं ।

लेन-देन हेतु प्राप्तियां/भुगतान फेमा विनियमन/रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार है ।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक: ए डी ब्रांच का नाम

ए डी ब्रांच का कोड

अनुबंध-9

प्रपत्र डीआर

[पैराग्राफ 4(2) की अनुसूची 1 के संदर्भ में]

जीडीआर/एडीआर के निर्गम की व्यवस्था करने वाली भारतीय कम्पनी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

निर्देशः फॉर्म पूरी तरह से भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए ।

1 कम्पनी का नाम

2 पंजीकृत कार्यालय का पता

3 पत्र व्यवहार का पता

4 वर्तमान व्यापार (कृपया उस गतिविधि का एनआईसी कोड दें जिसमें कम्पनी प्रमुख रूप से कार्य कर रही है)

5 जीडीआर/एडीआर तैयार करने के प्रयोजन का विवरण। यदि निधियां विदेश निवेश के लिए लगाई गई हों तो उसका विवरण दें

6 विदेशी न्यासधारी का नाम और पता

7 प्रमुख (लीड) प्रबंधक/निवेश/मर्चेण्ट बैंकर का नाम और पता

8 निर्गम के उप प्रबंधकों का नाम और पता

9 भारतीय परिरक्षक का नाम और पता

10 एफआईपीबी अनुमोदन का विवरण(कृपया यदि

जीडीआर/एडीआर स्वत: अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत जारी किए गए हों तो संगत एनआईसी कोड दें)

11 क्या विदेशी निवेश हेतु कोई समग्र क्षेत्रगत सीमा लागू है । यदि हां तो कृपया विवरण दें

12 इक्विटी पूंजी का विवरण	निर्गम पूर्व	निर्गम पश्चात
(क) प्राधिकृत पूंजी		
(ख) जारी और प्रदत्त पूंजी जो		
(i) भारत निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित		
(ii) एफआईआई/एनआरआई/पीआईओ/ओसीबी से भिन्न विदेशी निवेशकों द्वारा धारित हो (प्रदत्त पूंजी के 10% से अधिक धारिती विदेशी निवेशकों की एक सूची और उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रस्तुत करें)		
(iii) एनआरआई/पीआईओ/ओसीबी द्वारा धारित हो		
(iv) एफआईआई द्वारा धारित हो		
गैर निवासियों द्वारा धारित कुल इक्विटी		
(ग) कुल प्रदत्त पूंजी के लिए गैर निवासियों द्वारा धारित इक्विटी का प्रतिशत		

13. क्या निर्गम निजी नियोजन आधार पर था, यदि हां तो , निवेशकों तथा उनमें से प्रत्येक को जारी जीडीआर/एडीआर का विवरण दें

14 जारी जीडीआर/एडीआर की संख्या

15 अंतर्निहित शेयरों के लिए जीडीआर/एडीआर का

अनुपात

16. निर्गम संबंधी खर्चे

(क) मर्चेण्ट ब्रोकरों/लीड प्रबंधक को भुगतान की गयी/की जाने वाली फीस

(i) धनराशि (अमरीकी डॉलर में)
(ii) कुल निर्गम की धनराशि का प्रतिशत

(ख) अन्य खर्चे

17. क्या निधियां विदेश में रखी गयी हैं । यदि हां तो, बैंक का नाम और पता

18. सूचीकरण व्यवस्था का विवरण
स्टाक एक्सचेंज का नाम
व्यापार शुरु होने की तिथि

19. जीडीआर/एडीआर निर्गम जारी करने की तिथि

20. संग्रहीत धनराशि (अमरीकी डॉलर में)

21 प्रत्यावर्तित धनराशि(अमरीकी डॉलर में)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन किया गया है ।

ह0/-
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ह0/-
कम्पनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

अनुबंध-10

फार्म डीआर- तिमाही

[पैराग्राफ 4 (3) की अनुसूची 1 के संदर्भ में]

तिमाही विवरण

(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत करने हेतु)

1 कम्पनी का नाम

2 पता

3 जीडीआर/एडीआर निर्गम जारी कर**ने** की तिथि

4 जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल संख्या

5. संग्रहीत कुल धनराशि

6. तिमाही के अंत में प्राप्त कुल ब्याज

7 निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि

8. प्रत्यावर्तित धनराशि

9. विदेश में रखा गया आधिशेष- विवरण

   (i) बैंक जमा

   (ii) ट्रेजरी बिल

   (iii) अन्य(कृपया स्पष्ट करें)

10. अभी तक बकाया जीडीआर/एडीआर की संख्या

11. तिमाही के अंत में कम्पनी के शेयर मूल्य

12. तिमाही के अंत में विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत जीडीआर/एडीआर का मूल्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि जीडीआर/एडीआर के माध्यम से संग्रहीत निधियों का स्टॉक मार्केट अथवा स्थावर संपदा में निवेश नहीं किया गया है ।

ह0/- ह0/-

चार्टर्ड एकाउंटेंट कम्पनी का अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता